यह लोन एग्रीमेंट (एग्रीमेंट) स्थान पर और निर्धारित तिथि पर बनाया जाता है **शेड्यूल I** के बीच **उधारकर्ता (ओं)** (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) और सम्मान कैपिटल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-34, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024 में है और जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या है: L65922DL2005PLC136029 (इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है। **लेंडर** , कौन सी अभिव्यक्ति, जब तक कि विषय, संदर्भ या इसके अर्थ के लिए प्रतिकूल न हो, इसके निष्पादकों, उत्तराधिकारियों और असाइनों को शामिल करने के लिए माना जाएगा)।

जबकि: (ए) उधारकर्ता (ओं) ने उधारकर्ता (ओं) को ऋण (इसके बाद परिभाषित) देने के लिए ऋणदाता से अनुरोध किया है; (बी) उधारकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करने के बाद, लेंडर लोन दस्तावेज़ों (इसके बाद परिभाषित) में निहित नियमों और शर्तों के अधीन उधारकर्ता (ओं) को लोन देने के लिए सहमत हो गया है।

1. परिभाषाएं और व्याख्या

इस समझौते में, निम्नलिखित पूंजीकृत शर्तों का अर्थ उनके लिए नीचे दिया गया है:

(a) **उधारकर्ता** जिसका अर्थ है कंपनी (आईईएस)/व्यक्ति (ओं)/फर्म (ओं) का नाम **शेड्यूल I** इसके तहत उधारकर्ता (ओं) के रूप में और जिनके पते और अन्य विवरणों का भी उल्लेख किया गया है **शेड्यूल I** इसके तहत है। उधारकर्ता (ओं) शब्द में सह-उधारकर्ता (ओं) शामिल होंगे, यदि कोई हो, जिसका नाम इसके तहत अनुसूची I में दिया गया है।

(b) **उधारकर्ता का बकाया** इसका मतलब है लोन की बकाया मूल राशि और लोन दस्तावेज़ों के अनुसार लेंडर को ओब्लिगर (ओं) द्वारा देय अन्य राशि, किसी भी रुचि सहित, दंडात्मक आरोप, शुल्क, लागतें, शुल्क, खर्च और अन्य राशि जो भी ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को देय हो।

(c) **संवितरण की तिथि** इसका मतलब है लोन के संपूर्ण या आंशिक रूप से संवितरण की वास्तविक/मानी गई तारीख या वह तारीख (ओं) जिस पर लोन के लिए चेक, पूरे या आंशिक रूप से, लेंडर द्वारा जारी किया जाता है, जो भी पहले हो।

(d) **देय तिथि (ओं)** जिसका अर्थ है ऐसी तिथि (ओं) जिस पर (ए) मूलधन सहित कोई राशि, लोन के संबंध में ब्याज़ और/या अन्य शुल्क लोन दस्तावेज़ों के संदर्भ में ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को देय और/या देय हैं; और/या (बी) किसी अन्य दायित्व (ओं) के प्रदर्शन का पालन ऋण दस्तावेजों के तहत ऑब्लिगर (ओं) द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(e) **डिफ़ॉल्ट की घटना** इसका मतलब है कि इस समझौते में निर्दिष्ट कोई भी घटना (ओं) या परिस्थिति (ओं) और/या किसी भी अन्य घटना (ओं) या परिस्थिति (ओं) को किसी भी लोन दस्तावेज़ के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना के रूप में संदर्भित/परिभाषित किया गया है .

(f) **गारंटीर (ओं)** जिसका अर्थ है इकाई (आईईएस)/कंपनी (आईईएस)/व्यक्ति (ओं), यदि कोई हो, जिसका नाम है **शेड्यूल I** इसके तहत गारंटी (ओं) के रूप में और/या ऐसे अन्य व्यक्ति (ओं) जो/जो सहमत हुए हैं/लेंडर के पक्ष में गारंटी विलेख (ओं) (लेंडर को संतोषजनक रूप में और सामग्री में) निष्पादित करने के लिए सहमत होंगे, लोन दस्तावेज़ों के तहत ओब्लिगर (ओं) के सभी दायित्वों को पूरा करने की गारंटी देने के लिए लेंडर को लेंडर के बकाया के भुगतान सहित।

(g) **हाइपोथेकेटर (ओं)** जिसका अर्थ है कंपनी (आईईएस)/व्यक्ति (ओं)/फर्म (ओं) का नाम **शेड्यूल I** इसके तहत हाइपोथेकेटर (ओं) और/या किसी अन्य व्यक्ति (ओं) के रूप में, जो समय-समय पर, हाइपोथेकेटेड एसेट (ओं) और उसके वर्तमान और भविष्य के हितों सहित उसकी/उसकी/उनकी संपत्ति (ओं) को हाइपोथेकेटेड करता है, ऋणदाता के पक्ष में अधिकार और शीर्षक को सुरक्षित करने के लिए, *अन्य बातों के साथ* ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणदाता (ओं) के दायित्वों को पूरा करना, जिसमें ऋणदाता को उधारकर्ता के बकाया का भुगतान शामिल है।

(h) **हाइपोथेकेटेड एसेट (ओं)** जिसका अर्थ है प्राप्य और/या कोई अन्य संपत्ति (सभी वर्तमान और भविष्य के हितों सहित), हाइपोथेकेटर (ओं) का अधिकार और शीर्षक) समय-समय पर हाइपोथेकेटर (ओं) द्वारा लेंडर के पक्ष में हाइपोथेकेटेड/चार्ज किया जाना या सुरक्षा के रूप में हाइपोथेकेटेड/चार्ज किया जाना।

(i) **लोन** इसका मतलब है लोन राशि जिसका उल्लेख किया गया है **शेड्यूल I** इस समझौते के तहत, जो लोन दस्तावेज़ों में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार, इस समझौते के तहत उपलब्ध कराया जाएगा या उपलब्ध कराया गया है, इस हद तक कि इस समझौते के तहत इसे रद्द, कम या स्थानांतरित नहीं किया गया है।

(j) **लोन दस्तावेज़** इसका मतलब है (1) यह समझौता, (ii) सुरक्षा दस्तावेज और/या (iii) अन्य सभी समझौते, आवेदन (ओं), फॉर्म (ओं), उपक्रम (ओं), दस्तावेज़ (ओं), पत्र (ओं), विलेख (ओं), ज्ञापन (ओं), घोषणा (ओं) और/या पावर ऑफ अटॉर्नी (ओं) साक्ष्य, सुरक्षा, ऋण/उधारकर्ता के बकाया को नियंत्रित करना या अन्यथा संबंधित/संबंधित है और इसमें कोई भी संशोधन शामिल है, इसके लिए संशोधनकारी या पूरक समझौता।

(k) **सामग्री प्रतिकूल प्रभाव** जिसका अर्थ है भौतिक प्रतिकूल प्रभाव, ऋणदाता की राय में, (ए) व्यवसाय पर या प्रभावित करना, संचालन, ऑब्लिगर (ओं) की संपत्ति या स्थिति (वित्तीय या अन्यथा); या (बी) ऋण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ऑब्लिगर (ओं) की क्षमता; या (सी) लोन दस्तावेज़ों की वैधता या प्रवर्तनीयता या लोन दस्तावेज़ों के तहत लेंडर के अधिकार या उपाय।

(l) **अनिवार्य (ओं)** मतलब उधारकर्ता (ओं), गारंटी (ओं), बंधक (ओं), हाइपोथेकेटर (ओं), प्लेडगोर (ओं) और/या कोई अन्य व्यक्ति (ओं) जो लोन दस्तावेज़ों के तहत लेंडर के पक्ष में कोई सुरक्षा प्रदान करता है और/या जो किसी भी लोन दस्तावेज़ों का पक्ष (लेंडर के अलावा) है या बन जाता है।

(m) **पार्टी** या **पार्टियां** इसका मतलब है कि इस समझौते का एक पक्ष क्रमशः व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से है।

(n) **भुगतान किस्त (ओं)** ऋण की मूल राशि और/या ऋणदाता को ऋण दस्तावेजों (समय-समय पर या अन्यथा) के तहत ऋणदाता द्वारा देय ब्याज राशि की किस्त (ओं) का अर्थ होगा, जैसा कि भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची में निर्धारित किया गया है और इसमें समान मासिक किस्त (ओं) (ओं) शामिल हो सकती है **ईएमआई**) और/या पूर्व समान मासिक किस्त (ओं) ब्याज (**पीईएमआईआई**)।

(o) **भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची** इसका मतलब है लोन के भुगतान/पुनर्भुगतान की अनुसूची और उस पर ब्याज़ जैसा कि इसके तहत अनुसूची II में उल्लेख किया गया है या लेंडर द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी भी संशोधित भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची।

(p) **पावर ऑफ अटॉर्नी** इसका मतलब है कि किसी भी सुरक्षा प्रदान करने वाले ऑब्लिगर (ओं) द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के संबंध में लेंडर के पक्ष में अटॉर्नी की अपरिवर्तनीय शक्ति (ओं) (लेंडर को संतोषजनक रूप और पदार्थ में)।

(q) **उद्देश्य** का अर्थ है, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है **शेड्यूल I** इसके तहत और/या ऋण दस्तावेजों में जिसके लिए ऋण (या इसके किसी भी हिस्से) का उपयोग उधारकर्ता (ओं) द्वारा किया जाना है।

(r) **प्राप्य** इसका मतलब है कि पूरी बिक्री आय, अग्रिम, आवंटन राशि, किराया, पट्टा किराया, लाइसेंस शुल्क, सुरक्षा जमा (ओं) और/या अन्य प्राप्य (इस समझौते की तारीख को और उससे) द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जानी हैं *अन्य बातों के साथ,* सभी संबंधित व्यक्तियों से दायित्व, खरीदार (ओं) सहित, अंतरिती (ओं), अलाटी (ओं), पट्टेदार (ओं), उप-पट्टेदार (ओं), विकासकर्ता (ओं), उक्त संपत्तियों और/या उनके किसी भी हिस्से या इकाई और/या किसी अन्य संपत्तियों के किरायेदार (ओं) और/या लाइसेंसधारी, जैसा कि लेंडर और ऑब्लिगर (ओं) के बीच पारस्परिक रूप से सहमत है, समय-समय पर, किसी भी आवेदन (ओं) के अनुसार, समझौता (ओं), के लिए दस्तावेज़ और/या अनुबंध (ओं), *अन्य बातों के साथ* , बिक्री, हस्तांतरण, आवंटन, असाइनमेंट, विकास, पट्टा, उप-पट्टा, किराए पर लेना और/या उक्त संपत्तियों का लाइसेंस और/या इसके किसी भी हिस्से या इकाई और/या किसी अन्य संपत्ति के रूप में ऋणदाता और बाध्यकर्ता (ओं) के बीच पारस्परिक रूप से सहमत है।

(s) **प्रासंगिक संस्थाएं** इसका अर्थ होगा और इसमें (ए) लेंडर के प्रमोटर (ओं) शामिल होंगे, (बी) लेंडर की होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर, (ग) अन्य संस्थाएं/कंपनियां जिनमें ऐसा कोई भी प्रमोटर (ओं) प्रमोटर (ओं) और/या (घ) संबंधित संबद्ध/सहायक/होल्डिंग कंपनी/सहयोगी/समूह कंपनियां/संस्थाएं हैं, वर्तमान या भविष्य, ऋणदाता और/या (ए) में उल्लिखित संस्थाओं/कंपनियों/व्यक्तियों का, (बी) और/या (सी) ऊपर दिए गए हैं।

(t) **सैड प्रॉपर्टीज** जिसका अर्थ है संपार्श्विक के रूप में पेश की गई संपत्तियां, जैसा कि उल्लेख किया गया है **अनुसूची III** इसके तहत है।

(u) **मंजूरी पत्र** इसका मतलब ऋणदाता द्वारा जारी और उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया पत्र होगा, जिसमें पत्र में उल्लिखित प्रासंगिक नियमों और शर्तों के साथ प्रासंगिक विवरणों के साथ ऋण स्वीकृत किया जाएगा। मंजूरी पत्र इस समझौते का अभिन्न अंग होगा

(v) **सुरक्षा** जिसका अर्थ है ओब्लिगर (ओं) की संपत्ति जिस पर एक बंधक है, चार्ज करें, लोन दस्तावेज़ों के तहत ओब्लिगर (ओं) के सभी दायित्वों (ऋणदाता को उधारकर्ता के बकाया के भुगतान सहित) को पूरा करने के लिए ऋणदाता के पक्ष में ग्रहणाधिकार और/या अन्य सुरक्षा हित बनाए जाते हैं और/या बनाए जाने हैं और इसमें कोई भी गारंटी शामिल होगी।

(w) **सुरक्षा दस्तावेज** इसमें गारंटी डीड (ओं), डिमांड प्रॉमिसरी नोट, निरंतरता का पत्र, सुरक्षा के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज़ (ओं)/घोषणा (ओं)/ज्ञापन (ओं)/उपक्रम (ओं)/पावर ऑफ अटॉर्नी और/या लेंडर द्वारा नामित कोई भी दस्तावेज़ (ओं) शामिल होंगे।

जब तक कि कोई विपरीत संकेत प्रकट नहीं होता है, इस समझौते में कोई भी संदर्भ है: (ए) **लोन दस्तावेज़** या कोई अन्य समझौता या इंस्ट्रूमेंट उस दस्तावेज़ या अन्य समझौते या इंस्ट्रूमेंट का संदर्भ है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, पूरक या नया किया गया है, जिसमें ऐसे अन्य दस्तावेज़ (दस्तावेज) शामिल हैं, जिन्हें संदर्भ द्वारा इस समझौते का हिस्सा बनाया गया है। (बी) अनुभाग, खंड और अनुसूची शीर्षक केवल संदर्भ में आसानी के लिए हैं। (ग) किसी भी अन्य लोन दस्तावेज़ में या किसी भी लोन दस्तावेज़ के तहत या उसके संबंध में दी गई किसी भी सूचना में इस्तेमाल किए गए शब्द का उस दस्तावेज़ या नोटिस में वही अर्थ है जो इस समझौते में ऐसी अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है, जब तक कि उसमें परिभाषित न हो। (डी) अभिव्यक्ति उधारकर्ता (ओं), गारंटी (ओं), हाइपोथेकेटर (ओं), प्लेडगोर (ओं), जब तक कि अर्थ और संदर्भ के प्रति प्रतिकूल न हो, तब तक बंधक (ओं) या बाध्यकर्ता (ओं) में शामिल होंगे: (i) किसी कंपनी/सोसायटी/निकाय कॉर्पोरेट के मामले में, इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनमेंट; (ii) साझेदारी फर्म के मामले में, उनमें से कोई भी या प्रत्येक भागीदार और उत्तरजीवी और समय-समय पर भागीदार और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, फर्म के अनुमत असाइन और उत्तराधिकारी; (iii) स्वामित्व संबंधी चिंता के मामले में, मालिक (अपनी व्यक्तिगत क्षमता और कंपनी के मालिक के रूप में दोनों) और उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, मान्यता प्राप्त असाइन और संबंधित के उत्तराधिकारी; (iv) हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में (**एचयूएफ**), एचयूएफ के कर्ता और एचयूएफ के किसी भी या प्रत्येक वयस्क सदस्य/सह-भागीदार और उनके उत्तरजीवी और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, अनुज्ञात असाइन और उत्तराधिकारी; (वी) किसी व्यक्ति के मामले में, उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, और अनुमत असाइन किए गए हैं; (vi) ट्रस्ट के मामले में, कुछ समय के लिए ट्रस्टी (ओं), इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनमेंट; (ई) किसी भी लिंग में सभी लिंग या नपुंसक शामिल होंगे, और नपुंसक में सभी लिंग शामिल होंगे; (एफ) एकवचन संख्या में बहुवचन शामिल होगा, और बहुवचन संख्या में एकवचन शामिल होगा। (छ) किसी भी मामले की भौतिकता या ऋण दस्तावेजों में किसी भी शर्तों के उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट की घटना या किए गए किसी कार्य या साझा किए गए दस्तावेज़ की पर्याप्तता के बारे में उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में, ऋणदाता की राय अंतिम होगी और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगी। इस समझौते के प्रावधानों और मंजूरी पत्र के प्रावधानों के बीच किसी भी असंगति की स्थिति में, समझौते के प्रावधान इस तरह की असंगति की सीमा तक प्रबल होंगे। मंजूरी पत्र के शेष प्रावधान उधारकर्ता (ओं) के लिए वैलिड और बाध्यकारी रहेंगे, जैसा कि वे पहले मौजूद थे और सहमत थे।

2. ऋण और सुरक्षा

2.1.1 लोन दस्तावेज़ों के प्रावधानों के अधीन, लेंडर में बताए गए लोन को उधारकर्ता (ओं) को उधार देने के लिए सहमत होता है **शेड्यूल I** इसके तहत है। लेंडर उन सभी शर्तों को पूरा करने पर ही लोन (या इसके किसी भी हिस्से) का वितरण कर सकता है, जो लेंडर द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। लोन (कटौती के अधीन, यदि कोई हो) को पूरी तरह से या ऐसी किश्तों में वितरित किया जा सकता है जैसा कि उधारकर्ता (ओं) द्वारा लोन के वितरण के अनुरोध में उल्लेख किया गया है या ऋणदाता द्वारा उपयुक्त समझा गया है। ऋणदाता के विवेक पर, लोन (या इसका कोई भी हिस्सा) किसी भी तरीके या मोड में (1) उधारकर्ता (ओं) और/या (2) उधारकर्ता (ओं) के अन्य ऋणदाता (ओं) को वितरित किया जा सकता है, किसी भी कथित संपत्ति का डेवलपर/विक्रेता और/या (iii) ऐसे अन्य व्यक्ति को जैसा कि उधारकर्ता (ओं) द्वारा निर्देश दिया गया है (और ऐसा संवितरण उधारकर्ता (ओं) को किया गया माना जाएगा)। इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, लेंडर, अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, किसी भी कारण से इस समझौते के तहत किसी भी स्तर पर, आंशिक या पूर्ण रूप से, लोन के वितरण को रद्द और/या रोक सकता है। लोन दस्तावेज़ों के प्रावधान के अधीन, लोन की अवधि (या उसका हिस्सा) जैसा कि उल्लेख किया गया है, वैसी ही होगी **शेड्यूल I** इसके तहत है। ऋणदाता ऋणदाता को उधारकर्ता के बकाया का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होगा। उधारकर्ता सहमत होता है और पुष्टि करता है कि ऋण समीक्षा के अधीन होगा [उधारकर्ता (ओं) की कीमत पर] ऋणदाता द्वारा वार्षिक आधार पर या इतने कम समय पर जो ऋणदाता द्वारा अपने विवेक पर तय किया जा सकता है। उधारकर्ता (ओं) इस बात से सहमत हैं कि उधारकर्ता (ओं) द्वारा उक्त संपत्तियों के अधिग्रहण सहित ऋण के उद्देश्य के लिए अपना स्वयं का योगदान (जैसा कि ऋणदाता द्वारा और/या लागू कानूनों के तहत आवश्यक/निर्दिष्ट/सहमत हो सकता है) करने के बाद ही ऋण (या इसके किसी भी हिस्से) का वितरण कर सकता है और ऋणदाता के साथ इसका प्रमाण (ऋणदाता की संतुष्टि के लिए) प्रस्तुत कर सकता है। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता ऋण (या इसके किसी भी हिस्से) के संवितरण से पहले ऐसे प्रमाण की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का हकदार होगा।

2.1.2 सुरक्षित करने के लिए, ऋणदाता की संतुष्टि के लिए, ऋण दस्तावेजों के तहत बाध्यकर्ता (ओं) के सभी दायित्वों को पूरा करना, जिसमें उधारकर्ता के बकाया का भुगतान भी शामिल है, उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा तुरंत निर्माण करने का कार्य करता है, और/या बाध्यकर्ता (ओं) को तुरंत लेंडर के पक्ष में ऐसी सुरक्षा बनाने के लिए प्रेरित करेगा जैसा कि लेंडर द्वारा अनुरोध किया गया है, समय-समय पर। उधारकर्ता (ओं), और/या बाध्यकर्ता (ओं) का कारण बनेगा, (ए) तुरंत निष्पादित करें और रजिस्टर करें, यदि आवश्यक हो, इससे संबंधित उपयुक्त सुरक्षा दस्तावेज (लेंडर को स्वीकार्य प्रारूप में) और आवश्यक प्रकटीकरण फाइल करें, फॉर्म और दस्तावेज और/या कंपनियों/उपयुक्त प्राधिकरणों/स्टॉक एक्सचेंजों के संबंधित पंजीयक के साथ लेंडर के पक्ष में बनाए गए शुल्क/बोझ को पंजीकृत करें, यदि किसी कानून के तहत आवश्यक हो, ऐसी सुरक्षा के निर्माण की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर या निर्धारित समय सीमा के भीतर, जो भी पहले हो और तुरंत लेंडर को उसके सर्टिफिकेट/फ़ॉर्म प्रस्तुत करें; और (बी) इससे पहले लेंडर से लिखित अनापत्ति प्रमाणपत्र लें/प्राप्त करें, *अन्य बातों के साथ,* बिक्री, हस्तांतरण, किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों या हित या बोझ (किसी भी तरह से) का निर्माण इस तरह की सुरक्षा (या उसके किसी भी हिस्से) पर।

2.2 सुरक्षा

a) **वचन पत्र और निरंतरता पत्र की मांग करें**

इस समझौते के निष्पादन के समय, उधारकर्ता (ओं) द्वारा ऋण और उस पर ब्याज के लिए ऋणदाता के पक्ष में एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट निष्पादित किया जाएगा, साथ ही उतनी ही राशि के लिए निरंतरता पत्र भी दिया जाएगा, उधारकर्ता (ओं) द्वारा उधारकर्ता के बकाया के भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में ऋणदाता को विधिवत हस्ताक्षरित और वितरित किया जाता है। उधारकर्ता (ओं) समय-समय पर लेंडर को तुरंत निष्पादित और वितरित करेगा (जैसा कि लेंडर द्वारा अनुरोध किया जा सकता है) ऐसे दस्तावेज़ (लेंडर को स्वीकार्य प्रारूप में) यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिमांड प्रॉमिसरी नोट वैध और जीवित रहे।

b) **हाइपोथेकेशन**

उधारकर्ता हाइपोथेकेटर (ओं) का कारण बनेगा और हाइपोथेकेटर (ओं) सहमत होंगे, ऋणदाता की संतुष्टि के लिए, हाइपोथेकेट के लिए, एनकम्बर, चार्ज करें, विशेष रूप से लेंडर के पक्ष में हाइपोथेकेटेड एसेट (ओं) को गिरवी रखना और/या असाइन (सुरक्षा के माध्यम से) करना। यदि ऐसा लेंडर द्वारा आवश्यक है, ऑब्लिगर (ओं) तुरंत प्राप्तियों को सीधे एस्क्रो खाते (ओं) में जमा करेगा या जमा नहीं कराएगा (और किसी अन्य खाते में नहीं) जैसा कि लेंडर द्वारा निर्धारित/सहमत किया जा सकता है और एस्क्रो खाते (ओं) में प्राप्तियों को जमा करने और नियत तिथि (ओं) पर लेंडर के निर्दिष्ट बैंक खाते (ओं) में राशि के हस्तांतरण के संबंध में लेंडर को संतोषजनक फॉर्म में एस्क्रो समझौते (ओं) को तुरंत निष्पादित करेगा।

c) **गारंटी**

उधारकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) को ऋणदाता के पक्ष में गारंटी विलेख (ओं) (ऋणदाता को संतोषजनक रूप और सामग्री में) को तुरंत निष्पादित करने के लिए प्रेरित करेगा, जो ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणदाता (ओं) के सभी दायित्वों को पूरा करने की गारंटी देता है, जिसमें ऋणदाता को उधारकर्ता के बकाया का भुगतान भी शामिल है।

d) **शेयर्स की प्रतिज्ञा/शुल्क**

लोन दस्तावेज़ों की वैधता के दौरान हर समय, उधारकर्ता (ओं) को तुरंत बनाया जाएगा ऐसे शेयरों, प्रतिभूतियों, इंस्ट्रूमेंट (ओं) को शेयरों और/या इंस्ट्रूमेंट (ओं) में बदलने योग्य पर विशेष रूप से लेंडर के पक्ष में एक प्रथम श्रेणी की प्रतिज्ञा/शुल्क, जिसे लेंडर द्वारा आवश्यक के अनुसार कंपनी/कंपनियों द्वारा जारी/जारी किया जाना है।

2.3 सुरक्षा जारी करना

पूरे उधारकर्ता के बकाया के बिना शर्त और अपरिवर्तनीय पुनर्भुगतान/भुगतान पर, लागत और खर्च, अगर कोई, ऋणदाता द्वारा किया गया खर्च और ऋण दस्तावेजों के तहत बाध्यकर्ता (ओं) के सभी दायित्वों को पूरा करना, लेंडर निष्पादित करके लेंडर के पक्ष में ऑब्लिगर (ओं) द्वारा बनाई गई सुरक्षा को तुरंत जारी करेगा, ऑब्लिगर (ओं) की लागत पर (स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से संबंधित लागतों सहित), यदि कोई हो) ऐसे सभी दस्तावेज जिनकी उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यकता हो सकती है।

3. भुगतान/भुगतान

उधारकर्ता (ओं) संबंधित देय तिथि (ओं) पर भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार ऋणदाता को पूरे ऋण और उस पर ब्याज का पुनर्भुगतान/भुगतान करेगा यानी भुगतान किस्त (ओं) में और/या ऐसे अन्य तरीके से जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा सहमत/निर्दिष्ट किया गया है, भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार, संबंधित नियत तारीखों पर। खंड 3.2 के अधीन, उधारकर्ता (ओं) ऋण या उसके ऐसे हिस्से पर ऋणदाता को ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो समय-समय पर ऐसी ब्याज दर (ओं) पर बकाया हो सकता है जैसा कि उल्लेख किया गया है **शेड्यूल I** इसके तहत (**ब्याज दरें**)। जब तक कि समय-समय पर लेंडर द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, (ए) संवितरण की तारीख से ब्याज जमा होगा; (बी) ब्याज की गणना तीन सौ पैंसठ (365) दिनों या तीन सौ छियासठ (366) दिनों के एक वर्ष के आधार पर की जाएगी, जैसा कि मामला हो सकता है, और पिछले दिनों की वास्तविक संख्या; (ग) ब्याज की गणना मासिक विश्राम पर या ऐसे आवधिक विश्राम पर की जाएगी जो ऋणदाता द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है; और (डी) देय तिथि (ओं) पर किसी भी भुगतान डिफ़ॉल्ट के मामले में, ब्याज (मौजूदा ब्याज दर (ओं) पर) चक्रवृद्धि किया जाएगा बकाया राशि पर हर महीने . यदि लेंडर निर्दिष्ट करता है कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट (ओं) की आवश्यकता है, तो उसे ई. एम. आई. के रूप में देना होगा, ऐसी हर मासिक किस्त में मूल राशि (राशि) और ब्याज राशि (राशि) का अनुपात/अनुपात अलग-अलग हो सकता है, हालांकि, हर महीने ईएमआई राशि समान रह सकती है। उधारकर्ता (ओं) के पास मासिक आधार पर देय तिथि (ओं) पर केवल ब्याज राशि (ओं) का भुगतान/पुनर्भुगतान करने का विकल्प होगा (ए) उस तारीख तक जिस दिन पूरा लोन वितरित किया जाता है; या (बी) वह तारीख जिस पर पूरा होने का प्रमाण पत्र (उक्त संपत्तियों के संबंध में, यदि लागू हो) प्राप्त किया जाता है (और इसे तुरंत लेंडर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए); या (सी) ऐसी तारीख (जैसा कि लेंडर द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है) जिसमें से मूल राशि (ओं) का भुगतान/पुनर्भुगतान ई. एम. आई. के रूप में या भुगतान किस्त (ओं) के हिस्से के रूप में शुरू होता है, जो भी पहले हो। हालांकि,, उधारकर्ता (ओं) को प्रदान किया गया यह विकल्प ऋणदाता द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, जिसके बाद उधारकर्ता (ओं) को भुगतान किस्त (ओं) का भुगतान/पुनर्भुगतान करना होगा, जैसा कि ऋणदाता द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है [जिसमें ऋण की मूल राशि (ओं) की किस्तें शामिल होंगी]। यदि उधारकर्ता ऐसी तारीख से पहले किसी भी समय ई. एम. आई. का भुगतान शुरू करने का इरादा रखता है, जैसा कि उप-खंड संख्या (बी) और उप-खंड संख्या (सी) में उल्लेख किया गया है, तो उधारकर्ता (ओं) को इस संबंध में ऋणदाता को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

3.2 ऋण दस्तावेजों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ऋणदाता परिवर्तन करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखता है, संशोधन करें, वृद्धि और/या भिन्नता, समय-समय पर, ब्याज दर (ओं) (बेंचमार्क दर (ओं) और/या प्रसार को बदलने/बदलने/बदलने सहित) संभावित रूप से। बेंचमार्क दरें बदलाव/संशोधन/संशोधन/बदलाव के अधीन हैं, समय-समय पर, फंड की लागत सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, ब्याज दर का आउटलुक, लिक्विडिटी, परिचालन/प्रशासनिक खर्च, बाजार की स्थिति/अस्थिरता, प्रतियोगी समीक्षा, जैसा कि लेंडर द्वारा निर्धारित किया गया है, आदि। लेंडर स्प्रेड के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन में बदलाव/संशोधन/बदलाव (वृद्धि या कमी) कर सकता है, व्यावसायिक आवश्यकताएं या कोई बाहरी या आंतरिक कारक जिसमें लोन के प्रकार शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, प्रदान की गई सुरक्षा का प्रकार, सुरक्षा कवर में बदलाव, किसी भी भौतिक प्रतिकूल घटनाओं का होना, उधारकर्ता (ओं) और/या सह-उधारकर्ता (ओं) के ब्यूरो स्कोर और जोखिम श्रेणी में परिवर्तन, उधारकर्ता (ओं) की जोखिम प्रोफ़ाइल में परिवर्तन, रोजगार में भौतिक परिवर्तन, उधारकर्ता का व्यवसाय या पेशा, क्रेडिट प्रदर्शन में गिरावट, लोन लेते समय उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई घोषणा के विपरीत फंड के अंतिम उपयोग में विचलन, प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित अचल संपत्ति के निर्माण का पूरा न होना, उधारकर्ता (ओं) के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, शेयर पूंजी, लाभ-साझाकरण और/या प्रबंधन/नियंत्रण/स्वामित्व/भागीदार/मालिक (ओं) में परिवर्तन, दंड/कानूनी निहितार्थ/संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू की गई प्रतिकूल कार्रवाई/लंबित मुकदमेबाजी या टैक्स के भुगतान में चूक, सुरक्षा का उप-प्रभाग, लेंडर की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को सुरक्षा का पट्टा/उप-पट्टा/किराया/लाइसेंस, किसी भी प्रकृति के दंडात्मक शुल्क लगाने वाली परिस्थितियां भी बढ़ते जोखिम का संकेत देंगी, क्रेडिट ग्रेडिंग में गिरावट, व्यवसाय के विशेष सेगमेंट में क्रेडिट और/या डिफ़ॉल्ट जोखिम में वृद्धि, व्यापार या उद्योग या विशेष क्षेत्र/स्थान या अनियमित पुनर्भुगतान और अपराध की किसी भी पूल स्तर की प्रवृत्ति, प्रदान की गई सुरक्षा के मूल्य का मूल्यह्रास, लेंडर के पक्ष में सुरक्षा बनाने/पूरी करने में विफलता (जिसमें सुरक्षा निर्माण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न करना/पूरा न करना शामिल है), लोन दस्तावेज़ों या लागू कानूनों के उल्लंघन में सुरक्षा के रूप में पेश की गई अचल संपत्ति की प्रकृति में कोई बदलाव या उपयोग, आंतरिक नीतियों में परिवर्तन, मुद्रा बाजार की स्थितियों/आर्थिक चक्र या उपरोक्त परिस्थितियों के समान किसी भी घटना में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन, जो क्रेडिट और/या व्यावसायिक जोखिम को बढ़ा सकता है। ब्याज दर (ओं) में कोई भी बदलाव (बेंचमार्क दर (ओं) और/या स्प्रेड सहित) बाद में समान मासिक किस्त (ओं) की राशि और/या लोन की अवधि या दोनों के संयोजन (लेंडर के विवेक पर) पर प्रभाव डाल सकता है। लेंडर (लेंडर की वेबसाइट पर या किसी अन्य तरीके से ईमेल या अपडेशन द्वारा) सूचित करेगा उधारकर्ता (ओं) को ऋण दस्तावेजों के तहत देय संशोधित ब्याज दर (ओं) और यह ऋणदाता (ओं) द्वारा निर्दिष्ट की गई तारीखों से बाध्यकारी (ओं) पर बाध्यकारी होगी। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता (ओं) के पास यह विकल्प होगा कि वह (1) ई. एम. आई. राशि में वृद्धि या अवधि का विस्तार या दोनों विकल्पों का संयोजन, जैसा कि लेंडर द्वारा अनुमति दी जा सकती है; और/या (2) आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर उधारकर्ता (ओं) से कोई जवाब न मिलने की स्थिति में, लेंडर अपने विवेक पर, ब्याज दर (ओं) में बदलाव के प्रभाव को ईएमआई राशि और/या लोन की अवधि या दोनों पर पारित कर सकता है।

3.3A लोन दस्तावेज़ के प्रावधानों के अधीन, लेंडर, उधारकर्ता (ओं) के अनुरोध पर या आवश्यकता के अनुसार, उधारकर्ता (ओं) को लोन की अवधि के दौरान स्प्रेड (ओं) को संशोधित करने का विकल्प प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले में, उधारकर्ता (ओं) के पास आवश्यक सत्यापन और शुल्क के भुगतान और अतिरिक्त दस्तावेजों के निष्पादन के अधीन संभावित प्रभाव के साथ लोन के खिलाफ संशोधित स्प्रेड (ओं)/स्विच सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प होगा, जैसा कि लेंडर द्वारा आवश्यक हो सकता है (लेंडर को संतोषजनक प्रारूप में), इस संबंध में। यह उधारकर्ता (ओं) की ज़िम्मेदारी होगी कि वह समय-समय पर स्प्रेड (ओं) और बेंचमार्क दर (ओं) की स्विच सुविधा/संशोधन के बारे में खुद को सूचित करे। कृपया ध्यान दें कि लोन (ओं) के खिलाफ स्प्रेड (ओं) में कमी/संशोधन के लिए विकल्प/स्विच सुविधा प्रदान करना लेंडर का एकमात्र विवेक होगा और इस तरह, लेंडर के पास किसी भी समय इसे अस्वीकार/निकालने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.3B लेंडर मई, अपने विवेकाधिकार पर, ब्याज दरों की समीक्षा करें और उन्हें कम करें या प्रतिभूतिकृत ऋण (ओं) के प्रसार को उपयुक्त रूप से बदलें, सह-ऋण व्यवस्था या किसी अन्य व्यवस्था या किसी अन्य व्यवस्था के तहत स्थानांतरित या असाइन किया गया है जहां पार्टनर बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा लोन (ओं) के खिलाफ ब्याज दर में कमी के कारण मार्जिन/स्कोप है।

3.4 लोन दस्तावेज़ों के तहत ऑब्लिगर (ओं) द्वारा देय सभी राशियों का भुगतान किसी भी प्रतिबंध या शर्त से मुक्त और बिना किसी कटौती या रोक के किया जाएगा, चाहे टैक्स के कारण हो या अन्यथा (स्रोत पर कटौती किए गए इनकम टैक्स को छोड़कर)। यदि ऑब्लिगर (ओं) कानून द्वारा ऐसी किसी भी राशि (स्रोत पर कटौती किए गए इनकम टैक्स को छोड़कर) से कोई कटौती या रोक लगाने के लिए बाध्य हैं, फिर ऑब्लिगर (ओं) द्वारा देय राशि को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमा तक बढ़ाया जाएगा, ऐसी कटौती या रोक लगाने के बाद, लेंडर (कुल शुद्ध आय पर टैक्स को छोड़कर किसी भी देनदारी से मुक्त) एक शुद्ध राशि प्राप्त करता है और उसे बरकरार रखता है, जो लेंडर को प्राप्त होती और इसलिए उसे बनाए रखा जाता है, अगर ऐसी किसी कटौती या रोक की आवश्यकता या आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जो लोन दस्तावेज़ों में निहित है, ऑब्लिगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सहित सभी लागू टैक्स (स्रोत पर काटे गए इनकम टैक्स को छोड़कर) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, यदि लागू हो, ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को बाध्यकर्ता (ओं) द्वारा देय सभी राशियों पर।

लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, ऑब्लिगर (ओं) नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच)/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से उधारकर्ता के बकाया का भुगतान/भुगतान करेगा / लोन दस्तावेज़ (यदि कोई हो)/आरटीजीएस/किसी अन्य विधि के तहत बनाए गए एस्क्रो अकाउंट (ओं) के माध्यम से, जैसा कि लेंडर द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है और यह ऑब्लिगर (ओं) पर बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता (ओं) सहमत होते हैं और तुरंत जारी करने का कार्य करते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच)/इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के लिए बैंक को नए स्थायी निर्देश और/या नए निर्देश, जैसा कि मामला हो सकता है, जैसा कि लेंडर द्वारा अनुरोध किया जा सकता है। इसके विपरीत, सभी भुगतान/राशि ऋणदाता द्वारा ऋण दस्तावेजों के तहत तभी प्राप्त की गई मानी जाएगी जब ऐसे भुगतान/राशि वास्तव में ऋणदाता के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा/स्थानांतरित की जाती है। यदि बाध्यकर्ता (ओं) लेंडर की पूर्व सहमति के बिना ऐसे भुगतान/पुनर्भुगतान मोड (ओं) को रद्द या रद्द करने या रद्द करने का प्रयास करते हैं, लेंडर को लेंडर के अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऑब्लिगर (ओं) के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता (ओं) ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट/सहमति के अनुसार ऋणदाता को अपमानजनक शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करेगा।

3.6 ए। जहां उधारकर्ता एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) है जैसा कि इनकम टैक्स अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, उधारकर्ता (आई) सामान्य बैंकिंग चैनलों या एनआरई में डेबिट के माध्यम से विदेशी इनवर्ड रेमिटेंस के माध्यम से लेंडर द्वारा निर्धारित मार्जिन लाएगा, एफसीएनआर, उधारकर्ता का एनआरओ खाता (ii) सामान्य बैंकिंग चैनलों का उपयोग करके विदेशी इनवर्ड रेमिटेंस के माध्यम से लोन चुकाना, एनआरई का डेबिट, एफसीएनआर, एनआरओ या उस संपत्ति से किराये/पट्टे से होने वाली आय जिसे लेंडर द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। अगर उधारकर्ता लोन की अवधि के दौरान स्थायी निपटान के लिए भारत लौटता है, तो लेंडर उधारकर्ता को भारत में स्थायी निपटान के सबूत प्रदान करने वाले उधारकर्ता पर स्थानीय स्रोतों से लोन चुकाने की अनुमति दे सकता है। अगर लोन की अवधि के दौरान कोई व्यक्तिगत उधारकर्ता एनआरआई बन जाता है, तो इस क्लॉज के प्रावधान अपने आप शुरू हो जाएंगे। जहां कोई एनआरआई जो स्थायी निपटान के लिए भारत लौट आया है, भारत में स्थायी निपटान को छोड़ देता है और एनआरआई बन जाता है, तो उपरोक्त उप-धारा के प्रावधान उधारकर्ता को फिर से लागू होंगे। इनकम टैक्स अधिनियम के तहत एनआरआई की परिभाषा इस समझौते पर लागू होगी।

B. यदि उधारकर्ता एक एनआरआई है जिसके पास आवेदन में बताए गए विवरण के अनुसार भारतीय पासपोर्ट है और वह भारत का निवासी नहीं है और आवेदन में बताए गए देश का निवासी है, ऐसे देश के निवास परमिट के तहत जो इस समझौते की तारीख को मान्य है और जिसके पास ऐसे देश का वैध रोजगार अनुबंध या व्यवसाय लाइसेंस है और वह रोजगार में रहा है/ऐसे देश में व्यवसाय या छुट्टी पर जा रहा है या जो भारत के बाहर रहने की अनिश्चित अवधि का संकेत देने वाली परिस्थितियों में किसी भी उद्देश्य के लिए विदेश में रहता है।

सी। उधारकर्ता उधारकर्ता के निवास के देश में किसी भी बदलाव के बारे में उधारकर्ता को सूचित करेगा जैसा कि इसके तहत अनुसूची I में बताया गया है या उधारकर्ता रोजगार या व्यवसाय या किसी अन्य देश में लंबी अवधि के प्रवास के लिए ऐसे निवास देश को छोड़ रहा है।

डी. इस समझौते में कुछ भी होने के बावजूद, अगर उधारकर्ता भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है और उसे किसी अन्य देश की नागरिकता या विदेशी पासपोर्ट मिल जाता है, तो उधारकर्ता लोन की पूरी बकाया राशि तुरंत चुका देगा।

4 यदि कोई भी बाध्यकर्ता (ओं) लोन दस्तावेज़ों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है (जिसमें कोई देरी शामिल है) जिसमें प्रतिभूति बनाने और उसे पूरा करने में विफलता और/या दिए गए देय तिथि (ओं) पर किसी भी लोन दस्तावेज़ के तहत उसके/उनके द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफलता और/या अगर लोन दस्तावेज़ों के तहत चूक की कोई घटना होती है। उधारकर्ता दंडात्मक शुल्कों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा (भुगतान चूक के मामले में सकल चूक राशि पर और/या अन्य चूक/चूक की घटना के मामले में बकाया लोन पर) (**दंडात्मक आरोप**), शुल्कों के अनुसार, विशेष रूप से उल्लेख किया गया है **शेड्यूल I** इसके तहत या ऐसे संशोधित शुल्कों पर जो समय-समय पर लेंडर की पॉलिसी में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और ऐसे दंड शुल्क चूक की अवधि के लिए देय होंगे। इस खंड के तहत उपार्जित कोई भी दंडात्मक शुल्क उधारकर्ता (ओं) द्वारा तुरंत देय होगा। बशर्ते कि दंडात्मक शुल्कों का भुगतान करने का दायित्व उधारकर्ता (ओं) को एक बचाव स्थापित करने का हकदार नहीं होगा जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट/उल्लंघन/डिफ़ॉल्ट की घटना नहीं हुई है। उधारकर्ता (ओं) द्वारा देय दंड शुल्क इस समझौते के खंड 3 के तहत देय ब्याज के अलावा होंगे। उपरोक्त दंड शुल्क (यदि भुगतान नहीं किया गया है) प्रत्येक महीने के अंत में अर्जित किए जाएंगे लेकिन तुरंत देय और देय रहेंगे। विभिन्न दंडात्मक और अन्य शुल्कों की जानकारी लेंडर द्वारा समय-समय पर सूचित की जाएगी और लेंडर की वेबसाइट पर भी एक्सेस किया जा सकता हैः https://www.sammaancapital.com/home-loan-fees-and-charges जब तक कि लोन दस्तावेज़ों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस समझौते के तहत दंडात्मक शुल्कों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं कोई भी राशि, ब्याज, डिफ़ॉल्ट राशि उचित है और दंडात्मक आरोप ऋणदाता द्वारा किए जाने वाले नुकसान के वास्तविक पूर्व-अनुमान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

4ए। कोई नोटिस नहीं, उधारकर्ता के बकाया को चुकाने/भुगतान करने के अपने दायित्व के बारे में बाध्यकर्ता (ओं) को अनुस्मारक या सूचना दी जाएगी और यह पूरी तरह से बाध्यकर्ता (ओं) की जिम्मेदारी होगी कि वह ऋणदाता को देय होने पर और ऋण दस्तावेजों में प्रदान किए गए तरीके से देय ऐसी राशि का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करे।

5. ऋणदाता उधारकर्ता (ओं) को तुरंत या कम अवधि में और एकमुश्त या ऐसी उपयुक्त किस्त (ओं) में उधारकर्ता के बकाया (या इसके किसी भी हिस्से) को चुकाने/भुगतान करने के लिए कॉल कर सकता है/मांग कर सकता है, जो ऋण की अवधि के बावजूद ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। उधारकर्ता (ओं) इस खंड के तहत उधारकर्ता (ओं) को ऋणदाता द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट तिथि (ओं) पर उधारकर्ता के बकाया (या उसके किसी भी हिस्से) का भुगतान/पुनर्भुगतान करने का कार्य करता है। लेंडर द्वारा इस तरह के लोन रिकॉल (आंशिक या पूर्ण रूप से) के मामले में, उधारकर्ता द्वारा कोई प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क/जुर्माना देय नहीं होगा। अगर ऋणकर्ता लोन (या उसके किसी भी हिस्से) का कोई पूर्व भुगतान/फोरक्लोज़र करना चाहता है, तो उधारकर्ता ऋणदाता को 15 (पंद्रह) दिनों की अग्रिम सूचना देने के लिए सहमत होता है। किसी भी लागू कानून के अधीन, उधारकर्ता (ओं) लेंडर को पूर्व भुगतान/फोरक्लोज़र शुल्क/प्रीमियम, यदि कोई हो, का तुरंत भुगतान करेगा **शेड्यूल I** इसके तहत यदि ऋण (या इसके किसी भी हिस्से) का कोई पूर्व भुगतान/फोरक्लोज़र ऑब्लिगर (ओं) द्वारा किया जाता है।

6. इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जो लोन दस्तावेज़ों में निहित है, ऑब्लिगर (ओं) सहमत हैं और स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का कार्य करते हैं, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, उस पर जुर्माना और लोन दस्तावेज़ों के संबंध में लेंडर को देय कोई अन्य शुल्क/लागत/खर्च। इसके अलावा, ओब्लिगर (ओं) लेंडर को भुगतान करने/क्षतिपूर्ति करने का कार्य करता है, ऑब्लिगर (ओं) द्वारा मांग की प्राप्ति की तारीख से सात (07) दिनों के भीतर, ऐसा कोई भी स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, उस पर जुर्माना, खर्च, इस तरह के भुगतान न करने और/या स्टाम्प शुल्क और/या पंजीकरण शुल्क और/या किसी अन्य शुल्क के भुगतान के कारण लेंडर द्वारा किया गया कोई अन्य नुकसान और/या दायित्व, लागत, लोन दस्तावेज़ों के संबंध में ऑब्लिगर (ओं) द्वारा किए गए खर्च। यदि ओब्लिगर सात (07) दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर लेंडर को अपेक्षित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, ऑब्लिगर (ओं) ऐसी राशि पर उसी ब्याज दर (ओं) पर दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जैसा कि इस समझौते के तहत लोन पर लागू है/था। यह स्पष्ट किया

जाता है कि इस खंड के तहत देय दंडात्मक शुल्कों का भुगतान ओब्लिगर (ओं) द्वारा लेंडर को उपरोक्त भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए किया जाएगा। यह क्लॉज लोन दस्तावेज़ों की समाप्ति तक जीवित रहेगा।

7. उधारकर्ता (ओं), मांग के तीन (03) दिनों के भीतर, किसी भी लागत के लिए लेंडर को क्षतिपूर्ति करें, खर्च, किसी भी डिफ़ॉल्ट/उल्लंघन/डिफ़ॉल्ट की घटना के परिणामस्वरूप किसी भी लोन दस्तावेज़ के तहत या उसके संबंध में लेंडर द्वारा की गई हानि और/या देयता, जिसमें किसी भी घटना की जांच के लिए लेंडर द्वारा की गई लागत के संबंध में भी शामिल है, जिसे वह उचित रूप से मानता है कि यह एक डिफ़ॉल्ट/उल्लंघन है; या किसी नोटिस पर भरोसा करना, अनुरोध या निर्देश जिसे वह उचित रूप से वास्तविक मानता है, सही और उचित रूप से अधिकृत। यह क्लॉज लोन दस्तावेज़ों की समाप्ति तक जीवित रहेगा।

8. इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, उधारकर्ता (ओं) में बताई गई राशि का भुगतान करेगा **शेड्यूल I** इसके तहत प्रसंस्करण शुल्क के रूप में। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि लेंडर लोन (या इसके किसी भी हिस्से) के संवितरण पर लोन राशि से अग्रिम प्रोसेसिंग शुल्क में कटौती करने का हकदार होगा और सभी परिस्थितियों में लेंडर द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उधारकर्ता लोन दस्तावेज़ों की बातचीत, तैयारी, मुद्रण और निष्पादन के संबंध में लेंडर द्वारा उचित रूप से किए गए सभी लागतों और खर्चों (कानूनी शुल्कों सहित) का मांग पर तुरंत लेंडर को भुगतान करेगा। उधारकर्ता, मांग के तीन (03) दिनों के भीतर, ऋणदाता को किसी भी ऋण दस्तावेज़ के तहत किसी भी अधिकार के प्रवर्तन या संरक्षण के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए सभी लागतों और खर्चों (कानूनी शुल्क सहित) का भुगतान करेगा। उधारकर्ता (ओं) ऋणदाता को किसी भी अन्य शुल्क/शुल्क का भी तुरंत भुगतान करेगा जैसा कि ऋण दस्तावेजों और/या ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

9. उधारकर्ता (ओं) (अपने लिए/स्वयं के लिए और दायित्वकर्ता (ओं) की ओर से) इसके द्वारा ऋणदाता को निम्नलिखित अभ्यावेदन और वारंटी देता हैः

9.1 ऑब्लिगर (ओं) का संविधान, स्थिति, और लोन दस्तावेज़ों में उल्लिखित अन्य विवरण सही हैं और बाध्यकर्ता (ओं) लागू कानूनों के तहत विधिवत व्यवस्थित और वैध रूप से शामिल हैं और/या लागू कानूनों (जैसा भी मामला हो) के तहत कानूनी रूप से सक्षम हैं। उधारकर्ता (ओं) और प्रत्येक बाध्यकर्ता (ओं) के पास अपनी संपत्ति के मालिक होने और अपने व्यवसाय और/या रोजगार को जारी रखने की शक्ति और अधिकार है जैसा कि वे सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत संचालित किए जा रहे हैं। ऑब्लिगर (ओं) इस बात से सहमत हैं कि लोन दस्तावेज़ों की वैधता के दौरान ऑब्लिगर (ओं) के संविधान/स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। ओब्लिगर (ओं) लोन दस्तावेज़ों में विचार किए गए लेनदेन के संबंध में आवश्यक लेंडर संकल्प (यदि लागू हो) प्रस्तुत करेंगे।

9.2 प्रत्येक लोन दस्तावेज़ में ऑब्लिगर (ओं) के दायित्व कानूनी, वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय दायित्व होंगे और ऑब्लिगर (ओं), ऑब्लिगर (ओं) के खिलाफ प्रवर्तनीय होंगे उत्तराधिकारी, निष्पादक, उत्तराधिकारी, असाइन और संपत्ति जैसे कि वे ऐसे ऋण दस्तावेजों के पक्षकार रहे हों। लोन दस्तावेज़ों के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर या उसके बाद, लेंडर ऐसी शर्तों पर और इस तरह से सिक्योरिटी (या इसके किसी भी हिस्से) को बेचने या उसका निपटान करने का हकदार होगा, जो लेंडर को उचित लगे। प्रत्येक सुरक्षा दस्तावेज़ वैध रूप से सुरक्षा बनाता है/बनाएगा जिसे उस दस्तावेज़ द्वारा बनाए जाने के लिए व्यक्त किया जाता है। उधारकर्ता (ओं) अपनी लागत पर और लेंडर या लेंडर के किसी भी नॉमिनी के पक्ष में, किसी भी अतिरिक्त/अतिरिक्त/नए विलेख/दस्तावेज़ आदि को निष्पादित करेगा और करेगा। जब भी ऋणदाता द्वारा ऋण/उधारकर्ता के बकाया/प्रतिभूति के संबंध में ऐसा करने की आवश्यकता हो। उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बाध्यकर्ता (ओं), प्रतिभूति रखने और/या ऋणदाता के पक्ष में उस पर शुल्क/बंधक/गिरवी रखने के कारण, किसी भी लागू कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

9.3 लोन दस्तावेज़ों की वैधता के दौरान हर समय, उधारकर्ता (ओं) को यह करना होगा और/या बाध्यकर्ता (ओं) को ऐसे जोखिमों और आकस्मिकताओं से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ प्रासंगिक सुरक्षा का तुरंत बीमा कराने के लिए प्रेरित करेगा, जैसा कि लेंडर उचित समझता है, एक बीमाकर्ता के साथ लेंडर को स्वीकार्य है और लेंडर के पक्ष में ऐसी पॉलिसी को असाइन/एंडोर्स करेगा। ऑब्लिगर (ओं) तुरंत लेंडर (ए) को ऐसे इंश्योरेंस (परिवर्तनों सहित) के संबंध में सभी दस्तावेजी सबूत सौंप देंगे, यदि लेंडर के अनुरोध पर ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई किया गया है) और/या पहले नुकसान पाने वाले के रूप में लेंडर के पक्ष में इंश्योरेंस का असाइनमेंट/एंडोर्समेंट; और (बी) इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, सिक्योरिटी के संबंध में इंश्योरेंस कंपनी/इंश्योरर से प्राप्त कोई भी पैसा। ऑब्लिगर (ओं) इसके द्वारा लेंडर को अधिकृत करता है (और इसके संबंध में ऑब्लिगर (ओं) की कीमत पर ऐसे आगे के दस्तावेजों को निष्पादित करने का कार्य करता है) ऐसे इंश्योरेंस के तहत क्लेम (ओं) करने/दर्ज करने और इसके तहत इंश्योरेंस कंपनी/इंश्योरर से सभी राशि प्राप्त करने के लिए। उपरोक्त के अलावा, उधारकर्ता (ओं) एक प्रतिष्ठित बीमाकर्ता के साथ बाजार में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार ऐसे जोखिमों और आकस्मिकताओं से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ अपने व्यवसाय (यदि कोई हो) का बीमा करेगा और लोन की अवधि के दौरान ऐसे बीमा को बनाए रखने और/या नवीनीकरण करने के लिए आवश्यक सभी प्रीमियम का समय पर भुगतान करेगा और ऋणदाता के पक्ष में इसका समर्थन/असाइन करेगा।

9.4 ऑब्लिगर (ओं) द्वारा प्रवेश और प्रदर्शन और उनके द्वारा विचार किए गए लेनदेन, लोन दस्तावेज़ (ए) किसी भी लागू कानूनों के साथ संघर्ष नहीं करते हैं और न ही करेंगे, नियम या विनियम; (ख) इसके संवैधानिक दस्तावेज; और/या (ग) कोई समझौता या साधन जो उन पर या उनकी किसी संपत्ति पर बाध्यकारी है। ऑब्लिगर (ओं) को कानूनी रूप से प्रवेश करने में सक्षम करने के लिए आवश्यक या वांछनीय सभी प्राधिकरण, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और लोन दस्तावेज़ों में अपने दायित्वों का पालन करें और लोन दस्तावेज़ों को सबूत में स्वीकार्य बनाने के लिए प्राप्त या प्रभावित किया गया है और पूरी तरह से लागू और प्रभावी हैं।

9.5 कोई अन्य घटना या परिस्थिति बकाया नहीं है जो किसी अन्य समझौते या इंस्ट्रूमेंट के तहत डिफ़ॉल्ट का गठन करती है जो ऑब्लिगर (ओं) या उनकी किसी भी सहायक कंपनी पर बाध्यकारी है या जिसके लिए इसकी संपत्ति (या इसकी किसी भी सहायक कंपनी की संपत्ति) के अधीन है जिसका भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है और कोई मुकदमा नहीं है, किसी भी अदालत के समक्ष मध्यस्थता या प्रशासनिक कार्यवाही, मध्यस्थ निकाय या एजेंसी जो, यदि प्रतिकूल रूप से निर्धारित, एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

9.6 किसी भी ऑब्लिगर (ओं) द्वारा लेंडर को प्रदान किए गए सभी वित्तीय अनुमान और बिजनेस प्लान हाल की ऐतिहासिक जानकारी और उचित धारणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं/किए गए हैं। ऑब्लिगर (ओं) द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है/हैं, दी गई तारीख के अनुसार पूर्ण और सटीक है और किसी भी तथ्यात्मक जानकारी से कुछ भी नहीं हुआ है या इसे हटा दिया गया है और कोई भी जानकारी नहीं दी गई है या रोक दी गई है जिसके परिणामस्वरूप लेंडर को दी गई जानकारी किसी भी भौतिक संबंध में असत्य या भ्रामक है। ऑब्लिगर (ओं) के ऑडिट/अनऑडिटेड समेकित वित्तीय विवरण लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। लेंडर को सबमिट किए गए ऑडिट/अनऑडिटेड समेकित वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली वित्तीय स्थितियों और/या संचालन में कोई भौतिक प्रतिकूल बदलाव नहीं हुआ है।

9.7 लोन दस्तावेज़ों के संबंध में की जाने वाली किसी भी कार्यवाही में, ऑब्लिगर (ओं) अपने लिए या अपनी किसी भी संपत्ति के लिए किसी भी मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से प्रतिरक्षा का दावा करने का हकदार नहीं होगा। लोन दस्तावेज़ों का ऑब्लिगर (ओं) निष्पादन निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और किए गए निजी और वाणिज्यिक कृत्यों का गठन करेगा, और इसके/उनके अधिकारों का प्रयोग और इसके/उनके दायित्वों का प्रदर्शन होगा।

9.8 सभी बाध्यकारी दस्तावेजों और लागू कानूनों के अधीन, उधारकर्ता (ओं) केवल उद्देश्य के लिए समझौते के तहत उधार ली गई सभी राशियों को लागू करेगा। ऋण के अंतिम उपयोग के संबंध में, उधारकर्ता (ओं) तुरंत ऋणदाता को प्रदान करेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट/इसके सांविधिक लेखा परीक्षकों और/या उधारकर्ता (ओं) द्वारा अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र (ओं) (लेंडर को स्वीकार्य प्रारूप में), जैसा कि समय-समय पर लेंडर द्वारा आवश्यक होता है। उपरोक्त के अलावा, लेंडर उधारकर्ता (ओं) और/या लेंडर के वैधानिक ऑडिटर (ओं) से इस तरह के एंड-यूज़ सर्टिफिकेट (ओं) प्राप्त करने का भी हकदार होगा। यह मुख्य रूप से उधारकर्ता (ओं) की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र (ओं) को लेंडर को तुरंत वितरित किया जाए। ऐसे किसी भी अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र (ओं) की लागत केवल उधारकर्ता (ओं) द्वारा वहन की जाएगी और/या ऋणदाता को तुरंत प्रतिपूर्ति की जाएगी, अगर ऐसी लागत ऋणदाता द्वारा वहन की जाती है।

9.9 उधारकर्ता यह घोषणा करता है और यह कार्य करता है कि (ए) (जहां उधारकर्ता (ओं) एक व्यक्ति है) उधारकर्ता (ओं) किसी निदेशक और/या ऋणदाता के वरिष्ठ अधिकारी के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी या रिश्तेदार नहीं हैं, (बी) (जहां उधारकर्ता (ओं) एक फर्म है) लेंडर के निदेशक (ओं) और/या वरिष्ठ अधिकारी (ओं) या उनके रिश्तेदार (ओं) में से किसी का भी कोई हित नहीं है, जो भी हो, एक भागीदार के रूप में उधारकर्ता (ओं) की फर्म में, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर, (ग)

(जहां उधारकर्ता (ओं) एक कंपनी है) ऋणदाता के निदेशक (ओं) और/या वरिष्ठ अधिकारी (ओं) या उनके रिश्तेदारों में से किसी का कोई हित नहीं है, जो भी हो, उधारकर्ता (ओं) की कंपनी में (या किसी कंपनी में), सहायक या होल्डिंग कंपनी होने के नाते) एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में, निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर।

9.10 कि उक्त संपत्ति के संबंध में उधारकर्ता के अपने योगदान की राशि सहित सभी राशि, साथ ही लोन के लिए प्रदान की गई कोई भी सुरक्षा, यह वैध स्रोतों के माध्यम से होगा और यह मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं है (जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के संदर्भ में समझा गया है), 2002) या लागू कानून के तहत कोई अन्य अपराध।

9.11 अभ्यावेदन और वारंटी (लोन दस्तावेज़ों में दी गई) बनाई जाती हैं और उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान तक निरंतर आधार पर मान्य होंगी।

10. इस समझौते में उपक्रम इस समझौते की तारीख से तब तक लागू रहेंगे जब तक कि लोन दस्तावेज़ों के तहत कोई भी राशि बकाया है।

10.1 जैसे ही यह उपलब्ध होगा, ओब्लिगर (ओं) लेंडर (ए) को आपूर्ति करेगा, लेकिन ऑब्लिगर (ओं) की संपत्ति/वित्तीय विवरण का पिछला विवरण जमा करने की तारीख से छह (6) महीनों के बाद नहीं, उस वित्तीय अर्ध वर्ष के लिए ऑब्लिगर (ओं) की संपत्ति/वित्तीय विवरण का विवरण; और (बी) जैसे ही वे उपलब्ध होते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अपने वित्तीय वर्ष के अंत के बाद एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर, उस वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किया गया समेकित वित्तीय विवरण/संपत्ति का विवरण/इनकम टैक्स रिटर्न। ऑब्लिगर (ओं) द्वारा लेंडर को दिए गए ऑडिट/अनऑडिटेड समेकित वित्तीय विवरण/संपत्ति के विवरण के प्रत्येक सेट को प्रमाणित किया जाएगा कि वह उस तारीख तक अपनी वित्तीय स्थिति का निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करता है, जिस दिन ऐसे वित्तीय विवरण या संपत्ति का विवरण (जैसा भी मामला हो) तैयार किया गया था।

10.2 ऑब्लिगर (ओं) को पता चलने पर तुरंत लेंडर (ए) को आपूर्ति करनी होगी, किसी भी मुकदमे का विवरण, मध्यस्थता या प्रशासनिक कार्यवाही जो वर्तमान हैं, किसी भी बाध्यकर्ता (ओं) के खिलाफ धमकी दी गई या लंबित है, और जो हो सकता है, यदि प्रतिकूल रूप से निर्धारित, एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव है; और (बी) तुरंत, वित्तीय स्थिति के बारे में ऐसी और जानकारी, जैसे कि लेंडर उचित रूप से अनुरोध कर सकता है, किसी भी ऑब्लिगर (ओं) की आवधिक प्रगति रिपोर्ट सहित व्यवसाय और संचालन।

10.3 ऑब्लिगर (ओं) को इसकी घटना के बारे में पता चलने पर लेंडर को किसी भी डिफ़ॉल्ट (और इसे ठीक करने के लिए उठाए जा रहे कदम, यदि कोई हो) के बारे में तुरंत सूचित करना होगा। लेंडर के अनुरोध पर तुरंत, ऑब्लिगर लेंडर को यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा कि कोई डिफ़ॉल्ट जारी नहीं है (या यदि कोई डिफ़ॉल्ट जारी है, तो डिफ़ॉल्ट और यदि कोई हो, तो इसे ठीक करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को निर्दिष्ट करता है)।

10.4 उधारकर्ता (ओं) तुरंत प्रदान करने का कार्य करता है, और/या ऑब्लिगर (ओं) को तुरंत प्रदान करने का कारण बनता है, लेंडर को सभी दस्तावेज़ और जानकारी जो किसी भी लागू कानूनों के तहत या किसी भी नियामक/प्राधिकरण द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानें दिशानिर्देशों के संदर्भ में आवश्यक हो सकती है और लोन दस्तावेज़ों की वैधता के दौरान हर समय अपडेट रहती है।

उधारकर्ता उन सभी दस्तावेजों और जानकारी को प्रदान करने का कार्य करता है जो ऋणदाता द्वारा मांगी जा सकती हैं, लागू कानून के अनुसार, जिसमें समय-समय पर संशोधित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के दिशानिर्देश/नियम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। लोन लेते समय उधारकर्ता (ओं) द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेज़ों में किसी भी तरह के बदलाव/अपडेट के मामले में, उधारकर्ता (ओं) तुरंत प्रस्तुत करने और/या बाध्यकर्ता (ओं) को प्रस्तुत करने का कार्य करता है, लेंडर को दस्तावेज़ों के अपडेट होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे दस्तावेज़ों की अपडेट की गई कॉपी।

10.6 उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से अपने/अपने एक्सप्रेस प्रदान करते हैं, मुफ्त और बिना शर्त सहमति/प्राधिकरण, और उधारकर्ता (ओं) अन्य ओब्लिगर (ओं) को अपना एक्सप्रेस देने के लिए प्रेरित करेगा, मुफ्त और बिना शर्त सहमति/प्राधिकरण, केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से उधारकर्ता (ओं) और/या दायित्वकर्ता (ओं) (उधारकर्ता (ओं) और/या दायित्वकर्ता (ओं) के सीकेवाईसी रिकॉर्ड सहित) के संबंध में कोई भी जानकारी डाउनलोड करने और/या प्राप्त करने के लिए ऋणदाता को।

उधारकर्ता यह वचन देता है कि उधारकर्ता (ओं) ऋणदाता को रोजगार, व्यवसाय या पेशे में किसी भी बदलाव के बारे में पहले से ही लिखित रूप में सूचित करेगा।

10.8 उधारकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से कार्य करता है और सहमत होता है, और/या बाध्यकर्ता (ओं) को अपरिवर्तनीय रूप से ऐसा करने और सहमत होने का कारण बनेगा, लेंडर को, हर समय, संचालन (आंतरिक रूप से और/या किसी तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक (ओं) के उपयोग के साथ) करने के लिए पूरी तरह से हकदार होना चाहिए, एजेंसी, लेंडर को स्वीकार्य सेवा प्रदाता और/या पेशेवर) कोई भी/सभी ऑडिट (ओं), परीक्षा और/या जांच (ओं), उधारकर्ता (ओं) और/या बाध्यकर्ता (ओं) की लागत और व्यय पर, जैसा कि मामला हो सकता है, जैसा कि लेंडर (अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर) द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है और लोन और/या किसी अन्य वित्तीय लेनदेन (के संबंध में किसी भी संदिग्ध/इंगित गलत काम या धोखाधड़ी गतिविधि (जैसे) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों के अधीन है **धोखाधड़ी निगरानी ऑडिट**)।

उधारकर्ता (ओं) तुरंत प्रदान करने का कार्य करता है, और/या ऑब्लिगर (ओं) को तुरंत प्रदान करने का कारण बनता है, ऋणदाता और/या किसी तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक (ओं) को, एजेंसी, सेवा प्रदाताओं और/या पेशेवरों को लेंडर द्वारा अनुमोदित और सूचित किया जा सकता है, सभी दस्तावेज़, ऋणदाता (और/या किसी तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक (ओं) द्वारा अनुरोध किए जाने वाले कार्य और जानकारी, एजेंसी, सेवा प्रदाता और/या पेशेवर) समय-समय पर, इस तरह के धोखाधड़ी निगरानी ऑडिट के संबंध में/के संबंध में।

यदि ऋण के संबंध में किए गए किसी धोखाधड़ी निगरानी ऑडिट के संबंध में रिपोर्ट या परिणाम, उधारकर्ता और/या बाध्यकर्ता (ओं), अनिर्णायक रहता है और/या उधारकर्ता (ओं) और/या बाध्यकर्ता (ओं), उधारकर्ता (ओं) द्वारा सहयोग न करने के कारण इस तरह की रिपोर्ट में देरी होती है कार्य करना और सहमत होना और/या बाध्यकर्ता (ओं) को अपरिवर्तनीय रूप से कार्य करने और इस बात से सहमत होने के लिए प्रेरित करेगा कि ऋणदाता के पास अधिकार होगा, अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में, धोखाधड़ी/धोखाधड़ी या अन्यथा के रूप में लोन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, (1) लेंडर के अपने रिकॉर्ड में लेंडर के पास उपलब्ध सामग्री और/या (2) लेंडर की अपनी जांच या मूल्यांकन के आधार पर। इसके द्वारा उधारकर्ता (ओं) और/या दायित्वकर्ता (ओं) द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि ऋणदाता द्वारा ऐसा निर्धारण निर्णायक, अंतिम और उधारकर्ता (ओं) और/या दायित्वकर्ता (ओं) के लिए बाध्यकारी होगा।

उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस समझौते द्वारा ऋणदाता को दिए गए अधिकार, शक्तियां और उपचार किसी भी अन्य सुरक्षा, कानून या कानून के शासन के आधार पर ऋणदाता को दिए गए सभी अधिकारों, शक्तियों और उपचारों के अलावा होंगे।

11. इस खंड में दिए गए उपक्रम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि लोन दस्तावेज़ों के तहत कोई भी राशि बकाया न हो

11.1 उधारकर्ता (ओं), और/या बाध्यकर्ता (ओं) का कारण बनेगा, तुरंत प्राप्त करें, लोन दस्तावेज़ों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और वैधता सुनिश्चित करने के लिए ऑब्लिगर (ओं) को सक्षम बनाने के लिए किसी भी प्राधिकरण (ओं) को पूरी ताकत से बनाए रखने और प्रभावित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसका पालन करें और करें, वैधता, लोन दस्तावेज़ों के सबूत में प्रवर्तनीयता और/या स्वीकार्यता। ऑब्लिगर (ओं) इस तरह के प्राधिकरण (ओं) की प्रतियां तुरंत लेंडर को सौंप देंगे।

11.2 ऑब्लिगर (ओं) उन सभी लागू कानूनों का हर तरह से पालन करेगा जिनके अधीन वह हो सकता है।

उधारकर्ता (ओं) यह सुनिश्चित नहीं करेगा और करेगा कि ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ऋणदाता (ओं) ऐसा न करेः

a. किसी भी सुरक्षा/नकारात्मक ग्रहणाधिकार/बोझ को अपनी किसी भी संपत्ति पर बनाए रखने या निर्वाह करने की अनुमति दें, जिसमें सुरक्षा वाली संपत्ति भी शामिल है।
b. किसी भी समामेलन, पुनर्गठन, विलयन, विलय, व्यवस्था की योजना और/या किसी भी ऑब्लिगर (ओं) के कॉर्पोरेट पुनर्निर्माण के लिए आवेदन करें;
c. कोई भी निवेश करें या कोई भी लोन लें, किसी भी व्यक्ति को या उसके लाभ के लिए कोई भी क्रेडिट (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बचत) प्रदान करें या कोई गारंटी या क्षतिपूर्ति (किसी भी लोन दस्तावेज़ के तहत आवश्यक को छोड़कर) दें या अन्यथा स्वेच्छा से कोई दायित्व लें, चाहे वास्तविक हो या आकस्मिक, किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के संबंध में;

d. ऑब्लिगर (ओं) के किसी भी शेयर, प्रतिभूतियों या अधीनस्थ ऋण पुनर्खरीद, रद्द करने या मोचन कार्यक्रम में प्रवेश करें, शुरू करें या इसमें भाग लें;
e. ओब्लिगर (ओं) में किसी भी शेयर/प्रतिभूतियों को जारी करने या आवंटन के लिए कॉल करने का कोई अधिकार किसी भी व्यक्ति को जारी करना/आवंटित करना, या प्रदान करना;
f. अपने व्यवसाय को बदलें या कोई नया व्यवसाय शुरू करें;
g. अपने ऋण-इक्विटी अनुपात में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रभावित करता है;
h. अपने संवैधानिक/चार्टर दस्तावेजों में बदलाव करना; या
i. इसके/उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर पूंजी, लाभ-साझाकरण और/या प्रबंधन/नियंत्रण/भागीदार/मालिक (ओं) में किसी भी बदलाव को प्रभावित करता है
j. सेड प्रॉपर्टीज (या उसके किसी भी हिस्से) के उपयोग को बदलें।
k. उसकी किसी अन्य संपत्ति या किसी अन्य आसन्न संपत्ति के साथ सुरक्षा का हिस्सा बनने वाली उक्त संपत्तियों (या उसके किसी भी हिस्से) का समामेलन या विलय करना या सुरक्षा का हिस्सा बनने वाली उक्त संपत्तियों (या उसके किसी भी हिस्से) के संबंध में किसी भी तरह का अधिकार या कोई अन्य सुविधा बनाना।
l. रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत छोड़ें या उधारकर्ता के बकाया के साथ पूरे लोन का भुगतान/पुनर्भुगतान किए बिना लंबी अवधि के लिए विदेश में रहें। यह निर्णय कि क्या स्टे लंबी अवधि का है, केवल लेंडर द्वारा तय किया जाएगा।

11.4 इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूदः

(a) उक्त संपत्तियों का निर्माण उधारकर्ता द्वारा संवितरण की पहली तारीख से दो साल के भीतर पूरा किया जाएगा और उधारकर्ता (ओं) ऋणदाता की संतुष्टि के लिए इसके संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा।

(b) उधारकर्ता द्वारा दो साल की उपरोक्त अवधि के भीतर उक्त संपत्तियों के निर्माण को पूरा करने और/या पूरा करने में विफलता की स्थिति में, लेंडर अपने विवेकाधिकार पर ब्याज दर (ओं) को रीसेट/संशोधित करने का हकदार होगा और उधारकर्ता बिना किसी देरी या विरोध के लेंडर को बकाया लोन पर ऐसी संशोधित/रीसेट ब्याज दर (ओं) का भुगतान करने का कार्य करेगा।

(c) उधारकर्ता द्वारा उक्त संपत्तियों के निर्माण को पूरा करने और/या पूरा करने में विफलता की स्थिति में, संवितरण की पहली तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर, लेंडर बकाया लोन को नॉन-हाउसिंग/नॉन-होम लोन के रूप में वर्गीकृत करेगा और इस तरह के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप होगा, बकाया लोन और उधारकर्ता का बकाया (ऋणदाता के विवेक पर) ऐसे नियम और शर्तों (ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट) के अधीन होगा जो ऋणदाता द्वारा वितरित गैर-आवास/गैर-गृह ऋण पर लागू हो सकते हैं।

11.5 अगर लोन का उद्देश्य किसी प्रॉपर्टी का निर्माण/मरम्मत/सुधार आदि है, उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता संपत्ति पर निर्माण/सुधार कार्य शुरू होने के बाद ही ऋण (या इसके किसी भी हिस्से) का वितरण करेगा, और इसका प्रमाण (ऋणदाता की संतुष्टि के लिए) उधारकर्ता (ओं) द्वारा ऋणदाता को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, लेंडर लोन (या इसके किसी भी हिस्से) के वितरण से पहले ऐसे सबूत की प्रामाणिकता की पुष्टि करने का भी हकदार होगा। लोन का वितरण निर्माण/सुधार कार्य की प्रगति के अनुसार और लेंडर के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित चरणों में होगा, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है।

11.6 उधारकर्ता (ओं) इस बात से सहमत हैं कि ऋणदाता या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के पास निर्माण की प्रगति के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से उक्त संपत्तियों (या इसके किसी भी हिस्से) और ऋण से प्राप्त आय का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता (ओं) की लेखा पुस्तकों तक मुफ्त पहुंच होगी।

11.7 ऑब्लिगर (ओं) (कंपनी के मामले में) किसी भी व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में या इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में शामिल/नियुक्त नहीं करेगा, जिनका नाम विलफुल डिफॉल्टर की सूची में दिखाई देता है (जैसा कि किसी भी नियामक/वैधानिक निकाय द्वारा प्रकाशित/तैयार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य नियामक (ओं) और यदि ऐसा व्यक्ति इसके निदेशक मंडल में या प्रभारी व्यक्ति के रूप में पाया जाता है और इकाई/ऑब्लिगर (ओं) के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसे जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया जाता है, बाध्यकर्ता ऐसे व्यक्ति को बोर्ड से हटाने या इसके प्रबंधन के प्रभारी होने के लिए तुरंत त्वरित और प्रभावी कदम उठाएंगे और ऋणदाता को इसके बारे में तुरंत सूचित करेंगे।

11.8 उधारकर्ता (ओं) ने ऋण लिया है और उधारकर्ता (ओं) बंधक (ओं) का कारण बनेगा, अगर कोई, खुलासा करने के लिए, सभी विज्ञापनों में, पर्चे, ब्रोशर आदि।, बंधक संपत्तियों के संबंध में, अगर कोई, ऋणदाता और/या उस पर किसी भी निर्मित हिस्से के पक्ष में गिरवी रखा गया है, निम्नलिखित जानकारी दी गई है;

ऋणदाता और किसी अन्य ऋणदाता (यदि कोई हो) का नाम जिसके पक्ष में गिरवी रखी गई संपत्तियों की सुरक्षा उधारकर्ता (ओं) और/या गिरवी रखने वाले (ओं) द्वारा समय-समय पर बनाई गई है;

11.8.2 तथ्य यह है कि गिरवी रखी गई संपत्तियां और/या उस पर कोई भी निर्मित हिस्सा लेंडर और/या अन्य लेंडर (यदि कोई हो) के पक्ष में गिरवी रखा गया है;

11.8.3 एक बयान कि उधारकर्ता (ओं) और/या बंधक (ओं) किसी भी भूमि की बिक्री के लिए ऋणदाता और अन्य ऋणदाताओं (यदि कोई हो) का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/अनुमति प्रदान करेगा, निर्मित भाग, फ्लैट और/या इकाइयाँ, बंधक संपत्तियों का हिस्सा है; और

11.8.4 कोई अन्य जानकारी जिसे समय-समय पर संबंधित अधिकारियों के किसी भी लागू कानून, नियम, विनियमन या दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

इसके अलावा उधारकर्ता (ओं) और/या बंधक (ओं) को भी इस तरह के विज्ञापन में जोड़ा जाएगा या जोड़ा जाएगा, गिरवी रखी गई संपत्तियों की सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी जो किसी भी लागू कानून के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, नियम, संबंधित प्राधिकरणों के विनियमन या दिशानिर्देश, समय-समय पर।

12. पतन की घटनाएं

12.1 यहाँ निर्धारित प्रत्येक घटना या परिस्थिति डिफ़ॉल्ट की एक घटना है।

(a) **नॉन-पेमेंट**

बाध्यकर्ता उधारकर्ता के बकाया (या उसके हिस्से) और/या लोन दस्तावेज़ के अनुसार देय किसी भी राशि का भुगतान देय तिथि (ओं) तक नहीं करते हैं।

(b) **गैरकानूनी उद्देश्य**

उधारकर्ता (ओं) लोन (ए) को ऐसे उद्देश्यों के लिए आवेदन करते हैं और/या उपयोग करते हैं जिनकी लोन दस्तावेज़ों के तहत अनुमति नहीं है और/या (बी) किसी भी उद्देश्य के लिए जिसे गैरकानूनी माना जाता है और/या माना जाता है, किसी भी लागू कानूनों के प्रावधानों को अवैध या उल्लंघन करता है, नियमों और विनियमों को लागू करते हैं।

(c) **अन्य दायित्व**

ऑब्लिगर (ओं) लोन दस्तावेज़ों के किसी भी प्रावधान (ओं) के किसी भी अन्य उल्लंघन/डिफ़ॉल्ट को करने के लिए प्रतिबद्ध या धमकी देता है, जिसमें सुरक्षा बनाने या लेंडर को किसी भी दस्तावेज़ को निष्पादित/प्रदान करने में विफलता शामिल है, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

(d) **गलत प्रस्तुति**

लोन आवेदन में ऑब्लिगर (ओं) द्वारा किया गया या दोहराया गया कोई भी प्रतिनिधित्व या विवरण, किसी भी लोन दस्तावेज़ के तहत या उसके संबंध में ऑब्लिगर (ओं) द्वारा या उनकी ओर से दिए गए लोन दस्तावेज़ या कोई अन्य दस्तावेज़ बनाए जाने या दोहराने पर किसी भी तरह से गलत या भ्रामक है। इसके अलावा, अगर किसी भी लोन दस्तावेज़ के तहत या उसके संबंध में लोन आवेदन, लोन दस्तावेज़ या किसी अन्य दस्तावेज़ में ऑब्लिगर (ओं) द्वारा या उसकी ओर से दिए गए तथ्यों का कोई दमन है।

(e) **गैरकानूनी**

लोन दस्तावेज़ों के तहत अपने किसी भी दायित्व को निभाना ऑब्लिगर (ओं) के लिए गैरकानूनी है या बन जाता है।

(f) **अस्वीकृति**

ऑब्लिगर (ओं) किसी भी लोन दस्तावेज़ को अस्वीकार कर देता है या लेंडर की राय में, ऑब्लिगर (ओं) का इरादा किसी भी लोन दस्तावेज़ को अस्वीकार करने का होता है।

(g) **सरकारी हस्तक्षेप**

किसी भी सरकार/अदालत के प्राधिकरण/आदेश द्वारा या उसके तहत या अन्यथा: (i) ऑब्लिगर (ओं) का प्रबंधन पूरी तरह या आंशिक रूप से विस्थापित है या इसके व्यवसाय के संचालन में ऑब्लिगर (ओं) का अधिकार पूरी तरह या आंशिक रूप से कम है; या (ii) ऑब्लिगर (ओं) के जारी किए गए सभी या अधिकांश शेयर या इसके/उनके राजस्व या संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से को जब्त कर लिया जाता है, राष्ट्रीयकृत, या अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया गया है; या (iii) यदि कोई संलग्नक है, परेशानी, के खिलाफ निष्पादन या अन्य प्रक्रिया, या इसकी किसी भी संपत्ति पर लागू या लगाया जाता है।

(h) **सामग्री प्रतिकूल परिवर्तन**

कोई भी घटना या परिस्थिति ऐसी होती है जिसके बारे में लेंडर का मानना है कि इसका भौतिक प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है या अगर कोई परिस्थिति या घटना होती है जो लेंडर की राय में होती है, किसी भी तरह से प्रतिकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा या होने की संभावना है, ऋण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने या उनका पालन करने और/या उधारकर्ता के बकाया या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान/पुनर्भुगतान करने के लिए ऑब्लिगर (ओं) की क्षमता/क्षमता।

(i) **अन्य**

i. यदि सुरक्षा या उसके किसी हिस्से में कोई गिरावट या हानि है, या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति है जिसके प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है, सुरक्षा को प्रभावित करना और/या खतरे में डालना, और जिसके कारण ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई प्रतिभूति (ऋणदाता के निर्णय में) चरित्र या मूल्य के रूप में असंतोषजनक हो जाती है और उधारकर्ता अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है;

ii. यदि व्यवसाय में कोई विफलता है, दिवालियापन के एक अधिनियम का कमीशन, लेनदारों के लाभ के लिए सामान्य असाइनमेंट, यदि कोई बाध्यकर्ता किसी लेनदार/अन्य ऋणदाता को भुगतान करने में निलंबित या चूक करता है या ऐसा करने की धमकी देता है, यदि दिवालिया और दिवालियापन संहिता के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो बाध्यकर्ता (ओं) के खिलाफ या बाध्यकर्ता (ओं) को समाप्त करने के लिए कोई याचिका दायर की जाती है;

iii. यदि ओब्लिगर (ओं) अपने/अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है (चाहे लागू कानूनों के अर्थ के भीतर हो या अन्यथा) या यदि ओब्लिगर (ओं) की किसी संपत्ति या संपत्ति के संबंध में परिसमापक, या प्राप्तकर्ता नियुक्त किया जाता है;

iv. यदि ओब्लिगर (ओं) अपने व्यवसाय को बंद कर देता है या रोकने या जारी रखने की धमकी देता है या यदि ओब्लिगर (ओं) वैध रोजगार में रहना बंद कर देता है या यदि, लेंडर की राय में, ओब्लिगर (ओं) की आय/ राजस्व/पारिश्रमिक अपर्याप्त हो गया है या इसके अपर्याप्त होने की संभावना है या यदि किसी ऑब्लिगर (ओं) की मृत्यु हो जाती है या यदि कोई ऑब्लिगर (ओं) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है या यदि कोई ऑब्लिगर (ओं) जेल में है;

v. यदि यह लेंडर द्वारा नियुक्त एकाउंटेंट की फर्म द्वारा प्रमाणित है (जिसे लेंडर किसी भी समय नियुक्त करने का हकदार है और इसके द्वारा अधिकृत है) कि ऑब्लिगर (ओं) की देनदारियां ऑब्लिगर (ओं) से अधिक हैं संपत्ति;

vi. यदि ओब्लिगर (ओं), लेंडर की पूर्व लिखित सहमति के बिना, प्रतिभूति (या इसके किसी भी हिस्से) सहित अपनी संपत्ति को बेचता है, स्थानांतरित करता है, एनकम्बर करता है, असाइन करता है, व्यक्त करता है, अनुदान देता है, डील करता है और/या निपटान करता है और/या उपरोक्त में से किसी को करने का प्रयास करता है या इरादा रखता है;

vii. यदि प्रबंधन किसी भी कारण से ऋणदाता के विश्वास का आनंद लेना बंद कर देता है; या

viii. यदि उधारकर्ता (ओं) या सह-उधारकर्ता (ओं) में से कोई भी दो व्यक्ति जो एक-दूसरे से विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं।

ix. यदि पूर्वगामी घटनाओं में से कोई भी किसी तीसरे पक्ष के संबंध में होती है, जिसने अब या इसके बाद किसी भी धन दायित्व या दायित्व के संबंध में किसी भी क्षतिपूर्ति की गारंटी दी है या सुरक्षा प्रदान की है। यदि किसी भी धोखाधड़ी निगरानी ऑडिट के परिणामस्वरूप लोन की स्थिति धोखाधड़ी/धोखाधड़ी होने का निष्कर्ष निकाला/निर्धारित किया गया है

12.2 डिफ़ॉल्ट की घटना की घटना के बाद और किसी भी समय, लेंडर मई, किसी भी ऑब्लिगर (ओं) को किसी भी नोटिस के साथ या बिना और अदालत/मध्यस्थ के हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना, (1) लोन कैंसिल/रिकॉल करना जिसके बाद उधारकर्ता का बकाया तुरंत ओब्लिगर (ओं) द्वारा चुकाया/देय हो जाएगा; और/या (ii) अपने किसी भी या सभी अधिकारों की शुरुआत/प्रयोग करना, क्रियाएं, लोन दस्तावेज़ों और/या लागू कानूनों के तहत उपाय और शक्तियां (जिसमें ऑब्लिगर (ओं) को कारण बताएं नोटिस जारी करना और लेंडर की संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुतियां देना शामिल है); और/या (iii) स्वयं या इसके एजेंटों के माध्यम से, वकील, नॉमिनी, लागू करें, बेचें, आह्वान करें, डिलीवर करें, से निपटें, कब्जा कर लें, संप्रेषित करें, स्थानांतरण, असाइन करें, लीज पर, सब-लीज़, और/या किसी भी तरह से निपटान (निजी संधि और/या नीलामी सहित), ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिसमें प्रतिभूति या उसके किसी भी हिस्से/इकाई की बिक्री/हस्तांतरण मूल्य शामिल है, जैसा कि लेंडर द्वारा उपयुक्त माना जाता है, गारंटी सहित सुरक्षा का कोई भी/सभी/हिस्सा, और/या सुरक्षा (इसके किसी भी हिस्से) के संबंध में ऐसी अन्य चीजें करते हैं जिनकी अनुमति कानून के तहत दी जा सकती है और/या (iv) क्रेडिट सूचना कंपनियों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को किसी भी डिफ़ॉल्ट की जानकारी का खुलासा करें; और/या; (वी) कानून के तहत और इस समझौते के तहत उपलब्ध ग्रहणाधिकार या सेट-ऑफ के अधिकार का प्रयोग करना (vi) लागू कानूनों के तहत कंपनी के लिए उपलब्ध ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य नियम और शर्तें निर्धारित करना जो लेंडर को उचित लगें। यदि इस समझौते के तहत सुरक्षा के प्रवर्तन/बिक्री/हस्तांतरण या किसी अन्य अधिकारों के प्रयोग के माध्यम से प्राप्त शुद्ध राशि उधारकर्ता के बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, फिर लोन दस्तावेज़ों और/या कानून के तहत लेंडर के अन्य अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ओब्लिगर (ओं) सहमत होते हैं और लेंडर की मांग पर लेंडर को तुरंत ऐसी राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं जो कमी को पूरा करेगी। लोन दस्तावेज़ों के तहत किसी भी मामले के संबंध में लेंडर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऑब्लिगर (ओं) के लिए बाध्यकारी होगा।

12.3 किसी भी लोन दस्तावेज़ में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा सहमत होते हैं और इसके द्वारा अधिकृत (ओं) अपनी सहमति देते हैं, लेंडर, और उधारकर्ता (ओं) दूसरे बाध्यकर्ता (ओं) को सहमत होने और ऋणदाता को अपनी सहमति देने/अधिकृत करने के लिए प्रेरित करेगा, कि (ए) लेंडर लोन से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा/शेयर करने का हकदार होगा, सुरक्षा, लोन दस्तावेज़, भारतीय रिजर्व बैंक को ओब्लिगर (ओं) की क्रेडिट जानकारी और/या कोई अन्य संबंधित/प्रासंगिक जानकारी (ओब्लिगर (ओं) द्वारा डिफ़ॉल्ट सहित), क्रेडिट सूचना कंपनी (जैसे सिबिल और/या इसी तरह की अन्य संस्थाएं), क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, वैधानिक/नियामक/न्यायिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण/निकाय, वैधानिक लेखा परीक्षक, लेंडर के बैंक/वित्तीय संस्थान और अन्य व्यक्तियों/निकायों के अनुसार/के संबंध में/के तहत, *अन्य बातों के साथ* , कोई भी कानून, विनियम, दिशानिर्देश और/या सर्कुलर, कानूनी कार्यवाही,

ऑडिट, क्रेडिट रेटिंग/ग्रेडिंग, लोन दस्तावेज़ों के प्रावधान और/या लेंडर के सामान्य पाठ्यक्रम में बिजनेस; (बी) यदि ऋणकर्ताओं में से कोई भी ऋणकर्ता के बकाया (या उसके हिस्से) के भुगतान/पुनर्भुगतान में और/या ऋण दस्तावेजों के तहत चूक की घटना होने पर चूक करता है, लेंडर, भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी अन्य नियामक और/या क्रेडिट सूचना कंपनी के पास ऑब्लिगर (ओं) और उनके भागीदारों के नाम (ओं) का खुलासा करने या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार होगा, प्रवर्तकों और/या निदेशकों को ऋणदाता के रूप में इस तरह से और इस तरह के माध्यम से चूककर्ता (ओं) के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक, कोई भी अन्य नियामक और/या क्रेडिट सूचना कंपनी अपने पूर्ण विवेक से उचित सोच सकती है; और/या (ग) लेंडर और/या संबंधित संस्थाएं लोन/भविष्य के लोन (ओं) और अन्य उत्पादों/सेवाओं सहित लेंडर और/या प्रासंगिक संस्थाओं के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के लिए या उसके संबंध में क्रेडिट जानकारी और अन्य संबंधित/प्रासंगिक जानकारी का उपयोग/उपयोग करने की हकदार होंगी, अगर कोई, किसी भी ऑब्लिगर (ओं) द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए और ऐसी सेवाओं/उत्पादों के विपणन या प्रचार के लिए

13. ऋण दस्तावेजों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं, किसी भी ऑब्लिगर (ओं) की मंजूरी या नोटिस के बिना, लेंडर बेचने का हकदार होगा, प्रतिभूतिकरण करें, स्थानांतरण, लोन दस्तावेज़ों के तहत किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों)/संस्था को और लेंडर के रूप में ऐसे नियमों और शर्तों पर इसके किसी भी/सभी अधिकारों और दायित्वों (उधारकर्ता के बकाया/लोन या किसी भी सुरक्षा के साथ या उसके बिना इसके किसी भी हिस्से सहित) को शामिल करना और/या असाइन करना, अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में उचित लगता है। उधारकर्ता (ओं) और/या उधारकर्ता (ओं) ऋण दस्तावेजों के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को सौंपने या स्थानांतरित करने के लिए बाध्यकर्ता (ओं) का कारण नहीं होंगे।

14. भुगतान लोन दस्तावेज़ों में बताए गए तरीके से किया जाएगा, जब तक कि लेंडर द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए। इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, लोन दस्तावेज़ों के तहत प्रतिभूति (या इसके किसी भी हिस्से) और/या ऑब्लिगर (ओं) द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि से प्राप्त/उत्पन्न किसी भी आय/प्राप्य को पहले समायोजित/विनियोजित किया जाएगा, ऋणदाता को ऋण दस्तावेजों के तहत देय दंडात्मक शुल्कों के प्रति, दूसरी बात, ऋणदाता को ऋण दस्तावेजों के तहत देय शुल्क/शुल्क के प्रति भुगतान अनादर शुल्क/उछाल शुल्क सहित, तीसरा,, ऋणदाता को ऋण दस्तावेजों के तहत देय अतिदेय/बकाया ब्याज के लिए, चौथा,, ऋणदाता को ऋण दस्तावेजों के तहत देय अतिदेय/बकाया मूलधन के लिए, पाँचवीं बात, उस विशेष महीने में संबंधित नियत तिथि (ओं) पर लेंडर को लोन दस्तावेज़ों के तहत देय ब्याज़ के लिए, छठी बार, उस विशेष महीने में संबंधित नियत तिथि (ओं) पर लेंडर को लोन दस्तावेज़ों के तहत देय मूलधन के लिए, सातवीं, ऋणदाता को ऋण दस्तावेजों के तहत देय अन्य शुल्कों/शुल्कों और/या ऋणदाता द्वारा किए गए लागत और खर्चों आदि के प्रति, और संतुलन, अगर कोई, ऋण की मूल राशि की ओर ये शुल्क पार्ट पेमेंट और फोरक्लोज़र शुल्क स्वीकार करते समय एकत्र किए जाते हैं। और ऊपर बताए गए समायोजन के बाद ही मूलधन के लिए आंशिक भुगतान का समायोजन। लोन दस्तावेज़ों के तहत ऑब्लिगर (ओं) द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतानों की गणना की जाएगी और सेट-ऑफ या काउंटरक्लेम के बिना (और स्रोत पर कटौती किए गए इनकम टैक्स को छोड़कर किसी भी कटौती से मुक्त और मुक्त) किया जाएगा। लोन दस्तावेज़ों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, लेंडर के पास लेंडर के नियंत्रण में ऑब्लिगर (ओं) की सभी संपत्तियों/प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार होगा और लेंडर से ऑब्लिगर (ओं) को देय किसी भी धन के खिलाफ सेट-ऑफ का अधिकार होगा, और उधारकर्ता के बकाया की वसूली के लिए ओब्लिगर (ओं) के सभी खातों को जोड़ना। लेंडर इस लेन-देन में इस शर्त पर प्रवेश करने के लिए सहमत हो गया है कि ओब्लिगर (ओं) उधारकर्ता के बकाया की वसूली और/या किसी भी तरह से प्रतिभूति को लागू करने के लिए उधारकर्ता के पास जमा/खाते में/कब्जे में रखी गई राशि के खिलाफ ऋणदाता के अधिकार से सहमत हैं।

15. किसी भी समझौते (ओं) में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ऑब्लिगर (ओं) स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि यदि (ए) ऑब्लिगर (ओं) और/या ऑब्लिगर (ओं) की किसी भी समूह इकाई (आईई)/सहयोगी/संबद्ध के बीच किसी समझौते (ओं) (ऋण दस्तावेजों सहित) के तहत उल्लंघन/डिफ़ॉल्ट/डिफ़ॉल्ट की कोई घटना होती है **ओब्लिगर (ओं) ग्रुप**) और (बी) लेंडर और/या संबंधित संस्थाओं में से कोई भी, तो इस तरह के समझौते (ओं) के तहत इस तरह का उल्लंघन/डिफ़ॉल्ट/डिफ़ॉल्ट की घटना भी लोन दस्तावेज़ों के तहत डिफ़ॉल्ट की एक घटना होगी और *इसके विपरीत* और फिर ऐसी घटना में, लेंडर और/या संबंधित संस्थाओं में से कोई भी, जैसा कि मामला हो सकता है, होगा, प्रत्येक समझौते के तहत इसके/उनके किसी भी विशिष्ट अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लेंडर और/या संबंधित संस्थाओं के विवेकाधिकार पर ऐसे किसी भी समझौते (लोन दस्तावेज़ों सहित) के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार (लोन रिकॉल सहित) का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से हकदार होंगे।

इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ऋण दस्तावेजों में या किसी अन्य समझौते (ओं) में जो बाध्यकर्ता (ओं) समूह और ऋणदाता और/या किसी भी प्रासंगिक संस्था के बीच निष्पादित किया गया है, बाध्यकर्ता (ओं) इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि संबंधित संस्थाओं के पक्ष में बनाई गई/बनाई जाने वाली सभी प्रतिभूतियां भी ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के बकाया के लिए प्रतिभूति का गठन करेंगी और ऋणदाता कब्जा करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत है, बेचें, (i) उधारकर्ता के बकाया और/या (ii) संबंधित संस्थाओं को बाध्यकर्ता (ओं) समूह द्वारा देय किसी भी राशि की संतुष्टि की दिशा में किसी भी तरह से ऐसी प्रतिभूति (उसकी आय सहित) का निपटान करना या उससे निपटना। ऋण दस्तावेजों के तहत प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान होंगे *उत्परिवर्ती उत्परिवर्ती* प्रासंगिक संस्थाओं के पक्ष में बनाई गई ऐसी सुरक्षा पर लागू करें (जिसमें सुरक्षा दस्तावेजों का निष्पादन और उपयुक्त अधिकारियों के साथ आवश्यक फाइलिंग शामिल हैं)। यदि कोई प्रासंगिक संस्था किसी भी ऑब्लिगर (ओं) समूह द्वारा उसके पक्ष में बनाई गई सुरक्षा के खिलाफ कोई प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करती है और ऐसे प्रवर्तन से अधिशेष आय होती है, उक्त अधिशेष आय का उपयोग उधारकर्ता के बकाया की संतुष्टि के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि किसी भी ओब्लिगर (ओं) समूह द्वारा किसी भी प्रासंगिक संस्था से प्राप्त किसी भी लोन/क्रेडिट सुविधा का भुगतान/पुनर्भुगतान किया जाता है या किसी भी कारण से ऐसे ओब्लिगर (ओं) समूह द्वारा पूरा भुगतान/पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता होती है, ऑब्लिगर (ओं), यदि लेंडर द्वारा आवश्यक है, साथ ही लोन दस्तावेज़ों के तहत लोन/उधारकर्ता के बकाया को तुरंत चुकाना/पूर्व भुगतान करना।

16. लोन दस्तावेज़ों और/या लागू कानूनों के तहत या उनके संबंध में या उनके अनुसार किया जाने वाला कोई भी संचार और/या दस्तावेज़ बनाया या वितरित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो, फैक्स द्वारा, ईमेल करें, भौतिक पत्र/दस्तावेज़ या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप में। पता, ईमेल पता, फोन और फ़ैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी/व्यक्ति, अगर कोई, जिनके ध्यान के लिए प्रत्येक पक्ष का किसी भी संचार और/या दस्तावेज़ (ओं) के लिए संचार किया जाना है जो लोन दस्तावेज़ों और/या लागू कानूनों के तहत या उनके संबंध में या उनके अनुसार किया या वितरित किया जाना है, उधारकर्ता (ओं) और/या बाध्यकर्ता (ओं) के मामले में, में उल्लेख किया गया **शेड्यूल I** इस समझौते के बारे में:

लेंडर के मामले में:

पता : ए-34, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली -110024

फ़ोन : 1800-572-7777 **ईमेल करें** : customer.care@sammaancapital.com **का ध्यान रखें** : कंपनी सचिव

या कोई भी विकल्प पता, ईमेल पता, फोन, फ़ैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी या व्यक्ति एक पार्टी के रूप में दूसरे पार्टी को कम से कम तीन (03) दिनों के नोटिस द्वारा सूचित कर सकता है। लोन दस्तावेज़ों और/या लागू कानूनों के तहत या उनके संबंध में किसी पार्टी द्वारा किसी अन्य पार्टी को किया गया या दिया गया कोई भी संचार या दस्तावेज़ केवल प्रभावी होगा: (ए) यदि फ़ैक्स के माध्यम से, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप में, जब प्राप्त/सुपाठ्य रूप में वितरित किया जाता है; या (बी) यदि भौतिक पत्र/दस्तावेज़ों के माध्यम से, जब इसे प्राप्तकर्ता (ओं) को वितरित किया गया हो या संबंधित पते पर छोड़ दिया गया हो या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के तीन (03) दिन बाद, स्पीड पोस्ट या कूरियर, और यदि किसी विशेष विभाग या अधिकारी/व्यक्ति को उसके पते के विवरण के हिस्से के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि उस विभाग या अधिकारी/व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। लेंडर को किया जाने वाला या वितरित किया जाने वाला कोई भी संचार या दस्तावेज़ केवल तभी प्रभावी होगा जब वास्तव में लेंडर द्वारा प्राप्त किया जाएगा और फिर केवल तभी प्रभावी होगा जब इसे नीचे लेंडर के हस्ताक्षर के साथ पहचाने गए विभाग या अधिकारी के ध्यान के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया हो (या लेंडर के

रूप में कोई वैकल्पिक विभाग या अधिकारी इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट करेगा)। इस खंड के अनुसार उधारकर्ता (ओं) और/या दायित्वकर्ता (ओं) को किए गए या वितरित किए गए किसी भी संचार या दस्तावेज़ को इसे बनाया या वितरित किया गया माना जाएगा। किसी भी लोन दस्तावेज़ और/या लागू कानूनों के तहत या उसके संबंध में दी गई कोई भी सूचना/संचार अंग्रेजी में होना चाहिए। किसी भी लोन दस्तावेज़ के तहत या उसके संबंध में दिए गए अन्य सभी दस्तावेज़ अंग्रेजी में होने चाहिए। इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता (ओं) या किसी अन्य दायित्वकर्ता (ओं) को कोई भी नोटिस सभी दायित्वकर्ता (ओं) (इस समझौते और/या अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत) के लिए एक नोटिस माना जाएगा और यहां पार्टियां विशेष रूप से सहमत हैं कि ऋणदाता द्वारा एक दिन (01) का नोटिस दायित्वकर्ता (ओं) के उद्देश्यों के लिए एक उचित नोटिस होगा, *अन्य बातों के साथ,* लोन दस्तावेज़ों और/या कानून के तहत उल्लिखित लेंडर द्वारा किसी भी अधिकार और उपचार का प्रयोग करना।

17. इसके विपरीत के बावजूद, लेंडर नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ऋण दस्तावेजों का विनाश या क्षति (सुरक्षा दस्तावेजों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं), शीर्षक विलेख आदि। उक्त संपत्तियों के संबंध में), बल आकस्मिक की घटनाओं में जिसमें शामिल होंगे, लेकिन आग तक सीमित नहीं होगा, भूकंप, बाढ़ या इस तरह के अन्य चरम मौसम या पर्यावरणीय स्थिति, अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक या जमीनी स्थिति, अन्य प्राकृतिक आपदाओं और भगवान के कार्य, विस्फोट, दुर्घटना, एक संयंत्र या उपकरण का टूटना, संरचनात्मक पतन, या युद्ध के रासायनिक संदूषण कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, आतंकवादियों की हरकतें, नाकाबंदी, प्रतिबंध, दंगे, सार्वजनिक अव्यवस्था, हिंसक प्रदर्शन, विद्रोह, विद्रोह, नागरिक हंगामा और तोड़-फोड़।

18. किसी भी मामले में, मुकदमेबाजी, मध्यस्थता या किसी भी लोन दस्तावेज़ से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली अन्य कार्यवाही में, लेंडर द्वारा बनाए गए खातों में की गई प्रविष्टियां होंगी *प्रथम दृष्टया* उन मामलों का प्रमाण जिससे वे संबंधित हैं। लोन दस्तावेज़ों में से किसी के तहत लेंडर द्वारा किसी दर या राशि का कोई भी प्रमाणन या निर्धारण, स्पष्ट त्रुटि के अभाव में, उन मामलों का निर्णायक सबूत है जिनसे यह संबंधित है।

19. अगर, किसी भी समय, लोन दस्तावेज़ों का कोई भी प्रावधान अवैध है या बन जाता है, किसी भी अधिकार क्षेत्र के किसी भी कानून के तहत किसी भी संबंध में अमान्य या अप्रवर्तनीय, न ही वैधता, शेष प्रावधानों की वैधता या प्रवर्तनीयता और न ही वैधता, किसी भी अन्य अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत इस तरह के प्रावधान की वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या बाधित होगी।

20. व्यायाम करने में कोई विफलता नहीं है, न ही व्यायाम करने में कोई देरी, ऋणदाता की ओर से, लोन दस्तावेज़ों के तहत कोई भी अधिकार या उपाय छूट के रूप में काम करेगा, न ही किसी अधिकार या उपाय का कोई एकल या आंशिक प्रयोग किसी भी आगे या अन्य अभ्यास या किसी अन्य अधिकार या उपाय के प्रयोग को रोकेगा। इस समझौते में दिए गए अधिकार और उपचार संचयी हैं और कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपचार से अलग नहीं हैं।

21. लोन दस्तावेज़ों की किसी भी अवधि में केवल लेंडर की सहमति से संशोधन किया जा सकता है और ऐसा कोई भी संशोधन सभी ऑब्लिगर (ओं) के लिए बाध्यकारी होगा। यदि उधारकर्ता ऐसे परिवर्तनों से सहमत नहीं है, तो उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा इस तरह की सूचना प्रदान किए जाने के 60 दिनों के भीतर, ऋणदाता को सभी उधारकर्ता के बकाया का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, इस लोन एग्रीमेंट और/या अन्य लोन दस्तावेज़ों के किसी भी प्रावधान में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद (यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी विसंगति के मामले में, यह प्रावधान ऐसे सभी प्रावधानों को ओवरराइड करेगा), लेंडर लोन का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण करने का हकदार होगा, उधारकर्ता का बकाया और उसके नियम और शर्तें उसके विवेक पर, समय-समय पर, किसी भी अनुमोदन/प्राधिकरण (ओं) को सूचित किए बिना। लोन दस्तावेज़ों की किसी भी अवधि को केवल लेंडर की सहमति से माफ किया जा सकता है और ऐसी कोई भी छूट सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगी।

22. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से मान्यता देता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता स्वयं या अपने अधिकारियों या सेवकों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना करेगा, ऋणदाता की पसंद के एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष (पक्षों) को नियुक्त करने और ऐसे तीसरे पक्ष (पक्षों) को उधारकर्ता के भौतिक परिसर को सत्यापित करने का अधिकार और अधिकार हस्तांतरित करने और प्रत्यायोजित करने के लिए पूरी तरह से हकदार होना चाहिए या कार्यालय या अन्यथा; संपत्ति के निर्माण के चरणों को सत्यापित करें; लेंडर की ओर से सभी अवैतनिक बकाया राशि एकत्र करें और सभी अधिनियमों को निष्पादित करें, विलेख (ओं), मांग के नोटिस भेजने सहित उससे जुड़े या आनुषंगिक मामले और चीजें, उधारकर्ता के निवास या कार्यालय में उपस्थित होना या अन्यथा उधारकर्ता से संपर्क करना, उधारकर्ता से बकाया राशि (नकद/बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से) प्राप्त करना, उधारकर्ता के साथ समझौता करना और उधारकर्ता को तथ्यात्मक निर्वहन देना और आम तौर पर सभी वैध कृत्यों को तीसरे पक्ष के रूप में करना इस उद्देश्य के लिए उचित हो सकता है।

23. वसूली की कार्यवाही निष्पक्ष, पारदर्शी और सम्मानपूर्वक की जाएगी। न तो लेंडर और न ही इसके रिकवरी एजेंटः ए) भौतिक बल का उपयोग करना; बी) उधारकर्ता को डराना या परेशान करना; (सी) अपमानजनक या धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल करना; (डी) सार्वजनिक रूप से उधारकर्ता को अपमानित करना; (ई) कानून द्वारा अनुमति दिए जाने के अलावा असंबंधित तीसरे पक्ष से संपर्क करना। वसूली संचार आमतौर पर लेंडर द्वारा केवल आरबीआई द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान या किसी लागू कानून के तहत किया जाएगा, जब तक कि उधारकर्ता (ओं) द्वारा अन्यथा सहमति न हो। वसूली प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता की गोपनीयता और गरिमा का सम्मान किया जाएगा।

24. किसी भी शिकायत/शिकायत की स्थिति में, उधारकर्ता (ओं) और/या सह-उधारकर्ता (ओं) अपने निकटतम ऋणदाता के शाखा कार्यालय में जा सकते हैं और एक शिकायत फ़ॉर्म (लिंक www.sammaancapital.com पर ऋणदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध) के माध्यम से अपनी पूछताछ/शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ऋणदाता से उसके टोल फ्री नंबर पर 1800-572-7777 पर संपर्क कर सकते हैं या customer.care@sammaancapital.com पर कस्टमर केयर को लिख सकते हैं। यदि शिकायत/शिकायत का उचित समय के भीतर समाधान नहीं किया गया है, उधारकर्ता (ओं) और/या सह-उधारकर्ता (ओं) सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को लिख सकते हैं और/या ऑनलाइन मोड सुविधा में सीएमएस (शिकायत प्रबंधन प्रणाली) पर अपनी शिकायत अपलोड कर सकते हैं जो लिंक पर आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है: केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) के कार्यालय को डाक/भौतिक पत्र द्वारा ऑफ़लाइन मोड में, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017।

25. लोन दस्तावेज़ भारतीय कानूनों और नई दिल्ली की अदालतों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे लोन दस्तावेज़ों के तहत या उसके अनुसार किसी भी मामले/मुद्दे से संबंधित विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। बशर्ते कि ऐसी विशिष्टता लेंडर को बाध्य नहीं करेगी और लेंडर किसी भी सक्षम फोरम के समक्ष लोन दस्तावेज़ों के संबंध में कार्यवाही शुरू करने का हकदार होगा। इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद,

(a) मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान

यदि कोई विवाद/असहमति/मतभेद हैं **(विवाद)** पार्टियों के बीच उत्पन्न होता है (किसी भी बाध्यकर्ता (ओं) सहित) ऋण दस्तावेजों के निर्वाह के दौरान और/या उसके बाद, इसके संबंध में, *अन्य बातों के साथ* , वैधता, व्याख्या, लोन दस्तावेज़ों के किसी भी प्रावधान का कार्यान्वयन और/या कथित उल्लंघन, या किसी भी प्रकृति के मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र या अस्तित्व/नियुक्ति, फिर, विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाएगा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 1996 (या इसका कोई वैधानिक पुनः अधिनियमन, और यह अंग्रेजी भाषा में होगा। यह पुरस्कार लागू कानूनों के अधीन पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा और यह पुरस्कार किसी भी सक्षम अदालत में लागू किया जा सकता है

मध्यस्थ की नियुक्ति

दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति को एक स्वतंत्र, तीसरे पक्ष के संस्थागत मध्यस्थता केंद्र को सौंपने के लिए सहमत हैं। मध्यस्थता के लिए चुने गए संस्थान को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिएः

1. यह पांच साल से अधिक समय से अस्तित्व में है।
2. यह बैंकों से जुड़े मध्यस्थता के अलावा सामान्य और वैधानिक मध्यस्थता का संचालन करता है।
3. इसमें NBFCs बैंकों के लिए उचित और/या सब्सिडी वाली शुल्क संरचना है।

पार्टियों ने इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित मध्यस्थता संस्थानों की पहचान की हैः

1. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी), दिल्ली उच्च न्यायालय
2. इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (आईआईएसी), वसंत कुंज, दिल्ली
3. दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर (डीएसी), तीस हजारी, दिल्ली
4. भारतीय मध्यस्थता परिषद (आईसीए), तानसेन मार्ग, दिल्ली

मध्यस्थता के नियमों और उपरोक्त संस्थानों की शुल्क संरचनाओं की समीक्षा करने के बाद, पार्टियों ने यह निर्धारित किया है कि दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर (डीएसी), तीस हजारी, दिल्ली, सबसे उपयुक्त विकल्प है, ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख तक, इसकी उचित शुल्क संरचना और परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर। नतीजतन, दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि सभी विवादों को डीएसी नियमों के तहत किए गए मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

इस स्थिति में कि संस्थागत मध्यस्थता केंद्र, यानी डीएसी, मध्यस्थता का आह्वान करते समय अस्तित्व में नहीं है या अनुपलब्ध है, पक्षकार विवाद को ऊपर बताए गए किसी अन्य संस्थान या इसी तरह के किसी अन्य संस्थागत मध्यस्थता केंद्र को भेजेंगे जो उचित शुल्क संरचना बनाए रखता है। पारस्परिक समझौते के अभाव में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई भी पक्ष सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में आवेदन कर सकता है, 1996, यह सुनिश्चित करना कि वैकल्पिक मध्यस्थ केंद्र तुलनीय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत काम करता है

(b) लेंडर को, हालांकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम के प्रवर्तन के तहत कार्रवाई शुरू करने और/या आगे बढ़ने के हकदार होंगे, 2002 (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित), कुछ समय के लिए लागू और जैसा कि समय-समय पर अधिनियमित किया जा सकता है) और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन या फिर से अधिनियमित करना, यदि लागू हो।

26. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लेंडर को, उधारकर्ता (ओं) के लोन/लोन खाते (ओं) में प्रारंभिक तनाव को पहचानने के लिए, लोन दस्तावेज़ों के तहत भुगतान डिफ़ॉल्ट होने पर तुरंत, उधारकर्ता (ओं) के ऐसे ऋण/ऋण खाते (ओं) को विशेष उल्लेख खाते (ओं) (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करें। उधारकर्ता (ओं) के लोन/लोन खाते (ओं) को एसएमए श्रेणियों और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में इस तरह के वर्गीकरण का आधार इसके तहत अनुलग्नक I में उल्लिखित होगा।

27. किसी भी लोन दस्तावेज़ में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, किसी भी दिशानिर्देश/निर्देश/अधिसूचना/कानून के अनुसार, लेंडर किसी भी समय लोन दस्तावेज़ों (जैसे कि डिस्बर्समेंट शेड्यूल में बदलाव) के किसी भी प्रावधान को बदल/संशोधित/हटा सकता है, ब्याज दर (ओं), सेवा शुल्क, प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र दरें, आदि) और लेंडर द्वारा किए गए इस तरह के परिवर्तन/संशोधन/विलोपन ऑब्लिगर (ओं) पर बाध्यकारी होंगे।

28. ऑब्लिगर (ओं) लेंडर की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी व्यक्ति को लोन दस्तावेज़ों से संबंधित/जुड़ी किसी भी जानकारी (जानकारी) को वितरित या प्रकट नहीं करने के लिए सहमत हैं। हालाँकि, ओब्लिगर द्वारा किसी भी कानून/विनियमों/सर्कुलर/स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग एग्रीमेंट (ओं) आदि का पालन न करने के लिए लेंडर को किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा

29. इसके द्वारा पार्टियां इस समझौते के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन के लिए स्वीकार करती हैं और सहमत होती हैं, जिसमें ओटिपी/आधार आधारित ओटिपी/बायोमेट्रिक आधारित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करना शामिल है। पार्टियां इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं और यह वचन देती हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित समझौता पार्टियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रवर्तनीय है और इस समझौते की वैधता को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, प्रकृति में इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इसके निष्पादन का तरीका शामिल है।

30. उधारकर्ता (ओं) सहमत होते हैं और दायित्व (ओं) लेते हैं, और बाध्यकर्ता (ओं) को इसके तहत अनुसूची I और/या अन्य ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट सभी अतिरिक्त शर्तों, यदि कोई हो, का तुरंत पालन करने के लिए प्रेरित करेगा।

31. उधारकर्ता (ओं) सहमत हैं और इसके लिए सहमति देते हैं, और दायित्वकर्ताओं को इसके तहत अनुलग्नक III में निर्दिष्ट प्रमुख तथ्य कथन (केएफएस) का तुरंत पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

अनुसूची I

एस। नंबर	आइटम्स	शामिल की जाने वाली जानकारी
1.	**समझौते की तारीख**	
2.	**ऋण (लोन)**	रु. _/- तक (रुपये _ केवल)।
3.	**लोन की अवधि (अवधि)**	_ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) इस समझौते के तहत लोन या उसके किसी भी हिस्से के संवितरण की तारीख से महीने, जो भी पहले हो, जब तक कि लोन दस्तावेज़ों की शर्तों के अनुसार लेंडर द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।
4.	**ऋण का उद्देश्य**	
5.	**ब्याज दर (ओं) (ब्याज दर (ओं))**	समझौते के अन्य प्रावधानों के अधीनः प्रति वर्ष ब्याज दरें मौजूदा _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ के बराबर होंगी दर (प्रति वर्ष) (**बेंचमार्क दर**) जैसा कि समय-समय पर लेंडर (या उसके किसी उत्तराधिकारी) द्वारा घोषित किया गया है ***कम/प्लस*** _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) आधार बिंदु (यानी प्रसार)। यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान बेंचमार्क दर _ _ _ _ _ _% (_ _ _ _ _ _ _ _- प्रतिशत) प्रति वर्ष है और इसलिए, वर्तमान लागू ब्याज दर _ _ _ _% (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ प्रतिशत) प्रति वर्ष है। या समझौते के अन्य प्रावधानों के अधीनः (i) लोन की अवधि के शुरुआती _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _) महीनों के दौरान (**प्रारंभिक अवधि**), ब्याज दर (ओं) प्रति वर्ष _ (_ _ _ _ _ _ _ _) प्रतिशत होगी; (ii) प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से शुरू होने वाली अवधि के लिए जब तक उधारकर्ता के बकाया का भुगतान/ऋणदाता को भुगतान नहीं किया जाता है, प्रति वर्ष ब्याज दर मौजूदा _ _ _ _ _ _ _ के बराबर होगी दर (प्रति वर्ष) ऋणदाता (या उसके किसी भी उत्तराधिकारी (ओं)) से संबंधित है **(बेंचमार्क दर (ओं))** जैसा कि समय-समय पर लेंडर (या उसके किसी उत्तराधिकारी) द्वारा घोषित किया जाता है कम/प्लस _ (_ _ _ _) आधार बिंदु (यानी प्रसार (ओं))
6.	**प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य शुल्क/शुल्क**	जैसा कि _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ के मंजूरी पत्र और _ _ _ _ _ _ के मुख्य तथ्यों के विवरण में उल्लेख किया गया है
7.	**उधारकर्ता (ओं)**	नाम: संविधानः आयु (यदि लागू हो): पिता का नाम (यदि लागू हो): पता/पंजीकृत कार्यालय का पताः कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि लागू हो): परमानेंट अकाउंट नंबरः
8.	**सह-उधारकर्ता (ओं)**	नाम: संविधानः आयु (यदि लागू हो): पिता का नाम (यदि लागू हो): पता/पंजीकृत कार्यालय का पताः कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि लागू हो): परमानेंट अकाउंट नंबरः
9.	**गारंटी (ओं)**	नाम: संविधानः आयु (यदि लागू हो): पिता का नाम (यदि लागू हो): पता/पंजीकृत कार्यालय का पताः कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि लागू हो):

		परमानेंट अकाउंट नंबरः
10.	**हाइपोथेकेटर (ओं)**	नाम: संविधानः आयु (यदि लागू हो): पिता का नाम (यदि लागू हो): पता/पंजीकृत कार्यालय का पताः कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि लागू हो): परमानेंट अकाउंट नंबरः
11.	**<span data-sheets-value="{"1":2,"2":"सिक्यूरिटी"}" data-sheets-userformat="{"2":513,"3":{"1":0},"12":0}" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: Arial;">सिक्यूरिटी**	जैसा कि इस समझौते सहित लोन दस्तावेज़ों में उल्लेख किया गया है और लोन दस्तावेज़ों के प्रावधानों के संदर्भ में लेंडर को समय-समय पर ऐसी अन्य सुरक्षा और अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।
12.	**प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क**	अगर लोन या उसके किसी हिस्से का कोई प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र उधारकर्ता द्वारा किसी भी समय किया जाता हैः (ए) लोन की अवधि के शुरुआती _ _ _ _ _ _ _ महीनों के दौरान, फिर उधारकर्ता (ओं) लेंडर को तुरंत प्रीपेड/फोरक्लोज़्ड राशि के _ _ _% (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%) के प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क/जुर्माना और लागू टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; और (बी) लोन की अवधि के शुरुआती _ _ _ _ _ _ _ महीनों के पूरा होने के बाद, फिर उधारकर्ता (ओं) लेंडर को तुरंत प्रीपेड/फोरक्लोज़्ड राशि के _ _ _% (_ _%) के प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क/जुर्माना और लागू टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (आई) बशर्ते कि यदि 365 दिनों की किसी अवधि के दौरान (या 366 दिन यदि फरवरी 29 उक्त अवधि के दौरान पड़ता है), उधारकर्ता (ओं) द्वारा प्रीपेड की गई कुल राशि उक्त अवधि के पहले दिन बकाया मूलधन के 25% से अधिक नहीं है (उक्त अवधि के पहले दिन प्रीपेड की गई किसी भी राशि से पहले), तब उधारकर्ता इस अवधि के दौरान प्रीपेड राशि पर किसी भी प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क/पेनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त उप-खंड (आई) केवल तभी लागू होगा जब लोन दस्तावेज़ों के तहत नियत तारीख (ओं) को भुगतान करने में किसी भी देरी या चूक सहित लोन दस्तावेज़ों के किसी भी प्रावधान के किसी भी डिफ़ॉल्ट या उल्लंघन का कोई उदाहरण नहीं है।
13.	**भुगतान अनादर उधारकर्ता (ओं) द्वारा देय शुल्क**	रु. 1500-अपमान के प्रति उदाहरण
14.	**दंडात्मक आरोप**	• **भुगतान डिफ़ॉल्ट के लिए दंड शुल्कः.** लोन के तहत देय किश्तों और/या किसी अन्य राशि के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, दंड शुल्क की दर से लगाया जाएगा **24% (चौबीस प्रतिशत) प्रति वर्ष** इस तरह के डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए सकल डिफ़ॉल्ट राशि पर। • **अन्य डिफ़ॉल्ट/डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के लिए दंडात्मक आरोपः** लोन दस्तावेज़ों के तहत किसी अन्य डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट की घटना (भुगतान डिफ़ॉल्ट और निर्धारित समय सीमा के भीतर केवाईसी/री-केवाईसी अपडेशन को पूरा करने में विफलता के अलावा) की स्थिति में, दंड शुल्क की दर से लगाया जाएगा **2% (दो प्रतिशत) प्रति वर्ष** उस अवधि के लिए बकाया लोन राशि पर, जिसके दौरान ऐसा डिफ़ॉल्ट जारी रहता है। • **केवाईसी/री-केवाईसी पूरा न होने पर दंडात्मक शुल्कः** यदि उधारकर्ता लेंडर और/या लागू कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर

		केवाईसी/री-केवाईसी अपडेशन पूरा करने में विफल रहता है, तो दंडात्मक शुल्क शुरू से शुरू होते हैं **₹ 2,000 से ₹ 15,000 प्रति माह** ऋणदाता की क्रेडिट कमेटी द्वारा अनुमोदित ढांचे के अनुसार, लोन राशि, देरी की अवधि और संबंधित क्रेडिट जोखिम के आधार पर लगाया जा सकता है। इसमें कुछ भी शामिल होने के बावजूद, केवाईसी/री-केवाईसी को पूरा न करने के कारण लगाए गए दंडात्मक शुल्क की समग्र सीमा के अधीन होंगे **2% (दो प्रतिशत) प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग राशि का प्रति वर्ष** जब तक इस तरह के गैर-अनुपालन ठीक नहीं हो जाते, तब तक मासिक आधार पर गणना और पुनर्प्राप्त किया जाता है।
15.	**नोटिस**	उधारकर्ता (ओं) और/या अनिवार्य (ओं) के मामले में: **पता:** **फोन:** **फ़ैक्स:** **ईमेल पता:** **का ध्यान रखें** :
16.	**निष्पादन का स्थान**	
17.	**अतिरिक्त शर्तें (ओं)**	**(I)** ऋण दस्तावेजों के प्रावधानों के अधीन, प्रारंभिक _ _ (_ _ _) महीनों की अवधि के लिए लोन की मूल राशि के पुनर्भुगतान/भुगतान के लिए एक स्थगन होगा जैसा कि यहां अनुसूची II में भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची में अधिक विशेष रूप से उल्लेख/प्रतिबिंबित किया गया है। **(II)** उधारकर्ता (ओं) और बाध्यकर्ता (ओं) स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता ने भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-क्रेडिट जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निर्देशों के अनुसार विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ सह-ऋण व्यवस्था की है, 2025, दिनांक नवंबर 28, 2025, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है (आरबीआई दिशानिर्देश)। उधारकर्ता (ओं) और बाध्यकर्ता (ओं) इससे सहमत और सहमत होते हैं, लेंडर लोन दस्तावेज़ों के तहत लोन के कुल मूल बकाया (या ऐसी सीमा तक) के 90% की सीमा तक अपने अधिकारों और दायित्वों (उधारकर्ता के बकाया/लोन या किसी प्रतिभूति के साथ या उसके बिना इसके किसी भी हिस्से सहित) को ट्रांसफर/नोवेट/असाइन करने का हकदार होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी गई है) उपरोक्त सह-ऋण व्यवस्था के तहत किसी भी सह-ऋण भागीदार को, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो लेंडर पूरी तरह से उचित समझता है, उधारकर्ता (ओं) और/या बाध्यकर्ता (ओं) से/से अनुमोदन या सूचना की किसी भी आवश्यकता के बिना। सह-ऋण व्यवस्था के अनुसार, सह-लेंडिंग पार्टनर (सह-लेंडिंग पार्टनर) लोन में भाग लेने और लेंडर के साथ सह-लेंडर बनने के अपने विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि लेंडर और सह-लेंडिंग पार्टनर के बीच पारस्परिक रूप से सहमति बनी है, जैसा कि मुख्य तथ्यों के कथन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सह-ऋण व्यवस्था के प्रारंभिक विवरण को विशेष रूप से यहां अनुलग्नक II में निर्दिष्ट किया गया है। **(III)** उधारकर्ता (ओं) और बाध्यकर्ता (ओं) समझते हैं और पुष्टि करते हैं कि लोन का ऐसा हिस्सा को-लेंडिंग पार्टनर (को-लेंडिंग पार्टनर पार्टिसिपेशन) को पूरी तरह से और हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अंत तक और इरादे से कि सह-लेंडिंग पार्टनर को सह-लेंडिंग पार्टनर भागीदारी का पूर्ण और पूर्ण मालिक माना जाएगा और इस तरह कानूनी रूप से और लाभकारी रूप से लोन के ऐसे सभी हिस्से का हकदार होगा, सभी बोझों से मुक्त। उधारकर्ता (ओं) और बाध्यकर्ता (ओं) आगे सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि सह-लेंडिंग पार्टनर योगदान के सह-लेंडिंग पार्टनर को लेंडर को ट्रांसफर करने पर, लोन की शर्तों को इस तरह से नया या असाइन किया गया माना जाएगा कि सह-लेंडिंग पार्टनर लोन का सह-लेंडर बन जाएगा और यह माना जाएगा कि उसने इस दस्तावेज़ को लेंडर के साथ सह-लेंडर के रूप में निष्पादित किया है **(IV)** उधारकर्ता ऋणदाता को किसी भी अन्य शुल्क/शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जैसा कि ऋण दस्तावेजों के तहत लागू होता है और/या जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। विभिन्न शुल्कों/शुल्कों की जानकारी के लिए सम्मान कैपिटल लिमिटेड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है: जब तक कि लोन दस्तावेज़ों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

		(V)	उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा मौजूदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, सभी इंश्योरेंस पॉलिसियों को तुरंत लेंडर के पक्ष में सौंपने का कार्य करता है, (लेंडर की संतुष्टि के लिए), यदि लेंडर समय-समय पर या लेंडर द्वारा किसी भी कारण (ओं) के लिए आवश्यक होने पर अनुरोध करता है, ऋण दस्तावेजों/ऋण सुविधा (ओं) के तहत उधारकर्ता (ओं) के सभी दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए और ऋणदाता के पक्ष में ऐसे बीमा और/या बीमा को असाइनमेंट के संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य तुरंत ऋणदाता को सौंप देंगे।

अनुसूची II

लोन दस्तावेज़ों के प्रावधानों के अधीन, भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची का अधिक विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इसके साथ अनुलग्नक I में संलग्न किया गया है;

अनुसूची III
एसएआईडी संपत्तियां

1. सभी वर्तमान और/या भविष्य की संरचनाओं के साथ भूमि/संपत्तियों के सभी टुकड़े या पार्सल, इमारतें, फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग्स, स्थायी और/या संयंत्र और मशीनरी स्थापित/स्थापित की जानी है और/या निर्माण/निर्माण किया जाना है और सभी वर्तमान और/या भविष्य के अधिकार, शीर्षक और/या उसमें _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ के हित

_____

डब्ल्यूआईटीएनईएसएस डब्ल्यूएचईआरईओएफ में, पार्टियों ने इस समझौते की अनुसूची-1 में बताई गई तारीख को इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर चिपकाए हैं।

बोरोर (एस) द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गयाः

_____
(नाम): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

लेंडर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गयाः

सम्मान कैपिटल लिमिटेड के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम:

घोषणा और जानकारी

में वास्तविक/रचनात्मक द्वारा शीर्षक विलेख के जमा द्वारा समान बंधक का मामला 1 डिलीवरी *

द्वारा व्यक्ति (ओं)/संस्थाओं/फर्म (ओं) को इसके तहत अनुसूची I में मॉर्टगेगर (ओं) के रूप में नामित किया गया है और जिसका पता और अन्य विवरण इसके तहत अनुसूची I में उल्लेख किया गया है (इसके बाद इसे के रूप में संदर्भित किया गया है **मॉर्टगैगोर (ओं)**) सम्मान कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में, कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी, 2013, ए-34 पर अपना पंजीकृत कार्यालय होना, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली -110024 और कॉर्पोरेट पहचान संख्या होना: L65922DL2005PLC136029 (इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है **लेंडर** , किस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे)।

मॉर्टगैगर (ओं) शब्द, उधारकर्ता (ओं) और/या बाध्यकर्ता (ओं), जब तक कि अर्थ और संदर्भ के लिए प्रतिकूल न हो, इसमें (ए) किसी कंपनी/सोसायटी/निकाय कॉर्पोरेट के मामले में शामिल होंगे, इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनमेंट; (बी) साझेदारी फर्म के मामले में, उनमें से कोई भी या प्रत्येक भागीदार और उत्तरजीवी और समय-समय पर भागीदार और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, फर्म के अनुमत असाइन और उत्तराधिकारी; (ग) स्वामित्व संबंधी चिंता के मामले में, मालिक (अपनी व्यक्तिगत क्षमता और कंपनी के मालिक के रूप में दोनों) और उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, मान्यता प्राप्त असाइन और संबंधित के उत्तराधिकारी; (घ) हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में (**एचयूएफ**), एचयूएफ के कर्ता और एचयूएफ के किसी भी या प्रत्येक वयस्क सदस्य/सह-भागीदार और उनके उत्तरजीवी और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, अनुज्ञात असाइन और उत्तराधिकारी; (ई) किसी व्यक्ति के मामले में, उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, और अनुमत असाइन किए गए हैं; (च) ट्रस्ट के मामले में, कुछ समय के लिए ट्रस्टी (ओं), इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनमेंट।

यहां इस्तेमाल किए गए और परिभाषित नहीं किए गए किसी भी कैपिटलाइज्ड टर्म का अर्थ लोन दस्तावेज़ों में दिया गया होगा। इस घोषणा और स्वीकृति में, शब्द (आई) **उधारकर्ता (ओं)** इसका मतलब है कि कंपनी (आईई)/व्यक्ति (ओं)/फर्म (ओं) जिसका नाम इसके तहत अनुसूची I में उधारकर्ता (ओं) के रूप में नामित किया गया है और जिसका पता और अन्य विवरण भी इसके तहत अनुसूची III में उल्लिखित हैं। उधारकर्ता (ओं) शब्द में सह-उधारकर्ता (ओं) शामिल होंगे, यदि कोई हो, जिसका नाम इसके तहत अनुसूची I में दिया गया है; (ii) **लोन दस्तावेज़** का अर्थ है (ए) लोन एग्रीमेंट और/या (बी) अन्य सभी एग्रीमेंट, आवेदन (ओं), फॉर्म (ओं), उपक्रम (ओं), दस्तावेज़ (ओं), पत्र (ओं), विलेख (ओं), ज्ञापन (ओं), घोषणा (ओं) और/या पावर ऑफ अटॉर्नी (ओं) साक्ष्य, सुरक्षा, लोन (ओं)/उधारकर्ता के बकाया/सुरक्षा/गारंटी से संबंधित या अन्यथा संबंधित/संबंधित है और इसमें कोई भी संशोधन शामिल है, इसके लिए संशोधनकारी या पूरक समझौता; (iii) **उधारकर्ता का बकाया** इसका मतलब है कि ऋण (ओं) की बकाया मूल राशि और ऋण दस्तावेजों और/या (ए) ऋणदाता (ओं) और (बी) ऋणदाता के बीच दर्ज किए गए किसी अन्य समझौते के तहत ऋणदाता को ऋणदाता द्वारा देय अन्य राशि, किसी भी रुचि सहित, दंडात्मक आरोप, शुल्क, लागतें, शुल्क, खर्च और अन्य राशि जो भी ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को देय हो; (iv) **ऑब्लिगर (ओं)** का अर्थ है उधारकर्ता, गारंटी (ओं), हाइपोथेकेटर (ओं), प्लेड्गोर (ओं), द मॉर्टगैगर (ओं), और/या कोई अन्य व्यक्ति (ओं) जो लोन दस्तावेज़ों के तहत लेंडर के पक्ष में कोई सुरक्षा/संपार्श्विक/गारंटी प्रदान करता है और/या जो किसी भी लोन दस्तावेज़ों का पक्ष (लेंडर के अलावा) है या बन जाता है।

मॉर्टगेगर (ओं) इसके द्वारा लेंडर को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है, प्रतिनिधित्व करता है, कार्य करता है, पुष्टि करता है और/या स्वीकार करता है:

1. मॉर्टगेगर (ओं) इस घोषणा और स्वीकृति को बनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं।
2. मॉर्टगेगर यहां अनुसूची आई-ए में विशेष रूप से वर्णित संपत्तियों के कानूनी और लाभकारी मालिक और/या डेवलपर हैं **(गिरवी रखे गए गुण)** और पूरी तरह से बंधक संपत्तियों को गिरवी रखने के हकदार हैं .
3. उधारकर्ता (ओं) और ऋणदाता ने विशेष रूप से अनुसूची I में उल्लिखित ऋण (ओं) के लिए ऋण समझौते (ओं) को निष्पादित किया है और/या इसमें कोई संशोधन (ओं)/परिशिष्ट (ओं) है **ऋण समझौता (ओं))** . लोन दस्तावेज़ों (जैसा कि समय-समय पर निष्पादित/संशोधित किया गया है) के नियमों और शर्तों के अधीन ऋणदाता द्वारा लोन (ओं) का वितरण किया गया है/किया जाएगा।
4. द मॉर्टगैगर (ओं)/द मॉर्टगैगर (ओं) अधिकृत प्रतिनिधि (ओं) (द मॉर्टगैगर (ओं) की ओर से कार्य करना), अगर कोई, इसके तहत अनुसूची I में नामित, डिलीवरी/डिपॉजिट (जमा के माध्यम से) करने के लिए अनुसूची I में उल्लिखित तिथि पर यहां के तहत अनुसूची I में उल्लिखित लेंडर के कार्यालय में उपस्थित थे वास्तविक/रचनात्मक [2] डिलीवरी) ऋणदाता के साथ सभी मूल दस्तावेज/शीर्षक के विलेख, ब्याज, सबूत और बंधक संपत्तियों के संबंध में लेखन विशेष रूप से इसके तहत अनुसूची II में वर्णित (इसके बाद शीर्षक विलेख के रूप में संदर्भित)। शीर्षक विलेख (जैसा कि ऊपर कहा गया है) लेंडर के अधिकृत प्रतिनिधि (ओं) (लेंडर की ओर से कार्य) के पास जमा किए गए हैं, जैसा कि यहां अनुसूची I में उल्लेख किया गया है।
5. मॉर्टगेगर (ओं) आगे बताता है और घोषणा करता है कि मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज के टाइटल डीड्स को मॉर्टगेगर (ओं) द्वारा लेंडर के पास जमा किया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विशेष रूप से लेंडर के पक्ष में टाइटल डीड्स जमा करके फर्स्ट-रैंकिंग मॉर्टगेज बनाने के इरादे से, ताकि ओब्लिगर (ओं) के सभी दायित्वों को पूरा किया जा सके और देय पुनर्भुगतान सहित लेंडर को उधारकर्ता के बकाया का भुगतान/पुनर्भुगतान किया जा सके, भुगतान, लोन एग्रीमेंट (ओं) और/या किसी अन्य लोन एग्रीमेंट (ओं) के तहत दी गई कुल लोन राशि (ओं) का उधारकर्ता (ओं) द्वारा ऋणदाता को ब्याज के साथ निर्वहन और मोचन, दंडात्मक आरोप, लिक्विडेटेड नुकसान, प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र और/या रिडेम्पशन पर प्रीमियम, लागतें, शुल्क, खर्च और अन्य सभी पैसे, ऋण दस्तावेजों और/या समय-समय पर संशोधित अन्य दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को बाध्यकर्ता (ओं) (उधारकर्ता (ओं) सहित) द्वारा कितना भी और जो भी देय हो।
6. गिरवी रखी गई संपत्ति (या उसका कोई भी हिस्सा) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के दायरे में नहीं आती है, 1976 और, इसलिए, मॉर्टगेगर (ओं) उक्त कानून और/या किसी अन्य कानून (ओं) के तहत बिना किसी अनुमति/निषेध/प्रतिबंध के लेंडर के पक्ष में मॉर्टगेज की गई संपत्तियों को गिरवी रखने और चार्ज करने का हकदार है।
7. मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज़ सभी बोझों से मुक्त हैं (लेंडर के पक्ष में बनाए गए मॉर्गेज को छोड़कर), दावा और मांगें और उनमें से कोई भी या उसका कोई भी हिस्सा किसी ग्रहणाधिकार के अधीन नहीं है, अटैचमेंट या किसी भी अदालत या प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य प्रक्रिया और यह कि मॉर्टगेगर (ओं) ने इसके संबंध में कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है/नहीं बनाया है और यह कि मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूसिव हैं, और गिरवी रखी गई संपत्तियों या उनमें से किसी या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में कोई प्रतिकूल दावा नहीं किया गया है और अधिग्रहण या मांग की किसी भी सूचना से प्रभावित नहीं होते हैं, और यह कि इनकम टैक्स अधिनियम के तहत मॉर्टगेगर (ओं) और/या मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित या शुरू नहीं की गई है, 1961, और/या भारत में लागू किसी अन्य कानून (ओं) के तहत लागू है।
8. आज की तारीख तक, टाइटल डीड्स ही मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज से संबंधित टाइटल के एकमात्र दस्तावेज हैं। यदि किसी भी समय, किसी भी अन्य दस्तावेज़ (दस्तावेज़)/विलेख (दस्तावेज़) को अधिकारों से संबंधित/प्रभावित करने के संबंध में निष्पादित किया जाता है/किया जाता है, मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज में मॉर्टगेगर (ओं) का शीर्षक और/या हित, फिर मॉर्टगैगर (ओं) तुरंत जमा करेगा, या जमा करने का कारण बनता है, ऐसे दस्तावेज़ (ओं)/विलेख (ओं) (मूल में) लेंडर/लेंडर के एजेंट (ओं) के साथ।
9. मॉर्टगैगर (ओं), एतद्द्वारा सहमत हैं और/वह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

a) गिरवी रखी गई संपत्तियों के लिए शीर्षक साबित करें और उसे सही करें और उन सभी आवश्यकताओं का पालन करें जो उस ओर से लेंडर द्वारा या उसकी ओर से समय-समय पर की जा सकती हैं;

---

[1] जो भी लागू हो, उसके आधार पर वास्तविक या रचनात्मक हड़ताल करें।

[2] जो भी लागू हो, उसके आधार पर वास्तविक या रचनात्मक हड़ताल करें।

b) ऐसी घोषणाएं, उपक्रम और अन्य लेखन दें जो लेंडर द्वारा आवश्यक हों और लेंडर द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत अन्य सभी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं का संतोषजनक रूप से पालन करें;
c) सभी किराए का भुगतान करें, दरें, टैक्स, सेस, शुल्क, शुल्क, राजस्व, मूल्यांकन, और बंधक संपत्तियों के संबंध में देय अन्य राशियों का भुगतान करना और सभी शर्तों का पालन करना होगा, शर्तें, शर्तें, उसी से संबंधित नियम और विनियम और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे या करने के लिए छोड़ेंगे या पीड़ित नहीं होंगे जिसके द्वारा लेंडर के पक्ष में बनाया गया बंधक किसी भी तरह से प्रभावित या पूर्वाग्रहपूर्ण हो;
d) बंधक संपत्तियों को उचित स्थिति में बनाए रखना और रखना (लेंडर की संतुष्टि के लिए);
e) तुरंत समय-समय पर बंधक संपत्तियों के लेंडर (और/या लेंडर के अधिकृत व्यक्ति (ओं) द्वारा साइट विज़िट और/या निरीक्षण की व्यवस्था करें। लेंडर (और/या लेंडर का अधिकृत व्यक्ति) इसके द्वारा मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज में प्रवेश करने और समय-समय पर मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज का निरीक्षण करने और/या उनका निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है; और
f) गिरवी रखी गई संपत्तियों पर लेंडर के पक्ष में बनाए गए मॉर्गेज पर पूर्वाग्रह नहीं किया जाएगा, उधारकर्ता (ओं) और/या ऋण (ओं)/उधारकर्ता के बकाया की उधार शक्तियों के अभाव में प्रभावित या जारी या निर्वहन किसी भी कारण से अवैध/अप्रवर्तनीय हो जाता है।

10. कोई बंधक नहीं, चार्ज करें, ग्रहणाधिकार, अधिकार, नकारात्मक ग्रहणाधिकार, रुचियाँ, लाइसेंस और/या अन्य बोझ जो कुछ भी बनाया गया है (लेंडर के पक्ष में बनाए गए प्रथम श्रेणी के बंधक (ओं) को छोड़कर) और/या लेंडर की पूर्व लिखित अनुमति के अलावा और उसे छोड़कर बंधक संपत्तियों पर बनाया जाएगा। लोनदाता की पूर्व लिखित अनुमति के अलावा, मॉर्टगेजर (ओं) मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज़ का विकास, निर्माण, विध्वंस और/या बदलाव नहीं करेगा। मॉर्टगेगर (ओं) को आवंटित नहीं किया जाएगा, बेचें, संप्रेषित करें, निपटान करें, लीज पर, सब-लीज़, लाइसेंस, शामिल हैं (किसी भी तीसरे पक्ष के हितों के निर्माण सहित), कब्जे के साथ भाग, लेंडर से लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी तरह से डील करें और/या मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज (या इसके किसी भी हिस्से) को ट्रांसफर करें। मॉर्टगेगर (ओं) को इससे पहले लेंडर से लिखित अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना/प्राप्त करना होगा अन्य बातों के साथ, कोई भी आवेदन (ओं), समझौता (ओं), दस्तावेज़ (ओं) और/या अनुबंध (ओं) के लिए/के/संबंधित, अन्य बातों के साथ, सेल, परिवहन, स्थानांतरण, लीज पर, सब-लीज़, किराया, लाइसेंस, कब्ज़ा, नकारात्मक ग्रहणाधिकार, असाइनमेंट, विकास, चार्ज करें, तृतीय-पक्ष अधिकार/हित, बंधक संपत्तियों (और/या इसके किसी भी हिस्से) का आवंटन और/या बोझ।
11. ऋणदाता के पास इस घोषणा और स्वीकृति के प्रावधानों पर कार्य करने और उन्हें लागू करने और/या उस संबंध में उचित उपाय अपनाने का अधिकार होगा और वह इस संबंध में उचित रूप में विभिन्न रूप में उपाय अपना सकता है और लागू कानूनों के अनुसार इस घोषणा और स्वीकृति के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। किसी भी समय किसी भी ऋण दस्तावेज़ के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना (जैसा कि किसी भी ऋण दस्तावेज़ में परिभाषित किया गया है) के बाद होता है, ऋणदाता (अदालत/मध्यस्थ के हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) अपने विवेक पर कर सकता है, और बिना कोई कारण बताए, अलॉट करें, बेचें, स्थानांतरण, एनकम्बर, संप्रेषित करें, लीज पर, सब-लीज़, किसी भी तरह से बंधक संपत्तियों या उसके किसी भी हिस्से (जिसे लेंडर द्वारा सीमांकित किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है) का निपटान करना और/या उससे निपटना, और यह ऐसे नियमों और शर्तों (बिक्री मूल्य सहित) पर मॉर्टगेगर (ओं) के लिए बाध्यकारी होगा, जैसा कि लेंडर उचित समझे।
12. मॉर्टगेगर सभी विज्ञापनों, पर्चे, ब्रोशर आदि में, मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज और/या उस पर किसी भी निर्मित हिस्से के संबंध में, निम्नलिखित जानकारी का खुलासा करेगा;
(i) लेंडर और किसी अन्य लेंडर (यदि कोई हो) का नाम, जिनके पक्ष में मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी की सुरक्षा मॉर्टगेगर (ओं) द्वारा बनाई गई है, समय-समय पर; (ii) यह तथ्य कि गिरवी रखी गई संपत्ति और/या उस पर कोई निर्मित हिस्सा लेंडर और/या अन्य लेंडर (यदि कोई हो) के पक्ष में गिरवी रखा गया है; (iii) एक बयान कि मॉर्टगेगर (ओं) किसी भी भूमि की बिक्री के लिए लेंडर और अन्य लेंडर (यदि कोई हो) का अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति प्रदान करेगा, निर्मित भाग, फ्लैट और/या इकाइयाँ, बंधक संपत्तियों का हिस्सा है; और (iv) कोई अन्य जानकारी जिसे किसी भी लागू कानून के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, नियम, संबंधित प्राधिकरणों के विनियमन या दिशानिर्देश, समय-समय पर। इसके अलावा, इस तरह के विज्ञापन में मॉर्टगेगर (ओं) को भी जोड़ा जाएगा, बंधक संपत्तियों की सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी जो किसी भी लागू कानून के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, नियम, संबंधित प्राधिकरणों के विनियमन या दिशानिर्देश, समय-समय पर।
13. हर समय बंधक की वैधता के दौरान, मॉर्टगेगर (ओं) ऐसे जोखिमों और आकस्मिकताओं से होने वाले किसी भी नुकसान और/या नुकसान के खिलाफ तुरंत मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी का बीमा करेगा, जैसा कि लेंडर उचित समझता है, लेंडर को स्वीकार्य बीमाकर्ता के साथ, बंधक संपत्तियों के पूर्ण (प्रचलित) बाजार मूल्य/प्रतिस्थापन योग्य मूल्य से कम नहीं और इस तरह के बीमा को बनाए रखने और/या नवीनीकृत करने के लिए आवश्यक सभी प्रीमियम का समय पर भुगतान करें। अगर मॉर्टगेगर (ओं) उपरोक्त के अनुसार मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज का बीमा करने और/या मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज के लिए ऐसे इंश्योरेंस को बनाए रखने/रिन्यू करने में विफल रहता है, लेंडर किसी भी इंश्योरेंस को लागू करने/बनाए रखने/रिन्यू करने के लिए स्वतंत्र (हालांकि बाध्य नहीं) होगा, जिसे वह अपने विवेकाधिकार में आवश्यक मानता है, जिस स्थिति में ऋणदाता बिना किसी सीमा के ऐसे बीमा को प्राप्त करने/बनाए रखने/नवीनीकृत करने में ऋणदाता द्वारा किए गए ब्याज दर (ओं) से संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट/गणना की गई ब्याज दर (ओं) पर ऋणदाता को किसी भी लागत और व्यय (और उस पर ब्याज) के लिए तुरंत प्रतिपूर्ति/भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसे इंश्योरेंस के संबंध में लेंडर द्वारा भुगतान किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके अलावा, मॉर्टगैगोर (ओं) होगा, उधारकर्ता (ओं) को ऋण (या इसके किसी भी हिस्से) के संवितरण से पहले (1) बंधक संपत्तियों के लिए ऐसी बीमा पॉलिसी में उपयुक्त बदलाव करें ताकि ऋणदाता ऐसी बीमा पॉलिसी के तहत बंधक (ओं) के सभी अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हो सके; और (ii) ऋणदाता के पक्ष में बंधक संपत्तियों से संबंधित बीमा को असाइन/एंडोर्स करें। मॉर्टगेगर (ओं) तुरंत लेंडर को सौंप देगा (ए) ऐसे इंश्योरेंस के संबंध में सभी दस्तावेजी सबूत (ऊपर बताई गई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी में किए गए बदलाव सहित) और लेंडर के पक्ष में इंश्योरेंस का असाइनमेंट/एंडोर्समेंट और/या (बी) इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, बंधक संपत्तियों के संबंध में बीमा कंपनी/बीमाकर्ता से प्राप्त कोई भी पैसा। मॉर्टगेगर (ओं) इसके द्वारा लेंडर (ओं) और मॉर्टगेगर (ओं) को अधिकृत करता है, मॉर्टगैगोर (ओं) की कीमत पर, इसके संबंध में ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए) ऐसे बीमा के तहत दावा करने/दर्ज करने के लिए और बंधक संपत्तियों के संबंध में ऐसे बीमा के तहत बीमा कंपनी/बीमाकर्ता से सभी राशि प्राप्त करने के लिए।
14. के संबंध में, अन्य बातों के साथ, गिरवी रखे गए गुण, मॉर्टगेगर (ओं) समय-समय पर सभी लागू कानूनों का पालन करेगा, आदेशों सहित नियम और विनियम, निर्देश, सर्कुलर, वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी अधिसूचनाएं और/या स्पष्टीकरण, अदालतें, न्यायाधिकरण और/या अर्ध-न्यायिक निकाय।
15. मॉर्टगेगर (ओं) इसके द्वारा सहमत हैं और वचन देते हैं कि मॉर्टगेगर (ओं) स्टाम्प शुल्क का भुगतान करेगा, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, इस घोषणा और स्वीकृति और/या संबंधित प्रवेश ज्ञापन सहित ऋणदाता के पक्ष में बंधक संपत्तियों पर समान बंधक के संबंध में किसी भी दस्तावेज़ के संबंध में उस पर जुर्माना और कोई अन्य शुल्क जो भी देय हो। मॉर्टगेगर (ओं), आगे, यह वादा करता है कि मॉर्टगेगर (ओं), इसके भीतर होगा 3 (तीन) लेंडर द्वारा मांग के दिन, लेंडर को किसी भी लागत, स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, उस पर जुर्माना, लागत, खर्च, किसी भी अन्य नुकसान और/या के खिलाफ क्षतिपूर्ति करें के कारण उत्पन्न होने वाली देयता ऐसे दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प शुल्क और/या पंजीकरण शुल्क का भुगतान न करने और/या शॉर्ट/अंडर भुगतान का कारण। मॉर्टगेगर (ओं) संबंधित फ़ॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ फाइल करेगा और निर्धारित समय के भीतर उपयुक्त अधिकारियों/कंपनियों के पंजीयक के पास लेंडर के पक्ष में बनाए गए मॉर्टगेज को रजिस्टर करेगा और लेंडर को इसके प्रमाण पत्र/फ़ॉर्म तुरंत प्रस्तुत करेगा।
16. इस घोषणा और स्वीकृति और/या लागू कानूनों के तहत या उनके संबंध में या उनके अनुसरण में किया जाने वाला कोई भी संचार और/या दस्तावेज बनाया या वितरित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो, ईमेल द्वारा, फैक्स करें, भौतिक पत्र/दस्तावेज़ या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप में। पता, ईमेल पता, फोन और/या फ़ैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी/व्यक्ति, अगर कोई, जिनके ध्यान के लिए किसी भी संचार के लिए मोर्टगेगर (ओं) या लेंडर का

संचार किया जाना है, इस घोषणा और स्वीकृति और/या लागू कानूनों के तहत या उसके संबंध में या उसके अनुसार बनाई जाने वाली या वितरित की जाने वाली सूचना या दस्तावेज इस प्रकार हैं:

द मॉर्टगैगर (ओं) के लिए: जैसा कि यहां अनुसूची I में उल्लेख किया गया है

लेंडर के लिए: पता : ए-34, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली -110024

फ़ोन : 1800-572-7777 **ईमेल करें** : customer.care@sammaancapital.com **का ध्यान रखें** : कंपनी सचिव

या कोई भी विकल्प पता, ईमेल पता, फोन, फ़ैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी या व्यक्ति के रूप में मोर्टगेगर (ओं) या लेंडर एक-दूसरे को कम से कम 3 (तीन) दिनों के नोटिस द्वारा सूचित कर सकते हैं। इस घोषणा और स्वीकृति और/या लागू कानूनों के तहत या उसके संबंध में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया गया या दिया गया कोई भी संचार या दस्तावेज केवल प्रभावी होगा: (आई) यदि फ़ैक्स, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप में, जब प्राप्त/सुपाठ्य रूप में वितरित किया जाता है; या (ii) यदि भौतिक पत्र/दस्तावेज़ों के माध्यम से, जब इसे प्राप्तकर्ता (ओं) को वितरित किया गया हो या संबंधित पते पर छोड़ दिया गया हो या 3 (तीन) पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के दिन बाद, स्पीड पोस्ट या कूरियर, (iii) यदि किसी विशेष विभाग या अधिकारी/व्यक्ति को उसके पते के विवरण के हिस्से के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यदि उस विभाग या अधिकारी/व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। लेंडर को किया जाने वाला या वितरित किया जाने वाला कोई भी संचार या दस्तावेज़ केवल तभी प्रभावी होगा जब वास्तव में लेंडर द्वारा प्राप्त किया जाएगा और फिर केवल तभी प्रभावी होगा जब इसे नीचे लेंडर के हस्ताक्षर के साथ पहचाने गए विभाग या अधिकारी के ध्यान के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया हो (या लेंडर के रूप में कोई वैकल्पिक विभाग या अधिकारी इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट करेगा)। इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा किसी भी उधारकर्ता (ओं) या किसी अन्य दायित्वकर्ता (ओं) को दी गई किसी भी सूचना को बंधक (ओं) को दी गई सूचना माना जाएगा (इस घोषणा और स्वीकृति और/या अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत) और मॉर्टगेगर (ओं) विशेष रूप से सहमत हैं कि 1 (एक) दिन का नोटिस मॉर्टगेगर (ओं) के उद्देश्यों के लिए एक उचित नोटिस होगा, अन्य बातों के साथ, बंधक संपत्तियों के संबंध में लेंडर द्वारा किसी भी अधिकार का प्रयोग करना। इस घोषणा और स्वीकृति और/या लागू कानूनों के तहत या उसके संबंध में या उसके अनुसार दी गई कोई भी सूचना/दस्तावेज अंग्रेजी में होनी चाहिए।

17.1 (ए) ऋण दस्तावेजों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद (इस घोषणा और स्वीकृति सहित), लेकिन नीचे दिए गए खंड 17.1 (बी) के अधीन, यदि कोई विवाद/असहमति/मतभेद हैं **(विवाद)** (I) के बीच उत्पन्न होता है [चाहे उधारकर्ता (ओं) और/या अन्य बाध्यकर्ता (ओं), अगर कोई, इस तरह के विवाद के लिए एक पक्ष/पक्ष हैं] और (II) ऋण दस्तावेजों (इस घोषणा और स्वीकृति सहित) और/या उसके बाद के निर्वाह के दौरान ऋणदाता, के संबंध में, *अन्य बातों के साथ* , वैधता, व्याख्या, लोन दस्तावेज़ों के किसी भी प्रावधान (प्रावधानों) का कार्यान्वयन और/या कथित उल्लंघन (इस घोषणा और स्वीकृति सहित), एकमात्र मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र या अस्तित्व/नियुक्ति और/या कोई भी मामला/मुद्दा जो भी हो, फिर इस तरह के विवाद को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाएगा और ऋण समझौते (ओं) में उल्लिखित मध्यस्थता खंड उत्परिवर्ती उत्परिवर्तन लागू होगा।

17.1 (बी) इस घोषणा और स्वीकृति के खंड 17.1 (ए) में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जब तक कि लेंडर अन्यथा लिखित रूप में सहमत/सूचित न हो, मॉर्टगेगर (ओं) इस बात से सहमत हैं कि यदि लोन समझौते (ओं) के प्रावधानों के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ को नामित/नियुक्त किया गया है या लोन समझौते (ओं) के प्रावधानों के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ के नामांकन/नियुक्ति के लिए कदम उठाए गए हैं, फिर वही एकमात्र मध्यस्थ विवाद का निर्णय लेगा, अगर कोई, और यह माना जाएगा कि उक्त एकमात्र मध्यस्थ (जिसे ऋण समझौते के प्रावधानों के संदर्भ में नामित/नियुक्त किया गया है) को इस घोषणा और स्वीकृति के तहत एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित/नियुक्त किया गया है।

17.1 (सी) यह स्पष्ट रूप से सहमत है, किसी भी परिस्थिति में, उपरोक्त के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति/नामांकन को सुरक्षित करने का एकमात्र साधन होगी और हमेशा यह माना जाएगा, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति/नामांकन के किसी अन्य वैकल्पिक तरीके का सहारा लिए बिना।

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (या कुछ समय के लिए लागू कोई भी वैधानिक पुनर् अधिनियमन) द्वारा शासित होगी और अंग्रेजी भाषा में होगी। मध्यस्थ का निर्णय लिखित रूप में होगा। मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही की लागत पर निर्णय लेने का भी हकदार होगा। यह पुरस्कार लागू कानूनों के अधीन बाध्यकारी होगा और यह पुरस्कार किसी भी सक्षम अदालत में लागू किया जाएगा। लोन दस्तावेज़ों के तहत मध्यस्थता के संबंध में मॉर्टगेगर (ओं) और/या अन्य ऑब्लिगर (ओं) द्वारा दी जाने वाली कोई भी सूचना ऑब्लिगर (ओं) द्वारा संयुक्त रूप से लेंडर को दी जाएगी।

18. ऋणदाता के पक्ष में प्रथम श्रेणी के बंधक के निर्माण और इस घोषणा और स्वीकृति के निष्पादन और वितरण के लिए मॉर्टगेगर (ओं) ने सक्षम अधिकारियों/व्यक्तियों (ओं) से सभी आवश्यक अनुमतियां/अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं। मॉर्टगेगर (ओं) के पास उधारकर्ता के बकाया को सुरक्षित करने की आवश्यक शक्ति है/है।

19. खंड 17 में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, लोन दस्तावेज़ों के तहत डिफ़ॉल्ट की कोई घटना होने पर, ऋणदाता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम के प्रवर्तन के तहत कार्रवाई शुरू करने और/या आगे बढ़ने का हकदार होगा, 2002 (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित), कुछ समय के लिए लागू और जैसा कि समय-समय पर अधिनियमित किया जा सकता है) और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन या फिर से अधिनियमित करना, **यदि लागू हो** , मॉर्टगेगर (ओं) के खिलाफ और/या बंधक संपत्तियों के संबंध में लेंडर के अधिकारों को लागू करने के लिए।

20. किसी भी दस्तावेज़ में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, गिरवी रखी गई संपत्तियों पर ऋणदाता के पक्ष में बनाया गया प्रथम श्रेणी का बंधक तब तक बना रहेगा (जब तक कि गिरवी रखी गई संपत्तियों पर ऐसा बंधक ऋणदाता द्वारा लिखित रूप में जारी नहीं किया जाता/किया जाता है) चाहे शीर्षक विलेख ऋणदाता या ऋणदाता के एजेंट के रूप में कार्य करने वाली किसी भी संस्था/व्यक्ति (व्यक्तियों) के पास हो/जमा किया गया हो।

21. ऊपर उल्लिखित ऋणदाता के पक्ष में बंधक किसी भी अन्य बंधक (ओं) के अलावा है जिसे ऋणदाता के पक्ष में और जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से ऋणदाता द्वारा लिखित रूप में सहमत न हो, बंधक संपत्तियों पर बंधक (ओं) द्वारा बनाया और/या बनाया जाना है, ऋणदाता के पक्ष में बंधक संपत्तियों पर बनाए गए और/या बनाए जाने वाले ऐसे बंधक (ओं)/शुल्क (ओं) पैरी पासू आधार पर होंगे।

और मॉर्टगेगर (ओं) ने उपरोक्त घोषणा और स्वीकृति को गंभीरता से और ईमानदारी से सत्य माना है और यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उस पर और उसके विश्वास पर भरोसा है, लेंडर ने उपरोक्त लेनदेन (ओं) को पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

अनुसूची I

1. मॉर्टगैगोर (ओं) -

एस। नंबर	**बंधककर्त्ता (ओं) का नाम**	**स्थायी खाता क्रमांक**
1.		
2.		

2. उधारकर्ता (ओं) (सह-उधारकर्ता (ओं) सहित, यदि कोई हो)-

एस। नंबर	**उधारकर्ता का नाम**	**स्थायी खाता क्रमांक**
1.		
2.		

3. लोन एग्रीमेंट तारीखः

4. लोन (ओं):

5. टाइटल डीड्स जमा करने का स्थानः

6. ऋणदाता के साथ मॉर्टगेगर (ओं) द्वारा टाइटल डीड्स जमा करने की तारीख (वास्तविक/रचनात्मक डिलीवरी * के माध्यम से):

7. इस घोषणा और स्वीकृति के निष्पादन की तारीखः

8. इस घोषणा और स्वीकृति के निष्पादन का स्थानः

9. मॉर्टगेगर (ओं) को सूचना/संचारः का ध्यान रखें: _____
___
पता: _____
ईमेल पता: _____
फ़ोन: _____

नोटः ऋणदाता के पंजीकृत कार्यालय को बदल दिया गया है, इसलिए, ऋणदाता का नाम खंड और पंजीकृत कार्यालय पर ऋणदाता को नोटिस/संचार के लिए पता इस प्रकार संशोधित किया गया हैः **ए-34, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली -110024**

अनुसूची आई-ए

सभी वर्तमान और/या भविष्य की संरचनाओं के साथ भूमि/संपत्तियों के सभी टुकड़े या पार्सल, इमारतें, फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग्स, स्थायी और/या संयंत्र और मशीनरी स्थापित/स्थापित की जानी है और/या निर्माण/निर्माण किया जाना है और सभी वर्तमान और/या भविष्य के अधिकार, का शीर्षक और/या रुचियां हैं _____ उसमें

अनुसूची II

शीर्षक कार्य

मॉर्टगैगर (ओं) द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

हस्ताक्षरकर्ता
(नाम): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

हस्ताक्षरकर्ता
(नाम): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

बोरोर (एस) से अंत में उपयोग करें

आज तक _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

सम्मान कैपिटल लिमिटेड
ए-34, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली -110024
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L65922DL2005PLC136029

विषयः लोन (ओं) के उपयोग के संबंध में उपक्रम
संदर्भ: लोन अकाउंट नंबर: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ लोन राशिः _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

प्रिय महोदय/महोदया,

इसमें (ए) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ के बीच निष्पादित ऋण समझौते (ओं) का संदर्भ है [इसके बाद इसे के रूप में संदर्भित किया गया है **उधारकर्ता (ओं)**] और (बी) सम्मान कैपिटल लिमिटेड (इसके बाद के रूप में संदर्भित है। **लेंडर**) ऋण समझौते (ओं) के मंजूरी पत्र और/या उसमें किसी भी संशोधन (ओं)/परिशिष्ट (ओं) में अधिक विशेष रूप से उल्लिखित ऋण (ओं) के लिए **लोन एग्रीमेंट (ओं)**) और/या अन्य ऋण दस्तावेज।

हम इसके द्वारा लेंडर को निम्नलिखित रूप में गंभीरता से घोषणा, प्रतिनिधित्व, कार्य और पुष्टि करते हैंः

1. हम लोन (ओं) की आय का उपयोग यहां बताए गए उद्देश्य के लिए करेंगे और लेंडर को समय-समय पर लेंडर द्वारा आवश्यक उसी का प्रमाण तुरंत प्रस्तुत करेंगे।
   a) पुरानी/नई आवासीय इकाई/घर/* का निर्माण/खरीद ☐
   b) आवासीय इकाई/घर/* के निर्माण के लिए भूखंडों की खरीद ☐
   c) मौजूदा आवासीय इकाई/घर/* का नवीनीकरण/पुनर्निर्माण ☐
   d) व्यक्तिगत ज़रूरतें/मेडिकल/शादी ☐
   e) व्यवसाय विस्तार/कार्यशील पूंजी ☐
   f) अन्य * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

अनुलग्नक I

ऋण दस्तावेजों के प्रावधानों के अधीन, उधारकर्ता (ओं) ऋण (ओं) का पुनर्भुगतान/भुगतान करेगा, नीचे दी गई भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार या ऐसे भुगतान/पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर लेंडर द्वारा निर्दिष्ट/सूचित किया जा सकता है

क्रम नंबर	**देय तिथि (ओं)**	**प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग (रु.)**	**देय ब्याज़ (रु.)**	**मूलधन देय (रु.)**	**कुल देय राशि (रु.)**

लोन/लोन खाते (ओं) को एसएमए श्रेणियों और एनपीए में वर्गीकृत करने का आधार इस प्रकार होगाः

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण		**कैश/क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट जैसी घूमने वाली सुविधाओं की प्रकृति में लोन**	
एसएमए उप - श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से अतिदेय राशि	एसएमए उप - श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार - बकाया राशि निम्नलिखित की अवधि के लिए स्वीकृत सीमा या ड्राइंग पावर, जो भी कम हो, से लगातार अधिक रहती हैः
SMA-0	30 दिन तक		
SMA-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 तक दिन
SMA-2	60 से अधिक दिन और 90 दिनों तक	SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 तक दिन

उपरोक्त को निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया हैः

यदि लोन खाते की देय तिथि अप्रैल 1, 2024 है, और ऋणदाता द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले उधारकर्ता का बकाया (या इसका कोई हिस्सा) प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तारीख अप्रैल 1, 2024 होगी। अगर यह ओवरड्यू बना रहता है, तो उधारकर्ता (ओं)/लोन के इस लोन अकाउंट (ओं) को मई 1, 2024 यानी लगातार ओवरड्यू होने के 30 दिन पूरे होने पर दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए -1 के रूप में टैग कर दिया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए -1 वर्गीकरण की तारीख मई 1, 2024 होगी।

इसी तरह, अगर उधारकर्ता (ओं)/लोन का लोन अकाउंट (ओं) ओवरड्यू बना रहता है, मई 31 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर इसे एसएमए -2 के रूप में टैग किया जाएगा, 2024 और यदि आगे भी बकाया बना रहता है, जून 30 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, 2024.

अनुलग्नक II

सह-ऋण व्यवस्था का विवरण

1. **सह-लेंडिंग पार्टनर योगदान**
   a) उधारकर्ता (ओं) अपनी ओर से और अन्य सभी बाध्यकर्ता (ओं) इसके द्वारा सहमत हैं और समझते हैं कि ए सह-ऋण व्यवस्था के अनुसार, अगर उधारकर्ता द्वारा लिया गया/लिया जाने वाला लोन संबंधित सह-लेंडिंग पार्टनर के चयन मानदंडों को पूरा करता है, और यदि यह सह-लेंडिंग पार्टनर द्वारा स्वीकार किया जाता है, को-लेंडिंग पार्टनर को-लेंडिंग पार्टनर के योगदान और लोन के हिस्से के अनुसार लोन का ऐसा हिस्सा उपलब्ध कराएगा [90% की सीमा तक (या ऐसी सीमा तक, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी जा सकती है) लोन की कुल मूल बकाया राशि] को-लेंडिंग पार्टनर को ट्रांसफर किया जाएगा *(जैसा कि नीचे अनुलग्नक III में मुख्य तथ्यों के कथन में अधिक विशेष रूप से उल्लेख किया गया है)* सह-ऋण व्यवस्था के तहत .
   b) सह-लेंडिंग पार्टनर को लोन ट्रांसफर करने पर, ठीक है, ऋण में ऋणदाता का शीर्षक और ब्याज (90% की सीमा तक (या ऐसी सीमा तक), जैसा कि दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी गई है) लोन के कुल बकाया मूलधन का), को-लेंडिंग पार्टनर को ट्रांसफर किया जाएगा और सह-लेंडिंग पार्टनर को लोन ट्रांसफर की सीमा तक लेंडर के रूप में माना जाएगा
   c) इसके अलावा, लोन की शर्तों को इस तरह से ट्रांसफर किया गया माना जाएगा कि सह-लेंडिंग पार्टनर लोन का सह-लेंडर बन जाएगा और यह माना

जाएगा कि उसने लेंडर के साथ सह-लेंडर के रूप में लोन दस्तावेज़ों (जिसमें लेंडर एक पार्टी है) को निष्पादित किया है और लोन के लेंडर को लोन दस्तावेज़ों के तहत दिए गए सभी संदर्भों को लेंडर और ऐसे सह-लेंडिंग पार्टनर दोनों का अर्थ माना जाएगा और इसमें शामिल किया जाएगा

2. लेंडर और को-लेंडिंग पार्टनर की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और करार

a) उधारकर्ता से ली जाने वाली अंतिम ब्याज दर मिश्रित ब्याज दर होगी, जो दोनों ऋणदाताओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों से प्राप्त होती है, प्रत्येक लेंडर की आंतरिक लेंडिंग पॉलिसियों के अनुसार, उधारकर्ता (ओं) और अन्य कारकों की जोखिम प्रोफ़ाइल, जैसा कि विशेष रूप से ऋण समझौते में निर्दिष्ट किया गया है।

b) सह-लेंडिंग व्यवस्था के तहत सह-लेंडिंग पार्टनर द्वारा लोन के एक हिस्से को नोवेट/असाइन/ट्रांसफर किए जाने की परवाह किए बिना, लेंडर उधारकर्ता (ओं) के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ़ इंटरफेस बना रहेगा।

c) उधारकर्ता उधारकर्ता (ओं) की सभी/किसी भी शिकायत के निवारण के लिए जिम्मेदार होगा, देय तिथि (ओं) पर प्राप्तियों और भुगतान किस्तों का संग्रह, सुरक्षा का प्रवर्तन और सभी प्रवर्तन आय प्राप्त करना, लोन अकाउंट की जानकारी आदि बनाए रखें।, अपने लिए और सह-लेंडिंग पार्टनर की ओर से। शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित विवरण खंड संख्या में निर्दिष्ट किया गया है। ऋण समझौते की 23।

d) लेंडर उधारकर्ता (ओं)/गारंटी (ओं) या किसी अन्य सिक्योरिटी प्रोवाइडर द्वारा बनाए गए सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रखने के लिए सह-लेंडिंग पार्टनर के एजेंट के रूप में कार्य करेगा और लोन और इसके संदर्भ में बनाई गई सिक्योरिटी के संबंध में सभी दस्तावेज़ अपने पास रखेगा, सुरक्षित हिरासत में है।

e) सह-लेंडिंग पार्टनर के पास सह-लेंडिंग समझौते की शर्तों के तहत 90% की सीमा तक सिक्योरिटी पर अधिकार होगा और लेंडर सिक्योरिटी को ट्रस्ट में रखेगा, और अपने और सह-लेंडिंग पार्टनर के लाभ के लिए। इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, सह-लेंडिंग पार्टनर के पास लोन दस्तावेज़ों के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति की वसूली और प्रवर्तन के सभी अधिकार होंगे।

f) सह-लेंडिंग पार्टनर के पास ऑब्लिगर (ओं) और ऐसी अन्य जांच/सत्यापन/निरीक्षण आदि का अतिरिक्त सीआईसी सत्यापन करने का अधिकार होगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे। सह-लेंडिंग पार्टनर भारतीय रिजर्व बैंक, क्रेडिट सूचना कंपनी (जैसे सिबिल और/या इसी तरह की अन्य संस्थाएं), क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, वैधानिक/नियामक को लोन के अपने-अपने हिस्से की रिपोर्ट करने का भी हकदार होगा

g) लेंडर सह-लेंडिंग पार्टनर को लोन और/या लोन लेने वाले के संचालन या वित्तीय स्थितियों या व्यवसाय से संबंधित सह-लेंडिंग पार्टनर के अनुरोध पर उसे प्राप्त केवाईसी दस्तावेजों सहित कोई भी जानकारी उपलब्ध कराएगा।

h) लेंडर और को-लेंडिंग पार्टनर इस को-लेंडिंग व्यवस्था के तहत प्रत्येक लेंडर के उधारकर्ता के संपर्क में आने के अनुसार, उधारकर्ता स्तर के परिसंपत्ति वर्गीकरण को लागू करेंगे।

3. उधारकर्ता की घोषणाएं

a) उधारकर्ता इस बात को समझता है और जानता है कि अगर लोन सह-ऋण व्यवस्था के तहत है, वह खाता जिसमें पुनर्भुगतान के लिए राशि चार्ज/जमा की जानी है, बदल सकता है और सह-लेंडिंग पार्टनर के साथ एस्क्रो अकाउंट पुनर्भुगतान के लिए राशि जमा करने के लिए नामित खाता हो सकता है। उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा ऋणदाता को आवश्यक निर्देश जारी करने और उधारकर्ता (ओं) के स्थायी निर्देशों जैसे ई-एनएसीएच, एनएसीएच या भुगतान के किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्राप्तकर्ता खाते के विवरण को बदलने के लिए अधिकृत करता है।

b) उधारकर्ता (ओं) ने पढ़ा/पढ़ा है (और/या पढ़ा और समझाया गया है), सत्यापित किया गया, लोन दस्तावेज़ों और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों (यदि कोई हो) के नियमों और शर्तों को समझना और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होना, सह-ऋण व्यवस्थाओं के लिए लागू प्रक्रिया और दिशानिर्देशों को शामिल करना लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

c) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि लेंडर और को-लेंडिंग पार्टनर के बीच दर्ज की गई/दर्ज की जाने वाली सह-ऋण व्यवस्था अपरिवर्तनीय होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी और उधारकर्ता कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, किसी भी कारण के लिए, ऋण दस्तावेजों और सह-ऋण व्यवस्था की शर्तों के अनुसार।

d) उधारकर्ता (ओं) और बाध्यकर्ता (ओं) आगे समझते हैं और सहमत हैं कि उपरोक्त के रूप में सह-ऋण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और अन्य विवरण सह-ऋण भागीदार के साथ साझा किए जाने की आवश्यकता है। लोन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता (ओं) और बाध्यकर्ता (ओं) इसके द्वारा सह-ऋणदाता पार्टनर के साथ आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए लेंडर को अपनी सहमति प्रदान करते हैं, जो इस सह-ऋण व्यवस्था में भागीदार है। इसके अलावा, उधारकर्ता (ओं) और बाध्यकर्ता (ओं) ऋणदाता और सह-ऋणदाता भागीदार को क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और/या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को लोन और केवाईसी जानकारी से संबंधित किसी भी जानकारी या डेटा का खुलासा करने के लिए सहमति देते हैं, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या कोई अन्य सक्षम प्राधिकरण। उधारकर्ता (ओं) और बाध्यकर्ता (ओं) समझते हैं, सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे जानते हैं कि ऐसी एजेंसियां ऐसी जानकारी का उपयोग कर सकती हैं या साझा कर सकती हैं जो उन्हें उचित और उचित लगे।

4. को-लेंडिंग पार्टनर और को-लेंडिंग पॉलिसी की जानकारी लेंडर की वेबसाइट पर लिंक यानी.
https://www.sammaancapital.com/pdf/co-lending-policy.pdf
https://www.sammaancapital.com/pdf/list-of-co-lending-partnerships.pdf

अनुलग्नक - III

मुख्य तथ्य कथन (केएफएस)

भाग 1 (ब्याज दर और फ़ीस/शुल्क)

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="2">लोन प्रस्ताव/खाता नंबर</td><td>लोन का प्रकार</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">स्वीकृत लोन राशि (रुपये में)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">संवितरण अनुसूची
(आई) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम।
(ii) यदि यह चरणबद्ध है, तो ऋण के खंड का उल्लेख करें
प्रासंगिक विवरण वाला समझौता।</td><td colspan="4">सम्मान कैपिटल लिमिटेड (लेंडर) ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट सभी पूर्ववर्ती शर्तों की बाध्यकर्ता (ओं) द्वारा पूर्ति पर ही ऋण (या इसके किसी भी हिस्से) का वितरण कर सकता है।
लोन (कटौती के अधीन, यदि कोई हो) को पूरी तरह से या ऐसी किश्तों में वितरित किया जा सकता है जैसा कि उधारकर्ता (ओं) द्वारा लोन के वितरण के अनुरोध में उल्लेख किया गया है या ऋणदाता द्वारा उपयुक्त समझा गया है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">लोन अवधि (वर्ष/महीने/दिन)</td><td colspan="4">_ _ _ _ _ _ _ महीने</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">किस्त का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="2">किस्तों का तरीका</td><td>समान आवधिक किस्तों की संख्या (ईपीआई)</td><td>ईपीआई (₹)</td><td colspan="3">पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद</td></tr>
<tr><td colspan="2">मासिक</td><td>_ _ _ _ _ महीने</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="5">ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित दर या परिवर्तित दर या मिश्रित दर)</td><td colspan="2">_ _ _ _ _ _ _ _% प्रति वर्ष-(फ्लोटिंग ब्याज दर)</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="7">निश्चित ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">संदर्भ बेंचमार्क</td><td rowspan="2">बेंचमार्क दर (%) (बी)</td><td rowspan="2">स्प्रेड (%) (S)</td><td rowspan="2">अंतिम दर (%) आर = (बी) + (एस)</td><td colspan="2">आवधिकता पुनः निर्धारित करें</td><td colspan="2">संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (आर में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, बदलावः)
अंतिम दर +।25 =
___ + .25 = ___</td></tr>
<tr><td>बी</td><td>एस</td><td>ईपीआई (₹)</td><td>ईपीआई की संख्या</td></tr>
</table>

रिटेल मार्जिनल लेंडिंग रेट (आरएमएलआर)		वर्तमान आरएमएलआर-_ _ _ _ %	_____%	_ _ _ _ _% प्रति वर्ष	मासिक	मासिक	**परिदृश्य 1: EPIs की संख्या में कोई बदलाव नहीं होने पर ईपीआई राशि पर प्रभाव** ईपीआई राशि = _ _ _	**परिदृश्य 1: EPIs की संख्या में कोई बदलाव नहीं होने पर ईपीआई राशि पर प्रभाव** EPIs की संख्या = _ _ _
							परिदृश्य 2: ईपीआई राशि में कोई बदलाव नहीं होने के साथ EPIs की संख्या पर प्रभाव ईपीआई राशि = _ _ _	**परिदृश्य 2: ईपीआई राशि में कोई बदलाव नहीं होने के साथ EPIs की संख्या पर प्रभाव** EPIs की संख्या = _ _ _
8	**शुल्क/शुल्क**							
		लेंडर (ए) को देय है		लेंडर (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को भुगतान करने योग्य				
		एक बार/ आवर्ती	राशि (₹ में)	एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में)			
(i)	एडमिन फीस	वन टाइम	650					
(ii)	लेन-देन हैंडलिंग शुल्क	वन टाइम	1770					
(iii)	मूल्यांकन शुल्क	वन टाइम	2950					

(iv)	कुल प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान किया गया	वन टाइम	———		
9	**वार्षिक प्रतिशत दर (APR) (%)**		_____%		
10	**आकस्मिक शुल्कों का विवरण (₹ में या % में, जैसा लागू हो)**				
(i)	भुगतान में देरी के मामले में पेनल शुल्क, यदि कोई हो		भुगतान डिफ़ॉल्ट के लिए दंड शुल्क: लोन के तहत देय किश्तों और/या किसी अन्य राशि के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, दंड शुल्क की दर से लगाया जाएगा **24% (चौबीस प्रतिशत) प्रति वर्ष** इस तरह के डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए सकल डिफ़ॉल्ट राशि पर		
(ii)	अनुबंध के अन्य नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड शुल्क (भुगतान में चूक के अलावा)		अन्य डिफ़ॉल्ट/डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के लिए दंडात्मक आरोपः लोन दस्तावेज़ों के तहत किसी अन्य डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट की घटना (भुगतान डिफ़ॉल्ट और निर्धारित समय सीमा के भीतर केवाईसी/री-केवाईसी अपडेशन को पूरा करने में विफलता के अलावा) की स्थिति में, दंड शुल्क की दर से लगाया जाएगा **2% (दो प्रतिशत) प्रति वर्ष** उस अवधि के लिए बकाया लोन राशि पर, जिसके दौरान ऐसा डिफ़ॉल्ट जारी रहता है। केवाईसी/री-केवाईसी को पूरा न करने के लिए दंड शुल्क: यदि उधारकर्ता लेंडर और/या लागू कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर केवाईसी/री-केवाईसी अपडेशन पूरा करने में विफल रहता है, तो दंडात्मक शुल्क शुरू से शुरू होते हैं **₹ 2,000 से ₹ 15,000 प्रति माह** ऋणदाता की क्रेडिट कमेटी द्वारा अनुमोदित ढांचे के अनुसार, लोन राशि, देरी की अवधि और संबंधित क्रेडिट जोखिम के आधार पर लगाया जा सकता है। इसमें कुछ भी शामिल होने के बावजूद, केवाईसी/री-केवाईसी को पूरा न करने के कारण लगाए गए दंडात्मक शुल्क की समग्र सीमा के अधीन होंगे **2% (दो प्रतिशत) प्रति वर्ष** मूल बकाया राशि की गणना की जाती है और मासिक आधार पर वसूल की जाती है जब तक इस तरह के गैर-अनुपालन ठीक नहीं हो जाते		
(iii)	फोरक्लोज़र शुल्क, यदि लागू हो				
(iv)	ऋण को परिवर्तित दर से निश्चित दर में और इसके विपरीत बदलने पर लगने वाला शुल्क		स्विच के समय बकाया मूलधन पर रूपांतरण/स्विच शुल्क देय है और लेंडर के विवेक पर शुल्क लिया जाएगा। फ्लोटिंग रेट विकल्प (यानी फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग रेट) के भीतर ब्याज दर के संशोधन के लिए, देय शुल्क 25% या दो कूपन दरों के अंतर के बाद यानी मौजूदा और प्रस्तावित संशोधित दर के बीच होगा। फ्लोटिंग रेट से फिक्स्ड रेट में स्विच करने के मामले में या इसके विपरीत, देय शुल्क 50% या दो दरों के अंतर के बाद यानी मौजूदा और प्रस्तावित दर के बीच होगा। अधिक जानकारी/जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट यानी https://www.sammaancapital.com पर अपलोड की गई स्विच पॉलिसी देखें		
(v)	कोई भी अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)		उधारकर्ता ऋणदाता को किसी भी अन्य शुल्क/शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा लोन दस्तावेज़ों और/या लेंडर द्वारा निर्दिष्ट के तहत लागू। इसकी जानकारी विभिन्न शुल्कों/शुल्कों का अधिक विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इसके साथ संलग्न किया गया है इसके तहत अनुलग्नक डी में।		
11	**मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) की वैधता**		इस केएफएस की तारीख से 30 दिन		

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	वसूली एजेंटों के जुड़ाव से संबंधित ऋण समझौते का खंड।	लेंडर की कलेक्शन पॉलिसी और रेगुलेटरी दिशानिर्देशों के अनुसार, लेंडर के पास अपने पूर्ण विवेक से रिकवरी एजेंटों को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।
2	लोन अनुबंध का क्लॉज़ जिसमें शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है	किसी भी शिकायत/शिकायत की स्थिति में, उधारकर्ता (ओं) और/या सह-उधारकर्ता (ओं) अपने निकटतम ऋणदाता के शाखा कार्यालय में जा सकते हैं और एक शिकायत फ़ॉर्म (लिंक पर ऋणदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध) के माध्यम से अपनी पूछताछ/शिकायत दर्ज कर सकते हैं https://www.sammaancapital.com) या लेंडर से उसके टोल फ्री नंबर पर 1800-572-7777 पर संपर्क करें या कस्टमर केयर को यहां लिखें customer.care@sammaancapital.com यदि 30 दिनों के भीतर शिकायत/शिकायत का समाधान नहीं किया गया है, उधारकर्ता (ओं) और/या सह-उधारकर्ता (ओं) सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को लिख सकते हैं और/या ऑनलाइन मोड सुविधा में सीएमएस (शिकायत प्रबंधन प्रणाली) पर अपनी शिकायत अपलोड कर सकते हैं जो लिंक पर आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है: केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) के कार्यालय को डाक/भौतिक पत्र द्वारा ऑफ़लाइन मोड में, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017
3	फोन नंबर और ईमेल आईडी शिकायत निवारण अधिकारी	पीएच: 0124-6048088 ईमेल - principal.nodal@sammaancapital.com
4	चाहे लोन हो, या भविष्य में, अन्य लेंडर्स को ट्रांसफर या प्रतिभूतिकरण (हाँ/नहीं) के अधीन हो सकता है	लेंडर बेचने का हकदार होगा, प्रतिभूतिकरण करें, स्थानांतरण, लोन दस्तावेज़ों के तहत किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों)/संस्था को और लेंडर के रूप में ऐसे नियमों और शर्तों पर इसके किसी भी/सभी अधिकारों और दायित्वों (उधारकर्ता के बकाया/लोन या किसी भी सुरक्षा के साथ या उसके बिना इसके किसी भी हिस्से सहित) को शामिल करना और/या असाइन करना, अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में उचित लगता है।

5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में		
मूल लेंडर का नाम, इसके फंडिंग अनुपात के साथ		पार्टनर लेंडर का नाम और उसके फंडिंग का अनुपात	मिश्रित ब्याज की दर
सम्मान कैपिटल लिमिटेड के पास कुल बकाया लोन राशि का कम से कम 10% (दस प्रतिशत) का फंडिंग अनुपात है		निम्नलिखित में से कोई भी बैंक/वित्तीय संस्थान बकाया लोन राशि के 90% (नब्बे प्रतिशत) तक के कुल फंडिंग योगदान के साथ लोन में सह-लेंडिंग पार्टनर के रूप में भाग ले सकता है। 1. यस बैंक लिमिटेड 2. आरबीएल बैंक लिमिटेड 3. आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड पार्टनर लेंडर (ओं) के नाम और उनके संबंधित फंडिंग अनुपात को अंतिम रूप देने पर उधारकर्ता को अलग से सूचित किया जाएगा।	ब्याज की अंतिम दर

6	डिजिटल लोन के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण दिए जा सकते हैं:
(1) लेंडर की बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के संदर्भ में, कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से लोन के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	लागू नहीं
(ii) रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	लागू नहीं

उधारकर्ता निम्नलिखित के रूप में सहमत और पुष्टि करता हैः

a) उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से प्रतिनिधित्व करता है, वारंट, स्वीकार करता है, और पुष्टि करता है कि यह/उन्हें विधिवत प्राप्त हुआ है, समीक्षा की गई, सत्यापित किया गया, और सम्मान कैपिटल लिमिटेड द्वारा जारी मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, सभी अनुलग्नकों के साथ, जिसमें अंतर्निहित गणना पद्धति शामिल है, लागू शुल्क, और इसके तहत देय अन्य सभी राशियां।
b) उधारकर्ता आगे प्रतिनिधित्व करता है और पुष्टि करता है कि उसने केएफएस के प्रत्येक घटक की स्वतंत्र रूप से जांच की है और उसे पूरी तरह से समझा है, प्रकृति सहित, गणना, वित्तीय प्रभाव, पुनर्भुगतान दायित्व, देनदारियां, और उससे उत्पन्न होने वाली प्रतिबद्धताएं, और यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है, प्रतिनिधित्व, या उनकी समझ के लिए सूचना सामग्री उत्कृष्ट बनी हुई है।
c) यदि कोई उधारकर्ता अनपढ़ है और/या अंग्रेजी भाषा को पढ़ने या समझने में असमर्थ है, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि केएफएस की सामग्री को पढ़ा गया है, सटीक रूप से अनुवादित, समझाया गया, और ऐसी भाषा में स्पष्ट किया जाता है जिसे ऐसे उधारकर्ता (ओं) द्वारा पूरी संतुष्टि के लिए समझा जाता है, और इसके बाद उन्होंने इस तरह की समझ के आधार पर अपनी सहमति दी है।
d) उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि केएफएस में निर्धारित शुल्क, लागत और अन्य सभी राशि उचित, उचित और स्वीकार्य हैं, और सहमत है कि यह बाध्यकारी होगी। उधारकर्ता आगे विवाद या चुनौती देने के किसी भी अधिकार को माफ कर देता है, इसके बाद किसी भी समय, वैधता, व्याख्या, गणना, या केएफएस की प्रयोज्यता या किसी भी आधार पर उसके तहत देय कोई भी राशि, जिसमें समझ या प्रकटीकरण की कमी शामिल है
e) उधारकर्ता (ओं) इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से प्रतिनिधित्व करता है, वारंट, स्वीकार करता है, और इस बात से सहमत हैं कि सम्मान कैपिटल लिमिटेड द्वारा जारी की फैक्ट्स स्टेटमेंट (केएफएस) को लागू किया जाएगा, अपने विवेकाधिकार पर, यह लोन एग्रीमेंट और सभी संबंधित लोन दस्तावेजीकरण का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।
f) उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है और सहमत होता है कि केएफएस पढ़ा जाएगा, समझा जाता है, और ऋण समझौते और उसके संबंध में निष्पादित सभी दस्तावेजों के साथ समकालीन रूप से लागू किया गया है, और उसी तरह से बाध्यकारी होगा जैसे कि उसमें पूरी तरह से शामिल किया गया हो। उधारकर्ता (ओं) स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि केएफएस को लागू करने के लिए किसी अलग निष्पादन, निगमन या संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी।

तारीख: _ _ _ _ _ _ _

के लिए **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

उधारकर्ता (ओं) द्वारा स्वीकृति और स्वीकृति

उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर

अनुलग्नक बी

रिटेल और एमएसएमई लोन के लिए एपीआर की गणना के लिए उदाहरण

अनु. नहीं।	मापदंड	डिटेल्स
1	स्वीकृत लोन राशि (रुपये में)	
2	लोन अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में)	_ _ _ _ _ _ _ महीने
(ए)	नॉन-इक्रेटेड पीरियोडिक लोन के मामले में, मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	लागू नहीं
(ख)	EPI का प्रकार	मासिक
	प्रत्येक EPI की राशि (रुपये में)	
	EPIs ईपीआई की संख्या (जैसे, मासिक किस्तों के मामले में ईएमआई की संख्या)	
(सी)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई हो	-
(डी)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, स्वीकृति के बाद	
3	ब्याज दर का प्रकार (निश्चित दर या परिवर्ती दर या मिश्रित दर)	फ्लोटिंग
4	ब्याज दर	_ _ _ _ _ _ _ % प्रति वर्ष
5	स्वीकृति की तारीख पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपयों में)	
6	देय शुल्क/प्रभार(रुपये में)	
a	ऋणदाता (लेंडर) को भुगतान योग्य	
बी	लेंडर के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय है	
7	शुद्ध वितरित राशि (1-6) (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर - प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	_____%
10	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण का अनुसूची	सम्मान कैपिटल लिमिटेड **(लेंडर)** ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट सभी पूर्ववर्ती शर्तों की बाध्यकर्ता (ओं) द्वारा पूर्ति पर ही ऋण (या इसके किसी भी हिस्से) का वितरण कर सकता है। लोन (कटौती के अधीन, यदि कोई हो) को पूरी तरह से या ऐसी किश्तों में वितरित किया जा सकता है जैसा कि उधारकर्ता (ओं) द्वारा लोन के वितरण के अनुरोध में उल्लेख किया गया है या ऋणदाता द्वारा उपयुक्त समझा गया है।
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तारीख	_____**

* * मूलधन स्थगन के मामले में ईपीआई के भुगतान की देय तिथि अलग-अलग हो सकती है।

अनुलग्नक सी

पुनर्भुगतान अनुसूची का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इसके साथ अनुलग्नक I में संलग्न किया गया है

अनुलग्नक-डी

शुल्क और अन्य शुल्क

ब्यौरा	**दरें/राशि**
प्रोसेसिंग फीस	लोन राशि के बाद _ _ _-_ _%
बैलेंस ट्रांसफर/पुनर्विक्रय होम लोन में लेन-देन हैंडलिंग शुल्क	2000/- रुपये
कानूनी राय, एसआरओ खोज, आरओसी खोज और तकनीकी मूल्यांकन शुल्क	_ _ _-आईएनआर _ _ _ _/-
पुनर्भुगतान असम्मान शुल्क, चेक/एनएसीएच रिटर्न/ईएमआई का भुगतान न करना	आईएनआर _ _ _ (_ _ _)
दंडात्मक आरोप	• **भुगतान चूक के मामले में-24% (चौबिस प्रतिशत)** प्रति वर्ष ईएमआई/प्री-ईएमआई के बकाया पर • **अन्य डिफ़ॉल्ट/डिफ़ॉल्ट की घटना के मामले में-2% (दो प्रतिशत)** ऋण की बकाया राशि पर प्रति वर्ष। (भुगतान में डिफ़ॉल्ट और परिभाषित समय सीमा के भीतर केवाईसी/री-केवाईसी के अपडेशन का पालन करने में विफलता के अलावा, जिसके लिए नाममात्र दंड शुल्क नीचे परिभाषित किए गए हैं *)
* निर्धारित समय सीमा के भीतर केवाईसी/री-केवाईसी के अपडेशन का पालन करने में विफलता के लिए दंड शुल्क	रु. क्रेडिट कमेटी के अनुमोदन के अनुसार लोन राशि/देरी अवधि/क्रेडिट जोखिम के आधार पर 2000 से 15000 दोपहर तक। * * *एस/टी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पर 2% पी. ए. की अधिकतम सीमा जो मासिक आधार पर प्रभार्य होगी।*
खाते के भौतिक विवरण/परिशोधन अनुसूची के लिए शुल्क	आईएनआर 200 -
संपत्ति अदला-बदली शुल्क (अदला-बदली एससीएल के विवेक पर है)	जाएगा
भुगतान आदेश/वितरण चेक पुनर्मूल्यांकन जारी करने के लिए शुल्क	आईएनआर 500 -
फोरक्लोज़र स्टेटमेंट शुल्क	आईएनआर 500 - (शून्य, यदि तिमाही में एक बार अनुरोध किया जाता है)
दस्तावेज़ों की सूची	आईएनआर 1000 - (शून्य, यदि अनुरोध किया जाता है तो पहले संवितरण के शुरुआती 6 महीनों के भीतर)
ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान की तारीख से 30 दिनों के बाद संपत्ति दस्तावेजों के गैर-संग्रह के लिए शुल्क	आईएनआर 500-प्रति माह या उसका कुछ हिस्सा
एससीएल हिरासत में लोन/संपत्ति दस्तावेज़ की प्रतियों के लिए पुनर्प्राप्ति शुल्क	आईएनआर 750 -
यदि लागू हो, तो एसआरओ से शीर्षक विलेख की प्रमाणित सही प्रतियों के लिए शुल्क	वास्तविक के अनुसार

लोन एग्रीमेंट के स्टैम्पिंग शुल्क	वास्तविक के अनुसार, राज्य के कानूनों के अधीन, उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना
अन्य कानूनी दस्तावेजों जैसे क्षतिपूर्ति बॉन्ड, कानूनी उपक्रम, कानूनी शपथ पत्र, व्यक्तिगत गारंटी बॉन्ड, एनआरआई होम लोन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी आदि के स्टाम्पिंग शुल्क।	वास्तविक के अनुसार, राज्य के कानूनों के अधीन, उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना
एसआरओ या विकास प्राधिकरण (उधारकर्ता के अनुरोध पर) में उत्पादन जैसी विशिष्ट गतिविधि के लिए मूल संपत्ति दस्तावेज पुनर्प्राप्ति	5,000/- रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया जाएगा
डेटाबेस एडमिन फीस (लागू टैक्स सहित)	आईएनआर 650 -
रीपेमेंट मोड/अकाउंट स्वैपिंग शुल्क	आईएनआर 500 -
उधारकर्ताओं के ईसीएस जनादेश (ऋण पुनर्भुगतान) के लिए पंजीकरण शुल्क	शून्य
होम लोन में इनकम टैक्स सर्टिफिकेट	शून्य
शिकायत हैंडलिंग शुल्क	शून्य
NeSL आईयू सेवा शुल्क	NeSL द्वारा प्रभारित वास्तविक के अनुसार
आरओआई स्विच शुल्क	मौजूदा और संशोधित दर के बीच अंतर के बाद _ _ _ _ _ _ _%

<u>वादा नोट की मांग करें</u>

रु. _/-

मांग पर, हम, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

<u>के लिए निरंतरता का पत्र डिमांड प्रॉमिसरी ध्यान दें</u>

करने के लिए

सम्मान कैपिटल लिमिटेड
ए-34, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली -110024
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L65922DL2005PLC136029

प्रिय महोदय,

हम ₹. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ के लिए डिमांड प्रॉमिसरी नोट का संदर्भ लेते हैं (रुपये _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

स्थानः तारीख :

गवाहः

1. हस्ताक्षर: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2। हस्ताक्षर: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

नाम:	नाम -
पेशा:	पेशाः
पता:	पताः
पैनः पैनः	

संवितरण अनुरोध प्रपत्र (डीआरएफ)

करने के लिए, तिथि _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

सम्मान कैपिटल लिमिटेड

शाखा का पता-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____

स्थानीय आवेदन संख्या		**लोन अकाउंट नं**	
आवेदक (ओं) का नाम		**रिक्वेस्ट की तारीख**	
आवेदक का संपर्क नंबर			

प्रिय सर/मैडम,

यह आपके ऑफिस द्वारा मंजूर किए गए मेरे/हमारे लोन के संदर्भ में है। कृपया लोन राशि को निम्नलिखित तरीके से वितरित करें

भुगतान मोडः ☐ चेक करें ☐ डिमांड ड्राफ्ट ☐ आरटीजीएस/एनईएफटी

पसंदीदा 1:
अनुकूल है।
बैंक का नाम और खाता संख्या.:
राशि

पसंदीदा 2:
अनुकूल है।
बैंक का नाम और खाता संख्या.:
राशि

मैं/हम, उधारकर्ता (ओं), संयुक्त रूप से और अलग-अलग, इसके द्वारा सम्मान कैपिटल लिमिटेड और इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को सीधे हमारी डेवलपर/बिल्डर/सेलर/वेंडर/इंश्योरेंस कंपनी को डिस्बर्सल चेक जमा करने के लिए अधिकृत करें, आदि और/या हमारे बैंक खाते में फंड ट्रांसफर करने के लिए, आरटीजीएस/एनईएफटी मोड के माध्यम से या ऊपर चुने गए लागू भुगतान मोड के अनुसार यहां बताई गई जानकारी के अनुसार, के लिए अनुरोध किया गया है। मैंने/हमने परियोजना स्थल पर निर्माण के स्तर का आकलन किया है और इसे उपयुक्त और मेरी संतुष्टि के अनुसार पाया है। फंड के लिए मेरा/हमारा अनुरोध किसी भी तरह से एससीएल पर कोई ज़िम्मेदारी या दायित्व नहीं डालता है। लोन एग्रीमेंट के तहत पुनर्भुगतान का मेरा/हमारा दायित्व सम्मान कैपिटल लिमिटेड के लिए एक अलग और संविदात्मक प्रतिबद्धता है। मैं/हम जानते हैं कि एससीएल किसी भी कारण से संवितरण को रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मैं/हम आगे पुष्टि करते हैं कि वितरण के लिए मेरा/हमारा अनुरोध एससीएल द्वारा किसी भी तरह से अनुरोध नहीं किया गया है और यह संबंधित डेवलपर/बिल्डर/विक्रेता/विक्रेता/बीमा कंपनी आदि के साथ हमारी व्यवस्था और समझौते के अनुसार है। कोई भी दावा/चिंता/विवाद जो मैं/हमारे पास डेवलपर/बिल्डर/सेलर/वेंडर/इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो सकता है, आदि का लोन की मेरी/हमारी पुनर्भुगतान देनदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और लोन के पुनर्भुगतान का मेरा/हमारा दायित्व स्थिति/चरण से स्वतंत्र है, अंतर्निहित लेन-देन का परिणाम या उद्देश्य और/या किसी संबंधित तीसरे पक्ष का हमारा मूल्यांकन। मैं/हम इसे समझते हैं और सहमत हैं कि एससीएल की किसी भी विवाद के समाधान में कोई ज़िम्मेदारी या भूमिका नहीं होगी, जिसका मुझे/हमें किसी भी कारण से डेवलपर के साथ सामना करना पड़ सकता है।

नाम: **संकेतः**

उधारकर्ता 1 ..।

उधारकर्ता2 ..

उधारकर्ता 3 ..।

उधारकर्ता 4 ..।

नोटः प्रत्येक कटौती के लिए सभी उधारकर्ताओं द्वारा काउंटर हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इस फ़ॉर्म को भरने के अलावा एससीएल पक्ष में किसी भी बदलाव के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। आपको वितरित राशि/राशि पर पहले या बाद में संवितरण होने वाले महीने के लिए प्री-ईएमआई ब्याज़ का भुगतान करना होगा। ए. सी. एच. फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे और साथ ही कैंसिल किए गए चेक और 2 ई. एम. आई. चेक दिए जाएंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि डिस्बर्समेंट अनुरोध किए जाने से पहले या आपको बताए गए प्रो रेटा के अनुसार आपके अपने योगदान (कुल लागत-एससीएल लोन) का भुगतान/खर्च पूरी तरह से किया गया है। पोस्ट डेटेड डिस्बर्समेंट का लाभ उसी महीने के भीतर लिया जा सकता है। डीआरएफ का उपयोग सीधी खरीद/समर्थन के लिए निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए किया जाएगा। घोषणा को उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर से तुरंत पहले रखा जाना चाहिए। हटाने के लिए निर्माण के चरण के संबंध में विवरण।

अंडर्टेकिंग सह क्षतिपूर्ति

सेवा में,
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
ए-34, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली -110024
प्रिय सर/मैडम,

संदर्भ - लोन अकाउंट नंबर-_ (**लोन (ओं)**)
खरीदार (ओं)/मालिक (ओं) का नाम-_ (**सैड मोर्टगागोर (ओं)**)
संपत्ति का विवरण-_ (**बताई गई संपत्ति**)

इसमें (ए) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

संपत्ति के निर्माण और/या कुर्की को ध्वस्त करने और/या सील करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और/या उक्त संपत्ति के खिलाफ किसी भी संबंधित प्राधिकरण/सरकारी निकाय द्वारा/उसके समक्ष कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

c) हम पुष्टि करते हैं, प्रतिनिधित्व करें और पुष्टि करें कि सीमा अवधि के भीतर कोई लंबित मुकदमा या कोई विवाद नहीं है, प्रतिकूल कार्रवाई, मांग या दावा, किसी भी तरह से, उक्त संपत्ति के खिलाफ है और आगे यह वादा करता है कि उक्त संपत्ति संपत्ति कर सहित सभी प्रकार के बोझों से मुक्त है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, ग्रहणाधिकार/शुल्क/बंधक आदि और आगे यह दर्शाता है कि उक्त संपत्ति का शीर्षक स्पष्ट कानूनी और विपणन योग्य है और किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्त है।

d) हम पुष्टि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमने विक्रेता/बिल्डर/पिछले मालिकों के साथ बाय बैक समझौता/व्यवस्था नहीं की है *(जैसा कि मामला हो सकता है)* , उक्त संपत्ति के संबंध में। हम आगे पुष्टि करते हैं, घोषणा करें और वचन दें कि हम केवल अपने स्रोतों से लेंडर को समान मासिक किश्तों {EMI} पूर्व-निर्दिष्ट मासिक किश्तों का भुगतान करेंगे और लेंडर द्वारा वितरित राशि पर ब्याज वहन करने और भुगतान/प्रतिपूर्ति करने के लिए विक्रेता/बिल्डर/पिछले मालिकों (जैसा भी मामला हो) के साथ कोई समझ/व्यवस्था नहीं है .

4. हम एतद्द्वारा बताते हैं, घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमने उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ऋण (ओं) के लिए आवेदन/मांग की है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विधिवत अधिकृत संरचनाओं का हिस्सा है। हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं और वचन देते हैं कि हम स्वीकृत भवन योजनाओं के अनुसार, केवल अधिकृत संरचना में स्थित संपत्ति की खरीद के लिए ऋणदाता द्वारा वितरित ऋण (ओं) का उपयोग करेंगे। हम आगे घोषणा करते हैं, पुष्टि करें और स्वीकार करें कि उक्त संपत्ति का निर्माण किया गया है/इसका अर्थ लगाया जाएगा, स्वीकृत भवन योजनाओं (संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित) के अनुसार, स्थानीय/राज्य/केंद्र सरकार के भवन उपनियम और रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और समय-समय पर इसके तहत बनाए गए नियम/विनियम/परिपत्र/निर्देश/उपनियम। हम यह वचन देते हैं कि निर्माण पूरा होने के 3 महीनों के भीतर पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना हमारी एकमात्र ज़िम्मेदारी है, ऐसा न करने पर ऋणदाता को अपने विवेक से कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा जैसा कि वह उचित समझता है।

5. हम इसके द्वारा राज्य करते हैं, घोषणा करें और पुष्टि करें कि यदि परियोजना (जहां उक्त संपत्ति स्थित है) रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के दायरे में आती है, 2016 और समय-समय पर इसके तहत जारी/बनाए गए नियम/विनियम/परिपत्र/निर्देश/उपनियम **रेरा** }, हम घोषणा करते हैं कि विक्रेता/बिल्डर/डेवलपर *(जैसा कि मामला हो सकता है)* रेरा के प्रावधानों का पालन किया है/करेगा और संबंधित प्राधिकरण से रेरा के तहत परियोजना के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा/प्राप्त करेगा/पूरा करने/अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, इस संबंध में।

6. हम इसके द्वारा सहमत हैं कि उक्त संपत्ति पर आवासीय घर/इकाई के निर्माण को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, दो वर्ष की उपरोक्त अवधि के भीतर, लेंडर बकाया लोन पर हमारे द्वारा देय लागू ब्याज दर को रीसेट/संशोधित करने का हकदार होगा और हम लेंडर को बकाया लोन पर इस तरह की संशोधित/रीसेट ब्याज दर का भुगतान करने का वादा करते हैं;

7. इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, मैं/हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि उक्त संपत्ति पर आवासीय घर/इकाई के निर्माण को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, लोन (या इसके किसी भी हिस्से) का लाभ उठाने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर, लेंडर बकाया लोन को नॉन-हाउसिंग/नॉन-होम लोन के रूप में वर्गीकृत करेगा और इस तरह के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप होगा, बकाया लोन (लेंडर के विवेक पर) ऐसे नियम और शर्तों (लेंडर द्वारा निर्दिष्ट) के अधीन होगा जो लेंडर द्वारा वितरित नॉन-हाउसिंग/नॉन-होम लोन पर लागू हो सकते हैं; यदि उक्त संपत्ति की खरीद के लिए हमारे द्वारा किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी भी लोन (लोन) के पुनर्भुगतान के लिए हमारे द्वारा लोन (या इसका कोई हिस्सा) लिया गया है, उपरोक्त अवधि (उक्त संपत्ति पर आवासीय घर/इकाई के निर्माण को पूरा करने के लिए) हमारे द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान से लिए गए ऐसे ऋण (लोन) के वितरण की तारीख से शुरू होगी।

8. हम एतद्द्वारा बताते हैं, घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उक्त संपत्ति के संबंध में कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाया गया है और इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति और/या पार्टी के पास उक्त संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार, शीर्षक और हित नहीं है।

9. हम इसके द्वारा यह बताते हैं और घोषणा करते हैं, उक्त संपत्ति और/या उसके किसी हिस्से के संबंध में कोई मुकदमा/रिट याचिका/अपील/विशेष अनुमति याचिका या कोई अन्य मुकदमेबाजी लंबित नहीं है और यह कि उक्त संपत्ति किसी अदालत या किसी प्राधिकरण या किसी अन्य मंच द्वारा जारी किसी कुर्की या किसी कार्यवाही या किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन नहीं है और कोई मुकदमा नहीं है, सूट, रिट, कार्रवाई, उक्त संपत्ति के संबंध में विक्रेता सहित मॉर्टगेगर (ओं) या इसके पूर्ववर्तियों के खिलाफ जांच या मध्यस्थता कार्यवाही या अन्य कार्यवाही शुरू की गई हैं/लंबित हैं।

10. हम इसके द्वारा किसी भी नुकसान के लिए ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति करने का वादा करते हैं, नुकसान, ऋणदाता द्वारा की गई लागत और/या व्यय (1) किसी अधिनियम से उत्पन्न होते हैं, चूक, गलत बयान, तथ्य का दमन, इन उपहारों सहित लोन दस्तावेज़ों के तहत गलत प्रतिनिधित्व, (ii) कोई भी कार्रवाई/दावा/मुकदमेबाजी और/या इस उपक्रम की शर्तों का कोई उल्लंघन और/या (iii) किसी तीसरे पक्ष द्वारा लेंडर के खिलाफ उठाए गए किसी भी मांग और/या दावे के कारण, (iv) वर्तमान दस्तावेज़ या हमारे द्वारा निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज़/अनुबंध/विलेख के तहत प्रदर्शन न करने के लिए और के रूप में यहां प्रतिनिधित्व किया गया है, (vi) उक्त संपत्ति के अनधिकृत निर्माण या संबंधित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत संबंधित उप कानूनों/विनियमों/योजनाओं से विचलन और/या उपरोक्त किसी भी कारण से बंधक अमान्य है।

11. हम पुष्टि करते हैं, संबंधित प्राधिकरण और/या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उठाए गए शीर्षक पर किसी भी आपत्ति/चिंता/दावा/चुनौती की स्थिति में इसकी घोषणा करें और उसे स्वीकार करें, उक्त संपत्ति के संबंध में और/या किसी भी संबंधित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत संबंधित उप कानूनों/विनियमों/योजनाओं से किए गए किसी भी विचलन के मामले में, उक्त संपत्ति पर निर्माण के संबंध में, हम विचलन को अच्छा/सुधारने और उसे नियमित करने का कार्य करते हैं, कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार, मेरी अपनी लागत पर, साथ ही लेंडर को किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करना, नुकसान, दायित्व, इस तरह के किसी भी विचलन/चिंता के कारण होने वाले नुकसान, निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में।

12. हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि लेंडर का पूरा अधिकार होगा मामले में ऋण (ओं) के संवितरण को रद्द करने/रखने के लिए, अगर कोई, बिक्री/परिवहन/पट्टा/उप-पट्टा विलेख या अन्य समान/प्रासंगिक विलेख (ओं) (जैसा भी मामला हो) में अस्पष्टता पाई जाती है, जो कि उपरोक्त के अनुसार बेचने के समझौते के अनुसार मॉर्टगेगर (ओं) के पक्ष में निष्पादित की जाती है, ऐसे मामलों में, न तो उक्त संपत्ति के अलाटी/मालिक और न ही वेंडर लेंडर द्वारा प्रयोग किए गए ऐसे अधिकार के खिलाफ कोई आपत्ति/शिकायत/कोई मुकदमा शुरू करेंगे।

13. हम आगे यह स्वीकार करते हैं कि हमारे द्वारा इस उपक्रम/पत्र का उल्लंघन ऋण दस्तावेजों के तहत डिफ़ॉल्ट की एक घटना होगी और ऋणदाता को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए किसी भी कार्रवाई/कार्यवाही सहित कोई भी कार्रवाई करने का अपने विवेक पर पूर्ण अधिकार होगा।

14. हम इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि इस घोषणा सह क्षतिपूर्ति को जारी करना ऋण (ओं) और बनाए गए प्रतिभूति के संबंध में ऋणदाता के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य है कहा संपत्ति लोन (ओं) को सुरक्षित करने के लिए और इस उपक्रम में कुछ भी नहीं (इसमें निहित मॉर्टगेगर (ओं) के दायित्वों सहित) मॉर्टगेगर (ओं) या मॉर्टगेगर (ओं) के लिए या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या मॉर्टगेगर (ओं) के माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अन्यथा अनुरोध करने या इस उपक्रम को किसी अन्य तरीके से समझने में सक्षम या हकदार बनाएगा किसी भी सक्षम प्राधिकारी या न्यायिक/गैर-न्यायिक/अर्ध-न्यायिक मंच के समक्ष।

15. हम इस बात से सहमत हैं कि क्षतिपूर्ति के साथ यह घोषणा सह उपक्रम किसी पूर्वाग्रह के बिना है, और प्रभावित नहीं करेगा, (ए) लेंडर का कोई भी अधिकार, क्लेम, लोन दस्तावेज़ों (लेंडर के पक्ष में बनाई गई सुरक्षा सहित) और/या लागू कानूनों के तहत ब्याज और/या उपाय; (बी) ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित दायित्वों और (सी) ऋण दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार।

और हम उपरोक्त घोषणा को ईमानदारी से और ईमानदारी से सही मानते हुए और बयानों और घोषणाओं के आधार पर पूरी तरह से जानते हुए क्षतिपूर्ति के साथ वचन दे रहे हैं।

भवदीय

उधारकर्ता (ओं) और मोर्टगेगर (ओं) के हस्ताक्षर की तिथिः _

_ _

स्थानः _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(नाम): _

_____

(नाम): _

तारीखः _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

सेवा में,
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
ए-34, दूसरी और तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली -110024

विषय: स्वीकृति पत्र सह पुष्टि
संदर्भ-लोन आवेदन संख्या-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

प्रिय सर/मैडम,

मैं/हम इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि मुझे/हमें लोन से संबंधित लोन समझौते और मंजूरी पत्र की प्रति प्राप्त हुई है।

मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं, पुष्टि करें और घोषणा करें कि मैंने/हमने लोन समझौते (अनुसूचियों में उल्लिखित विवरण सहित) और लोन दस्तावेज़ों के सभी नियमों और शर्तों को समझ लिया है, जो मुझे/हमें उस भाषा में समझाया गया है जिसे मैं/हम समझते हैं।

उधारकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर

_____

मैंने लोन एग्रीमेंट की कॉपी उधारकर्ताओं को सौंप दी है और लोन एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों के बारे में भी उधारकर्ताओं को बताया है

सम्मान कैपिटल एम्प्लॉई के हस्ताक्षर
कर्मचारी का नाम -
एसएपी आईडी -